खण्ड-311, अंक-3
मंगलवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1896
(20 अगस्त, 1974 ई0)

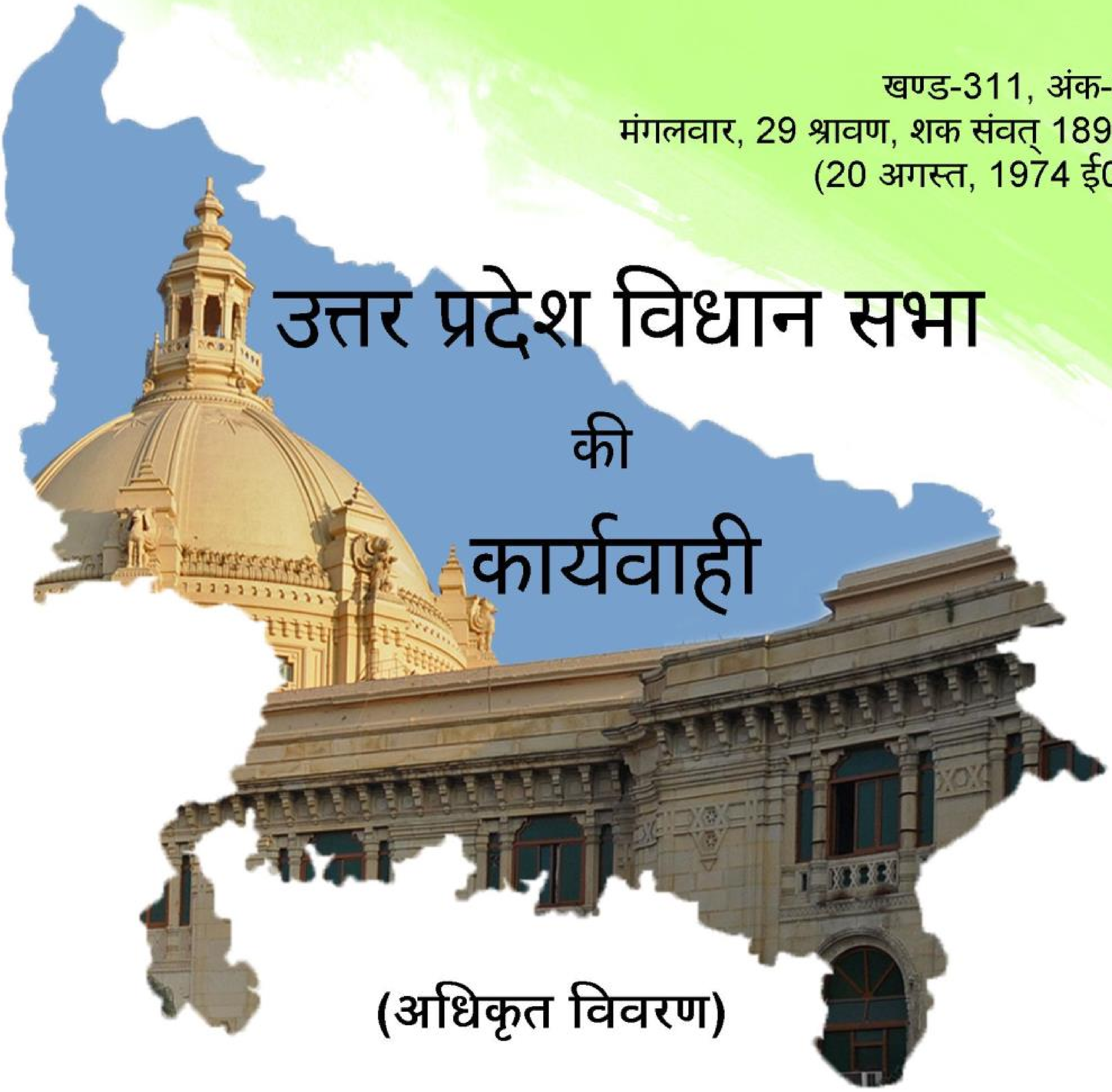

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 311 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 20 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—385

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री उर्फ जिमी मियां (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेध नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गौरी शंकर (एडवोकेट), श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनरायन बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजुराम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल वधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल श्री (जिला मेरठ)

प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद, जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमनसिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)

रणंजय सिंह, राजा
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, सिंह ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु श्रीमती, एड०. (जिला वाराणसी)
रामरती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती रमण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, तिवारी श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री

शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी (उर्फ नब्बन श्री)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, कुरील श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रताप मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, लाठ श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 20 अगस्त, 1974

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की विद्युत ताप भट्ठियों को बिजली की आपूर्ति तथा उत्तर प्रदेश स्टील आक फर्नेस उद्योग क प्रतिनिधियों की मुख्य मन्त्री से भेंट

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बलिया)—

क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की विद्युत् ताप भट्ठियों के 33 उद्योग जिनमें 50 करोड़ की पूंजी लगी है 150 करोड़ का प्रति वर्ष उत्पादन होता है 25 करोड़ एक्साइज ड्यूटी व 3 करोड़ सेल टैक्स प्रतिवर्ष प्राप्त होता है तथा जिसमें 40,000 श्रमिक कायरत हैं, बिना बिजली के बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त प्रतिष्ठानों को बिजली

[श्री सत्य प्रकाश]

देने की सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ? क्या उत्तर प्रदेश स्टील फर्नेश इन्डस्ट्री के प्रतिनिधि मुख्य मन्त्री से अभी हाल ही में मिले ?

श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)—

प्रदेश की समस्त विद्युत ताप भट्ठियों को 31 जुलाई 1974 से प्रतिदिन रात्रि के घन्टों में 9 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है अतः उनके बन्द होने का प्रश्न नहीं होता। प्रदेश के स्टील आर्क फर्नेस उद्योग के प्रतिनिधि 8 अगस्त, 1974 को मुख्य मंत्री जी से मिले थे।

श्री सत्य प्रकाश—

माननीय मंत्री के उत्तर से सम्बन्धित। क्या सरकार बतायेगी कि इन कारखानों में 1974 की 1 जनवरी से 31 जुलाई तक 212 काम के दिनों के कितने दिन बिजली दी गयी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, करीब-करीब 1 जनवरी, 1974 के प्रथम सप्ताह में पड़ोसी राज्यों से जो बिजली मिलती थी वह एकाएक बन्द हो गयी। इसलिए हमें बिजली बन्द करनी पड़ी। या तो पड़ोसी राज्यों की ट्रांसमिशन लाइनें बन्द हो गयीं या और किन्हीं दूसरी परिस्थितियों के कारण वहां से बिजली आना बन्द हो गयी। दूसरे हमें क्योंकि कृषि कार्यों के लिये बिजली उपलब्ध करानी थी इसलिये भी समय-समय पर कारखानों की बिजली बन्द करनी पड़ी।

श्री सन्त सिंह युसुफ (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी ऐसी है कि कुछ मालिकों से सरकार की बातचीत हुई थी कि उनको डीजल इंजन मोहय्या करने के लिए सुविधा दी जायगी। क्योंकि बिजली की कमी है तो यह जो बातचीत हुयी थी इसमें कहां तक प्रोग्रेस हुई ? अगर नहीं, तो इस बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार कोई इंतजाम करेगी या नहीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, सन् 74/75 में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के उत्पादन दूसरे विभागों से डाइवर्ट करके और जेनरेटिंग सेट्स लगाकर बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास कर रही है। टिहरी योजना से भी बिजली उत्पादन करने का प्रयास किया है और हर कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को इतनी बिजली दे सकें कि उत्पादन पर असर न पड़े।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो 33 उद्योग बन्द हुए क्या ये सब प्राइवेट सेक्टर के हैं या पब्लिक सेक्टर का भी कोई है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, ज्यादातर ये प्राइवेट सेक्टर के हैं। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबेल्स को बिजली उपलब्ध करानी थी इसलिए ज्वाइंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अन्डरटेकिंग्स को भी कुछ दिन के लिये बन्द करना पड़ा।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कल कारखानों को बिजली न मिलने की वजह से मजदूरों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिये बिजली की वजह से मिल मजदूरों को काम नहीं मिलता है तो क्या सरकार उन्हें कोई आंशिक मुआवजा देने के लिये तैयार है ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जिन परिस्थितयों पर न सरकार का और न किसी मनुष्य का कोई कंट्रोल या उसके लिये कोई भी व्यक्ति इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकता। लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद आज श्रमिक वर्ग जितना खुश है इससे पहले कभी नहीं था।

श्री सत्य प्रकाश—

8 अगस्त, 74 को क्या मुख्य मंत्री से फर्नेस इंडस्ट्री के एशोशियेशन का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था ? यदि हां, तो उससे क्या बातचीत हुई थी और उसको क्या आश्वासन दिया गया था ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

फर्नेस इंडस्ट्री वाले मुझसे मिले थे और बहुत स्पष्ट उनसे मैंने कह दिया था कि बिजली देने की कोई संभावना निकट भविष्य में नहीं है। अगर वर्षा ठीक हुई और ट्यूबवेल्स पर लोड कम हुआ और संभव हुआ तो बिजली खुद ब खुद हम देंगे, आने जाने व तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है।

श्री सन्तसिंह युसुफ—

क्या मिलों के लिये जनरेटर लगाने तथा उनको प्रोवाइड करने की सुविधा, सरकार देने का विचार कर रही है जैसा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आल्टरनेटिव अरेजमेंट के लिये बातचीत चली थी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

केन्द्रीय सरकार की योजना थी और प्रदेशीय सरकार ने भी माना था अगर कोई उद्योग अपने यहां केप्टिव प्लांट लगाना चाहे तो लगा ले। हमारी तरफ से इजाजत है। डीजल सेट्स चलाने के लिये डीजल उपलब्ध नहीं है और डीजल सेट्स चलाने में हमारे यहां और उनके यहां बिजली के जोड़ने तथा घटाने में कठिनाई आती है। कानपुर में सूती मिलें हैं वे अपने यहां जनरेटर से बिजली पैदा कर रहे हैं और कुछ हमसे भी बिजली पा रहे हैं जिससे वे अपने कर्मचारियों को काम उपलब्ध करा पा रहे हैं। हम सहायता और सहयोग देने को तैयार हैं लेकिन यह काम निजी उद्योग का है कि वे अपने यहां केप्टिव प्लांट लगाने की योजना बनायें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

आगरा में जी गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां हर कुछ कारखानों को अभी तक बिजली नहीं दी गयी है जिसकी वजह से वे किस्तें अदा करने में से मजूबर हैं। तो क्या जिनको हायर परचेज पर दिया गया है सरकार उनको बिजली देने की व्यवस्था करेगी ? यहां पर कृषि के लिये बिजली की कटौती करने के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि 12 घंटे के आदेश दे दिये गये है लेकिन अभी जब मैं अपने क्षेत्र में गया तो वहां पर 12 घंटे का का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है ? क्या सरकार वहां के लिये 12 घंटे का आदेश भिजवाने की कृपा करेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यह तो सब जगह के लिये तय किया जा चुका है कि किसी-किसी इंडस्ट्री को कितनी बिजली दी जायगी और उसके लिये कितना समय होगा। अगर आदेश नहीं पहुंचे हैं तो हम देखेंगे कि क्यों नहीं पहुंचे हैं।

सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, खीरी लखीमपुर के विरुद्ध तस्कर व्यापार करने की शिकायत

**2—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, खीरी लखीमपुर तस्कर व्यापार में संलग्न हैं और वह समय-समय पर धनगढ़ी (नैपाल) से तस्करी का सामान लेकर मेरठ बेचने जाया करते हैं, जिसके कारण वह अपने कार्यालय से गायब रहते हैं तथा इस व्यापार में सरकारी जीप का प्रयोग करते हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो वह दिनांक 6 मार्च, 1174 को मोहम्मदी विकास क्षेत्र की किसी सहकारी संस्था का निरीक्षण करते हुये जीप नं० यू० एस० एच० 1129 से वाया शाहजहांपुर मेरठ क्यों गये और 13 मार्च, 1974 तक अपने कार्यालय से जीप सहित क्यों गायब रहे और क्या इसकी सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी को तारद्वारा दी गई और इस सूचना पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं। दूसरा प्रश्न नहीं उठता। 6 मार्च 1974 को मोहम्मदी विकास क्षेत्र में निरीक्षण के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी होली के सिलसिले में अपने घर मेरठ अपने उच्च अधिकारी की पूर्व अनुमति से गया था।

2—जिलाधीश को एक तार मिला था। उस पर जांच की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्रथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

आगरा जिले के उप-मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रभारी चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*1—श्री मुन्शी लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में आगरा जिला के अन्तर्गत उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी तथा विभिन्न प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के खिलाफ चल रही जांच कार्यवाही में क्या प्रगति हुई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी आगरा के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में विभागीय जांच अभी चल रही है। इन अधिकारी को आरोप-पत्र दिये जाने हेतु मामले की छानबीन की जा रही है।

आगरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विभिन्न प्रभारी चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में से 12 शिकायतों में जांच पूरी हो गई है तथा उक्त शिकायतें निराधार एवं मिथ्या पाई गईं । शेष 6 शिकायतों पर जांच अभी चल रही है ।

श्री मुन्शी लाल--

क्या सरकार बतलायेगी कि जांचकर्ता अधिकारी कौन है, उसका क्या पद है और क्या क्या शिकायतें थीं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

प्रारम्भिक विभागीय जांच डाक्टर प्रेमचन्द, तत्कालिक सहायक निदेशक, आगरा द्वारा की गयी थी । फिर उसके बाद स्पेशल आडिट कराया गया जिसमें काफी अनियमिततायें पायी गईं । चूंकि उससे रीकन्साइल नहीं हो पा रहा था इसलिये पुनः रीकन्सीलियेशन करने के लिये कहा गया है । पहले जो स्पष्टीकरण मांगा गया था और इस समय बाद में जो स्पष्टीकरण मांगा गया उन दोनों में भिन्नता थी जिसके कारण फिर से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि शिकायत करने वाले कौन व्यक्ति थे और जांच करने वालों ने शिकायत करने वालों से कोई सम्पर्क स्थापित किया या नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर श्री मोहन सक्सेना, पीपल मंडी, आगरा की शिकायती-पत्र दिनांक 3 अप्रैल 1972 श्री सुरेन्द्र प्रकाश, नानपारा आगरा का शिकायती-पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1972 श्री रघुनाथ सिंह, एडवोकेट, एम० एल० ए० जिला आगरा का शिकायती-पत्र दिनांक 8 मई 1972 श्री राजाराम यादव, एम० एल०ए० फिरोजाबाद का शिकायती-पत्र दिनांक 12 मई, 1972 श्री ओ० पी० श्रीवास्तव, पीपल मन्डी आगरा का शिकायती-पत्र दिनांक 28 मई, 1972 तथा श्री बी० के० शर्मा, अध्यक्ष युवक कांग्रेस, आगरा का शिकायती-पत्र दिनांक 10 मई, 1972 । यह शिकायत कर्ता थे ।

श्री मुन्शी लाल--

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि इसकी जांच डाक्टर एस० एस० गुप्ता कर रहे थे। उन पर दबाव डाला गया । मैं जानना चाहता हूं कि उस जांच रिपोर्ट का क्या हुआ ?

श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, अगर इन लोगों से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया गया होता तो सम्बन्धित कागजात कैसे मांगे गये होते । 16 जून, 1973 को यह आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसमें गम्भीर अनियमितायें पायी गईं और कहा गया कि गोलमाल हुआ है । यह मैं कैसे मान लूं बिना उसके देखे हुए जांच की गई ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आडिट रिपोर्ट में क्या-क्या अनियमिततायें पाई गयीं ? उसमें किन-किन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है और अनियमितता करने वाले व्यक्तियों को निलम्बित किया गया है अथवा नहीं ?

श्री राजमंगल पांडेय--

इसमें कई अनियमिततायें पायी गयीं । पहली तो यह है कि 3,45,227.93 पैसे की दवाइयों आदि की खरीद अननुमोदित फर्मों से की गई जिसमें 79,550.67 पैसे के सब-

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

वाउचर्स आडिट दल को नहीं दिखाये गये। 1,67,375.28 पैसे की कीमत की खरीद की गई वस्तुयें अननुमोदित फर्मों से ऊंची दरों पर खरीदी गई थीं जब कि अनुमोदित दर के हिसाब से इन वस्तुओं की कीमत केवल 1,00,360.95 ही होती है। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों के लिये दवाइयां खरीदे जाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्साधिकारियों को कन्सेल्ट नहीं किया गया और कुल विशिष्ट फर्मों से ही 90 प्रतिशत खरीद की गई। फिर फर्मों को भुगतान किये जाने से पूर्व बिलों की छान बीन नहीं की गई और अधिक भुगतान कर दिया गया। इस तरह की अनियमिततायें प्रकाश में आयीं।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय मंत्री जी ने जो अनियमिततायें बताई हैं जिनको करने में अधिकारियों का हाथ अवश्य रहा होगा और इनका पता लग सकता है कि किन व्यक्तियों द्वारा ये अनियमितताएं की गयी हैं। तो उनको अभी तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री राजमंगल पांडेय --

मान्यवर, जो स्पेशल आडिट हुआ उसमें कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जैसे 79,550.67 पैसे के वाउचर्स, सम्प्रेक्षा को दिखाये ही नहीं गये। इसलिये उनसे यह कहा गया कि वे पुनः जांच करें। जो दुबारा स्पष्टीकरण मांगा गया है उसके उपरांत सरकार उस पर विचार करेंगी और तत्पश्चात शासन कोई निर्णय ले सकेगा।

श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि एतमादपुर में प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो है, वह एक सरकारी डिस्पेंसरी है, क्या मंत्री जी को उसकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो वे कौन-कौन सी हैं?

(मंत्री जी के प्रश्न न समझ पाने पर तीन बार माननीय सदस्य द्वारा अपना प्रश्न दोहराने पर भी मंत्री जी ने माननीय अध्यक्ष प्रश्न न समझ सके, इस पर श्री रामसेवक यादव ने प्रश्न स्पष्ट किया।)

श्री राज मंगल पाण्डेय--

एक डाक्टर एच० बी० सिंह हैं, जिनके बारे में कम्प्लीट रिपोर्ट है, किसी दूसरे डाक्टर के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि 2 लाख से ऊपर की दवाएं जो अन-एप्रूव्ड फर्म से खरीद ली गई, जो आडिट से भी साफ हुआ और जांच से भी मालूम हुआ। सरकार का नियम यह है कि अनएप्रूव्ड फर्म से दवाएं या अन्य कोई सामान न खरीदा जाय, तो इसके बारे में अब जांच करने की क्या आवश्यकता है ? क्या इसी प्रश्न पर सरकार उनके खिलाफ कार्यवाई करेगी ?

श्री राज मंडल पाण्डेय--

इन्हीं सब पर कार्यवाई हो रही है। प्रश्न यह है कि केवल स्पेशल आडिट पार्टी को उन्होंने 79,550.67 रुपये के सब वाउचर्स नहीं दिये थे। इसलिए फिर से कहा गया कि इसे खास कर देखिए और इनके खिलाफ एक स्पेशल चार्ज बनाकर पूछिए कि इन्होंने ऐसा कैसे किया। उनसे इस आइटम को छोड़ दिया, इसलिए स्पेशल पार्टी से कहा गया कि इनको भी शामिल करके रिपोर्ट दी जाए। अब उस पर फिर स्पष्टीकरण मांगा गया

है, वह आई है, जो शासन के विचाराधीन है और मैं सदन को आश्वत करता चाहता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई होगी, क्योंकि इनके खिलाफ बड़ी गम्भीर शिकायतें हैं।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

जब मंत्री जी कहते हैं कि लाखों रुपये की दवाएं अनएप्रूव्ड फर्मों से खरीदी गई और यह निश्चित ही जुर्म है, तो एक इसी आधार पर उस सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ जिसने इतने रुपये की दवाएं खरीदने में गोलमाल किया है, कार्यवाई क्यों नहीं की गई ? उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

न्याय का पहला नियम है कि यदि एक आदमी के खिलाफ 20 चार्ज हों तो अलग-अलग प्रासीक्यूट करने के बजाए सबको एक साथ एकत्र करके बीसों पर एक साथ कार्यवाई करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 10 वर्ष तक प्रासीक्यूट ही करते रहे। तो स्पष्टीकरण आ गया है, शासन के विचाराधीन है और सारे सदन को मैंने अवगत करा दिया कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई होगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोरी (लखनऊ) के कर्मचारियों को देय हाउस रेन्ट

*2—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काकोरी, जिला लखनऊ में कार्यरत अनेकों कर्मचारियों को हाउस रेन्ट नहीं दिया जा रहा है। यद्यपि वे इसके पाने के अधिकारी हैं ? यदि हां, तो ऐसा सौतेला एवं पक्षपाती व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त सभी कर्मचारियों को समान रूप से हाउस रेन्ट दिलाने के आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काकोरी में 44 कर्मचारी हैं जिनमें से 6 को सरकारी भवन उपलब्ध होने तथा 4 को शहर से 5 मील की परिधि के बाहर कार्यक्षेत्र होने के कारण हाउस रेन्ट भत्ता देय नहीं है, अतः इन्हें यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है। शेष 34 कर्मचारियों में से 8 कर्मचारियों को भत्ता दिया जा रहा है। 13 कर्मचारियों ने आवश्यक विवरण सहित भत्ते हेतु प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। जब तक इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता मकान किराया भत्ता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता। 13 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने भत्ते हेतु प्रार्थना-पत्र तो दिया है, किन्तु उन्होंने अपना मुख्यालय नहीं बताया है। जब तक वे मुख्यालय नहीं बताते तब तक उन्हें हाउस रेन्ट भत्ता नहीं दिया जा सकता।

श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या श्रम मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन 8 कर्मचारियों को भत्ता दिया जा रहा है, इन लोगों ने अपने विवरण सहित कब दरख्वास्तें दी थीं और उनको कब से भत्ता दिया जा रहा है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इसका वितरण तो नहीं है। इनको दिया जा रहा है। बाकी के बारे में कारण बता दिया है।

श्री मोतीलाल देहलवी--

मेरी जानकारी के अनुसार उनकी दरख्वास्त देने के बाद भत्ता दिया जाना चाहिए था लेकिन उनको काफी दिन बाद भत्ता दिया गया है। तो जो भत्ता देना चाहिए था, वह दरख्वास्त देने के बाद से दिया गया, शेष उनको नहीं मिला तो क्या आप वह एरियर देने का कष्ट करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

नियम यह है कि जो भी व्यक्ति प्रार्थना-पत्र देता है उसमें मुख्यालय का नाम बताता है। जब तक मुख्यालय का नाम न बताया जाय और मुख्यालय से वैरिफाई न हो जाय कि ऐसा तो नहीं है कि फाल्स स्टेटमेंट दे कर हाउस रेंट ले रहा है, जब यह प्रोसीजर कम्प्लीट हो जाता है, तब भत्ता दिया जाता है।

श्री मोती लाल देहलवी--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन 13 कर्मचारियों ने दरख्वास्तें दी हैं लेकिन माननीय मंत्री जी का कहना है कि उन लोगों ने अपना मुख्यालय नहीं बताया है तो इसन तरह की कोई सूचना विभाग की तरफ से उनको दरख्वास्त पर दी गयी है कि चूंकि अपना मुख्यालय नहीं बताया है इसलिए भत्ता नहीं दिया जा रहा है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जो सरकारी कर्मचारी हाउस रेंट लेता है उसके नियमों में हैं कि इन नियमों पर हाउस एलाउन्स मिल सकता है अगर नियमों की जानकारी न हो तो मेरा दोष नहीं है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन पर जरूर दिया गया होगा कि अपना मुख्यालय नहीं बताया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) --

क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश के अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से आयी हुई दरख्वास्तों पर कितने समय के अन्दर इस प्रकार का निर्णय लेंगे कि जिन्होंने नियमानुकूल---प्रार्थना-पत्र दिये हैं, उनको हाउस रेंट देने की व्यवस्था करेंगे ? प्रदेश के अन्य जिलों से दरख्वास्तें आयी हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो लखनऊ जिले से सम्बन्धित है।

कटेला, ग्रान्ट, चिकित्सालय (बस्ती) का भवन

*3--श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी (जिला बस्ती)---

क्या सरकार जानती है कि बस्ती जनपद के सर्व प्रथम ग्रामीण चिकित्सा, कटेला ग्रान्ट का स्थानीय जनता की लगातार मांगों के बावजूद भी आज तक कोई अपना निजी पक्का भवन नहीं बना है और यह एक जर्जर तथा पुराने मकान में गत तीस पैंतीस वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उसके महत्व को देखते हुए अविलम्ब इसका विस्तृत पक्का भवन तथा डाक्टर आदि के क्वार्टर्स बनवायेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी---

क्या दिन को दिन कहने के लिए भी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ? सूचना मेरे प्रश्न में निहित है कि क्या 30-35 साल से अस्पताल चल रहा है और कोई निजी पक्का भवन नहीं है। इसमें सूचना की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष---

8-7-74 का प्रश्न है।

श्री राजमंगल पाण्डेय---

माननीय सदस्य को मालूम है कि बस्ती जिला बहुत बाढ़ग्रस्त है। सरकारी अधिकारी उसी में लगे हुये हैं। सूचना मंगवाने के बावजूद सूचना नहीं आ सकी है।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी---

अध्यक्ष महोदय, यह सूचना कब तक आयगी, यह आश्वासन दिलाने की कृपा करें।

श्री राज मंगल पाण्डेय---

ईश्वर करे बस्ती की बाढ़ जल्दी खत्म हो जाय। और उसके बाद की समस्याओं का निराकरण हो जाय उसके बाद सूचना मिल जायगी।

श्री गोपीनाथ कामेश्वर पुरी---

बस्ती की बाढ़ खत्म हो गयी। दरिया का पानी समुद्र में चला गया। अब बाढ़ में, क्या कर रहे हैं मंत्री जी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय---

मुझे खुशी है कि आज आपने इसी बहाने कबूल किया कि बस्ती का पानी चला गया समुद्र में। रोज कहते थे कि बड़ी परेशानी है।

आराजी लाइन्स ब्लाक (वाराणसी) का कार्यालय भवन

*4---श्री मलदेव (जिला बाराणसी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वाराणसी जिले के आराजी लाइन ब्लाक का कार्यालय इन्टर कालेज जखिनी के भूमि में बनवाया गया था और अब वह विकास कार्यालय का भवन कालेज के कब्जे में है ? यदि हां, तो सरकार का विकास कार्यालय कहां और कब तक बनवाने का इरादा है ? यदि नहीं, तो विकास कार्यालय पर कब्जा हासिल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)---

वाराणसी जिले के आराजी लाइन्स ब्लाक का कार्यालय एक प्राइवेट स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर बनवाया गया था। इस स्कूल के स्थान पर अब राजकीय इन्टर कालेज है। विकास कार्यालय का भवन कलेज के कब्जे में नहीं है। अतः कब्जा हटाने अथवा अन्य स्थान पर कार्यालय बनवाने का प्रश्न नहीं उठता है।

जिला गोंडा के परिवार नियोजन विभाग के निलम्बित कर्मचारी

*5---श्री राम बचन (जिला आजमगढ़)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोन्डा में परिवार नियोजन विभाग में कितने कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें निलम्बित किया गया है और जिन्हें जीवन निर्वाह

[श्री रामवचन]

भत्ता केवल वेतन का कुछ भाग ही दिया जाता है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि वे कर्मचारी कब से निलम्बित हैं और उन्हें कितना भत्ता दिया गया है ?

श्री राज मंगल पान्डेय—

तीन कर्मचारी ऐसे हैं। ये कर्मचारी क्रमशः दिनांक 4-10-72, 5-10-72 व 5-8-73 से निलम्बित ह और इनमें से दो कर्मचारियों को उनके वेतन का 1/4 तथा एक कर्मचारी को उनके वेतन का 1/3 भाग जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में दिया जा रहा है।

श्री राम बचन—

मंत्री जी बतलाएगें कि दो कर्मचारियों को एक चौथायी और एक कर्मचारी को एक तिहाई भत्ता क्यों दिया जाता है इसमें अन्तर क्यों है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

यह दो कर्मचारी ऐसे हैं जो 323 और 332 के मुलजिमान हैं और एक का ट्रांसफर चमोली हुआ था। लेकिन वह गये नहीं और बराबर एवाइड करते रहे। यह सरकार की मेहर-बानी है कि इसके बावजूद उनको दे रही है।

श्री राम बचन—

जिसका तबादला चमोली हो गया है उनका निलम्बन कब तक रहेगा ?

श्री राजमंगल पांडेय—

जब तक 333 और 332 के मुकदमों का निबटारा न हो जाय और यह चमौली न चले जायं।

श्री राम बचन—

चमोली वाले का कब तक निलम्बन समाप्त होगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो उन्होंने बता दिया है।

(मंगलवार दिनांक 20, 1974 अगस्त के लिये निर्धारित)
तारांकित प्रश्न

विनगर एवं राजनगर कालोनी गाजियाबाद (मेरठ) के लिये पानी निकासी योजना की मांग

*1—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी की गाजियाबाद, जिला मेरठ में इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट गाजियाबाद द्वारा निर्मित कवि नगर एवं राज नगर कालोनियों के बरसाती पानी निकलने का कोई साधन न होने के कारण प्रतिवर्ष वर्षा काल में उपरोक्त कालोनियों, में भारी पानी भर जाने से लाखों रुपये की क्षति उठानी पड़ रही है ? क्या यह भी सच है कि स्थानीय स्वदेशी पालीटेक्स लिमिटेड का सारा पानी उक्त कालोनियों में भरा रहता है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

(क) कविनगर एवं राजनगर कालोनियों में बहुत भारी वर्षा होने पर थोड़ा बहुत पानी भर जाता है परन्तु उससे कभी कोई विशेष क्षति देखने में नहीं आयी है।

(ख) स्थानीय स्वदेशी पालीटेक्स लिमिटेड ने पानी पम्प करके आबादी के बाहर फेंकने का स्थायी तौर से प्रबन्ध कर रक्खा है। परन्तु कभी-कभी पम्पों में यांत्रिक खराबी हो जाने के कारण कुछ पानी कविनगर कालोनी की आबादी के बाहर खुदे बड़े कच्चे नाले में आ जाता है जो कि कुछ समय के बाद निकल जाता है।

(ग) उपरोक्त कलोनी तथा अन्य क्षेत्र के बरसाती पानी को निकालने के स्थायी प्रबन्ध हेतु सुधार मण्डल, गाजियाबाद द्वारा रुपया 65 लाख लागत की एक योजना बनाई जा रही है।

श्री कल्याण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि इससे विशेष क्षति नहीं होती है। लेकिन मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि वहां इतना पानी भर जाता है कि मकानों में घुस जाता है। यह सच है कि नाला खोदा गया है लेकिन वह इतना चौड़ा और गहरा नहीं है कि वह स्वदेशी पालिटिक्स को बर्बाद होने से रोक सके लेकिन कविनगर और राजनगर से आगे जाकर नाले को एक भूतपूर्व जमींदार हरसरनदास ने रोक दिया है जिससे आगे पानी नहीं जाता है और कविनगर तथा राजनगर में वापस भर जाता है और गाजियाबाद की स्थिति खराब हो रही है तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे और जिस व्यक्ति ने नाला रोक रखा है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ताकि कविनगर और राजनगर इस परेशानी से बच सकें ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जिस शख्स ने नाला रोक रखा है उसके खिलाफ जरूर कार्य वाही करेंगे। लेकिन सब से बड़ी चीज इसमें यह थी कि इसके चार कांस्टीटुएन्टस थे जिनको योजना की लागत का अपने क्षेत्र के अनुसार हिस्सा देना है। इनमें से सुधार मंडल, गाजियाबाद अपना पूर्ण हिस्सा वहन करने को तैयार है नगरपालिका यू० पी० स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने और सब ने आसान किस्तों में अपने हिस्सों को देने का आश्वासन दिया है। केन्द्रल केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से सुधार मंडल द्वारा काफी प्रयत्न करने पर भी अभी तक कोई जबाव नहीं आया है। जहां तक स्वदेशी पालिटेक्स के पानी के निस्तारण का प्रश्न है इनसे तथा सुधार मंडल से इकरारनामा किया जा रहा है जिसमें इनको साढ़े 5 लाख रुपये देने होंगे जब यह चीज हो जायगी तो हर सम्भव प्रयास किया जायेगा। वैसे पानी निकालने के लिये पम्प की व्यवस्था की गई है और अगर कोई टेक्नीकल खराबी नहीं होती है तो पानी निकल कर स्वयं चला जायेगा।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

माननीय कल्याण सिंह जी ने जो प्रश्न किया है उसमें मेरी जानकारी है कि बरसाती पानी मकानों में घुस जाता है और स्वदेशी पालिटेक्स में जो पम्प लगा है, वह इतना पानी नहीं फेंक पाता है और वह पानी सारे इंडस्ट्रियल एरिया में फैल रहा है तो क्या मंत्री जी पानी निकालने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, ठीक व्यवस्था करने के लिये भी यह योजना बनायी गयी है। 3 कांस्टीटुएन्टस सुधार मंडल नगरपालिका यू० पी० इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने इसे स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार के केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग से बातचीत चल रही है।

उनसे अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, ज्यों ही आश्वासन मिल जायेगा काम शुरू हो जायेगा।

श्री सन्त सिंह यूसुफ—

टेक्निकली तो मेरा सवाल शायद 'ए' कैटेगरी में न आये लकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो सीवरेज का पानी होता है वह जमा होकर किवेन तक पहुचता है, तो हर जगह ऐसा है। क्या आप इमीजियेटली पानी निकालने का प्रबन्ध कर देंगे ऐसा मैं जानना चाहता हूं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसी सदन में सुनने को मिला कि मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि सारी जानकारी हासिल हो जाने के बाद जहां तक सम्भव होगा कार्यवाही की जायेगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

गाजियाबाद में अमीर लोगों की बस्ती है जमीन खरीद कर लोगों ने बस्ती, बनायी है। उन लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा कर इस कार्य को करा लेना चाहिये। सरकार को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

नगर पालिका गाजियाबाद है वह इसको करेगा ही।

श्री कल्याण सिंह—

सुधार मण्डल, गाजियाबाद ने जो योजना तैयार की है 64 लाख रुपये की वह क्या है और वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, यह योजना 1970–71 में तैयार हुई थी और इससे 4 संस्थायें लाभान्वित होंगी। भारत सरकार से इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हो रहा है। 3 की स्वीकृति मिल चुकी है और जब भारत सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्वीकृति मिल जायेगी तो कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

लघु कृषक विकास एजेन्सी, बदायूं द्वारा किसानों को दी गयी सुविधायें

*2—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बदायूं के किन-किन ब्लाकों में किस-किस तिथि से स्माल फार्मर्स डेवलपमेंट एजन्सी ने कार्य किया और उन तारीखों से अब तक कितने-कितने भूमि वाले किसानों को क्या-क्या सुविधायें किस-किस योजना पर अब तक दी गईं और उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार हुई या नहीं, क्या सरकार उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

लघु कृषक विकास एजेन्सी, बदायूं जनपद के आसफपुर, बिसौली (बिसौली एवं इस्लाम नगर), सहसवान (सहसवान एवं बहगांवां) तथा गुन्नौर एवं जुनावई विकास खण्डों में दिनांक 15–8–70 से और अन्बियापुर, बिनावर तथा वजीरगंज विकास खण्डों में 1–1–71 से कार्य कर रही हैं।

एजेन्सी द्वारा किसानों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण संलग्न है ।

एजेन्सी की वर्ष 1970–71, 1971–72 तथा 1972–73 की वार्षिक रिपोर्ट्स की एक-एक प्रति†संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 347 पर)

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस एजेन्सी के पदाधिकारी और सदस्य कौन हैं और कोई गैर सरकारी सदस्य भी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

गैर सरकारी सदस्य नहीं हैं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यह जानकारी नहीं है कि इसके सदस्य कौन-कौन हैं लेकिन यह जानकारी है कि कहां-कहां और किन-किन एजेन्सियों को कितना धन दिया गया है और डेवलपमेंट के कौन-कौन छापी हुए हैं ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अगर गैर सरकारी सदस्य नहीं हैं तो उनको शामिल करने पर विचार करेंगे ?

श्री राज मंगल पांडेय—

सरकार सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों के विवाद में नहीं पड़ना चाहती लेकिन जो काम हुआ है वह इतना अच्छा है कि . . . .

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि लघु विकास एजेन्सी जो है उसमें गैर सरकारी सदस्य नहीं हैं तो क्या आप कोशिश करेंगे कि गैर सरकारी सदस्य उसमें हो जायं ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जो व्यवस्था ठीक से चल रही है, तो उसमें व्यवधान डालने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को जो अनुदान दिया जाता है, उसमें आपका आधार क्या है ? और प्रार्थना-पत्र देने के कितने दिन बाद आप अनुदान देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस पुस्तिका में यह सब ब्यौरा दिया हुआ है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र दिए जाते हैं, क्या वे विकास खंडों पर लिये जाते हैं या उनके लिए बदायूं जाना पड़ता है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

[illegible] पढ़कर सारी [illegible] का विस्तारण कराती है ।

---

†छापी नहीं गयी

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अनुदान के बारे में जो प्रार्थना-पत्र आते हैं, जिन कृषकों को अनुदान दिया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, किस मद में कितना रुपया मिलता है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

इसकी प्रक्रिया क्या है, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। ये सारे किसान 3 कैटेगरीज में विभक्त हैं। एक कैटेगरी है 0 एकड़ से 2.5 एकड़ तक, दूसरी कैटेगरी 2.5 एकड़ से 7.5 एकड़ तक और तीसरी 5 एकड़ से 7 1/2 एकड़ के बीच या इससे अधिक जो हैं इनके लिए अलग-अलग योजनायें हैं, और उनके माध्यम से ऋण की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। जैसे अल्प सिंचाई में 15 लाख 96 हजार रुपया, कृषि के लिए 2 लाख 15 हजार रुपया, पशुपालन के लिए 9 लाख 4 हजार रुपया, कस्टम सर्विस के लिए 0.25 हजार रुपया और ग्रामीण शिल्पकार योजना में 40 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

श्री अध्यक्ष—

यह सब तो उत्तर के साथ दिए गये विवरण में दिया हुआ है।

जनपद, बदायूं के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*3—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बदायूं के स्वास्थ विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, बरती गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में मई, 1974 में कोई शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां। मामले की जांच कराई जा रही है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें आई हैं, वे किन-किन व्यक्तियों से आई हैं और उनमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरे पास जो पेपर उपलब्ध हैं, उसमें एक श्री रामचन्द्र सिंह, ब्लाक प्रमुख, बिनावर बदायूं की है। उन्होंने शिकायत की है और यह लिखा है कि उप-मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो कि आजकल परिवार नियोजन विभाग भी देख रहे हैं, डाक्टर एस0 बनर्जी, उनके कार्यालय में जब से उन्होंने यह कार्य संभाला है, कर्मचारियों के साथ काफी अन्याय किया जा रहा है। समय पर वेतन किसी कर्मचारी को नहीं दिया जाता है, यहां तक कि कर्मचारियों के वेतन में से रुपया लिया जाता है यदि रुपया नहीं दिया जाता है तो कर्मचारी को परेशान किया जाता है। अभी तक कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया गया है। जिन कर्मचारियों ने पैसा दे दिया उनका काम कर दिया गया। वार्षिक वृद्धि व ई0 बी0 समय से क्रास नहीं की जाती है, वह कार्य पैसा लेकर ही किया जाता है। गलत स्थानान्तरण पैसे लेने की वजह से किए जाते हैं जो पैसा दे देता है, उसका स्थानान्तरण मनचाही जगह पर कर दिया जाता है। नई पोस्टिंग भी बगैर पैसे के नहीं की जाती है। दाइयों की ट्रेनिंग जो नौ माह की होती है, उनको 15 व 20 रुपया माह छात्रवृति के रूप में दिया जाता है जो कि 9 माह पूरे होने के बाद ही दिया जाता है। कई दाईयों, जिन्होंने कई माह पूर्व यह प्रशिक्षण पूरा

कर लिया है, परन्तु उनको अभी तक परीक्षा के आदेश नहीं दिए गये हैं, उनसे पैसा मांगा जाता है। इस प्रकार से ये सारी चीजे हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जांच किस एजेन्सी द्वारा कराई जा रही है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यह शिकायती-पत्र, मूल रूप में स्वास्थ्य सेवा निदेशक को मामले की तत्काल जांच क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, बरेली क्षेत्र, बरेली द्वारा कराकर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु 14 अगस्त, 1974 को भेज दिया गया ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो अभी तक जांच हुई है, उसकी प्रगति क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

यह शिकायत दिनांक 15-5-74 की है । माननीय सदस्य को भी मालूम है कि जांच के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशक से रीजनल आफिसर को भेजी गयी। व जांच कर रहे हैं, जांच कराने मे समय तो लग जाता है ।

श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

जो आपको शिकायती-पत्र मिला उसके कितने दिन बाद वह जांच शुरू हुई है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

शासन के पास बहुत से काम हैं, उनमें यह भी एक काम है । जो रिपोर्ट आई है उस पर जांच के लिये 14 अगस्त से पहले भेजा गया था फिर रिमाइंडर भेजा गया है, इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 11 मई को आपने जांच के लिए भेजा और यह प्रश्न किया गया 7-6-74 को तो इतने दिनों के बीच में क्या जांच हुई ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री काशी नाथ मिश्र—

मुझे जानकारी है कि पूरा स्वास्थ्य विभाग ही बीमार है और इस तरह से पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य बीमार है तो मैं जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और कोई काम नहीं हुआ है उसको ठीक करने के लिये कौन-सा कदम उठाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह जनरल सवाल है। मैं मानता हूं आपका मौलिक प्रश्न है, लेकिन आपने पूरे स्वास्थ्य विभाग के बारे में पूछा जिसे आपने बीमार कहा ।

श्री राम सेवक यादव—

11 मई को आपको शिकायत मिली और रिमाइंडर 14 अगस्त को भेजा और कहते हैं कि पहली शिकायत जांच के लिये 14 अगस्त के पहले भेजी तो निश्चित तारीख बतला दें जिससे कि मालूम हो जाय कि विभाग में कितनी एफिशियेंसी है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मैं कह चुका हूं कि बताने में असमर्थ हूं, पहले लिखा गया होगा। 14 अगस्त से।

बुगरासी (बुलन्दशहर) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग

*4—श्री निर्भय नारायन सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित), श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित) तथा श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार नगर क्षेत्र बुगरासी, जिला बुलन्दशहर में नगर की तथा बुगरासी के निकट ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वहां एक प्राइमरी हेल्थ सेन्टर स्थापित करने पर ध्यान देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजमंगल पांडेय—

इस वर्ष प्रदेश में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की कोई योजना न होने के कारण तथा ग्राम बुगरासी से लगभग तीन किलोमीटर दूर ग्राम माकड़ी में एक आयुर्वेदिक औषधालय क्षेत्र की जनता की सेवा हेतु उपलब्ध होने के कारण बुगरासी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना सम्भव न हो सकेगी।

जिला बस्ती में क्रैश कार्यक्रम के अन्तर्गत भुगतान की गयी धनराशि में बरती गयी अनियमितता

*5—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1972 से जुलाई, 1974 तक क्रैश कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्ती जिले में कितना रुपया भुगतान किया गया? जो रुपया भुगतान किया गया उसमें से कितने रुपये के बिलों की छानबीन वित्त अधिकारी ने किया था? एवं कितनी धनराशि का बिल बिना छानबीन के जिला नियोजन अधिकारी ने स्वयं किया था? क्या सरकार इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्रैश कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्ती जिले में 31 मार्च, 1972 से जुलाई, 1974 तक कुल 29, 21, 287 रुपये 71 पैसे का भुगतान किया गया। इस धनराशि में से 15, 19, 131 रुपये 27 पैसे का भुगतान वित्त परामर्शदाता की छानबीन के पश्चात् किया जाना था जिसका भुगतान वित्त परामर्शदाता की छानबीन के पश्चात् ही किया गया। 14,02,156 रुपये 44 पैसे की धनराशि कोष से आहरित करके विभिन्न क्षेत्र निधियों में सीधे हस्तान्तरित कर दी गयी थी जिस पर वित्त परामर्शदाता द्वारा छानबीन की आवश्यकता नहीं थी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो उत्तर दिया है कि 31 मार्च, 1972 से जुलाई, 74 तक रु० 29,21,287.71 का भुगतान किया गया और इसमें से केवल रु० 15,19,131.27 का भुगतान वित्तीय परामर्श दाता की छानबीन के पश्चात् किया गया, शेष भुगतान क्षेत्र समितियों को ट्रांसफर कर दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में कुछ का भुगतान जिला के वित्त अधिकारी महोदय की छानबीन के बाद होता है और कुछ का भुगतान क्षेत्र समितियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है? ऐसा क्यों हुआ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जिला परामार्शदात्री समिति ने 6 मई, 1972 को यह निर्णय लिया कि सीधे क्षेत्र समितियों में यह धन दिया जाय ताकि काम करने में कोई कठिनाई न हो। उसी निर्णय के अनुसार ऐसा किया गया।

श्री ऊदल—

जो रुपया ब्लाक्स में क्षेत्र समितियों को दिया गया क्या उसके बारे में जांच की गयी कि उस रुपये का उपयोग हो गया या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जो धन जिला परामर्शदात्री समिति ने क्षेत्र समितियों को देने के लिये आदेश किया उसका कार्य सम्पन्न हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरे प्रश्न का मान्यवर ठीक उत्तर नहीं आया। प्रश्न यह था कि जो रुपया भुगतान किया गया उसमें से कितने रुपये के बिलों की छानबीन वित्त अधिकारी ने की थी एवं कितनी धनराशि का बिल बिना छानबीन के जिला नियोजन अधिकारी ने स्वयं किया था ? क्या कोई शिकायत आयी कि कुछ अनियमितता है तब वह ट्रांसफर किया गया या जिला परामर्शदात्री समिति ने स्वतः कोई ऐसा निर्णय लिया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जैसा कि मैंने निवेदन किया, सरकार की तरफ से सारा धन जिलाधीश के नाम से आवंटित किया जाता है। जिलाधीश, जिला परामर्शदात्री समिति के भी अध्यक्ष हैं। जिला परामर्शदात्री समिति ने 6 मई, 1972 को यह निर्णय लिया और उस निर्णय के अनुसार यह धन सीधे क्षेत्र समितियों को आवंटित कर दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

31 मार्च, 1972 से मेरा प्रश्न था और 6 मई को जिला परामर्शदात्री समिति ने निर्णय लिया। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 31 मार्च और 6 मई के बीच ही आधे से ज्यादा धनराशि का भुगतान हो गया था। तो क्या इस भुगतान में कोई वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार, गबन आदि की शिकायत शासन को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो वह शिकायत क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कुछ शिकायतें मिली थीं उन पर जांच जारी है। अभी तक जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। मेरे पास जो सूचना है कि जितना धन बस्ती जिले को दिया गया था वह पूरे का पूरा व्यय हो गया और जितना कार्य होना था वह पूरा हो चुका है।

नगरपालिका हाथरस (अलीगढ़) के सदस्य की सदस्यता समाप्ति की संस्तुति

*6—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा ने अपने पत्रांक 3468, दिनांक 28-7-73 के द्वारा नगरपालिका हाथरस, जिला अलीगढ़ के कुछ सदस्यों की म्युनिसिपैलटीज ऐक्ट, 1966 की धारा 40 (3) के अधीन सदस्यता समाप्त किये जाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र क्या है

[श्री कल्याण सिंह]

तथा किस-किस सदस्य की किन-किन आरोपों के अन्तर्गत सदस्यता समाप्त किये जाने का उल्लेख है ? क्या सम्बन्धित सदस्यों से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था जो सरकार को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो स्पष्टीकरण किन मुद्दों पर मांगा गया था और स्पष्टीकरण क्या है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याण सिंह—

मुझे भारी खेद है कि माननीय मंत्री जी को उनके विभाग के अधिकारियों ने सही सूचना नहीं दी है। मैं केवल एक ही प्रश्न करके समाप्त कर दूंगा। मेरी सूचना यह है कि नगरपालिका, हाथरस, जिला अलीगढ़ के एक सदस्य, श्री श्रीकृष्ण द्विवेदी ने नजूल के प्लाट न0 888 पर अवैध कब्जा किया और उसको किराये पर उठा रखा है। जब शिकायत हुई तो आगरा के आयुक्त ने जांच की और जांच के बाद पत्र संख्या 3438, दिनांक 28-7-74 के द्वारा म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट, 1966 की धारा 40 (3) के अन्तर्गत शासन को लिखा कि चूंकि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है इसलिये इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाय। इसके आधार पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्या आपने वाकई नजूल के प्लाट नं0 888 पर अवैध कब्जा किया हुआ है। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में 888 नम्बर प्लाट का कोई जिक्र नहीं किया और 844 नम्बर के प्लाट के बारे में बताया। मेरी सूचना यह है कि उन्होंने यहां मिल कर उस फाइल को गुम करा दिया है। लेकिन आगरा मंडल के आयुक्त के कार्यालय में उस पत्र की प्रति आज भी मौजूद है। तो क्या मंत्री जी इस सारे घोटाले की फिर से जांच करवा कर सदन को उससे अवगत करायेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य को पूरी जानकरी नहीं है। जिला अधिकारी ने एक नोटिस दिया और स्पष्टीकरण भी उनका मांगा मगर उन्होंने आरोपों को अस्वीकार किया और कहा कि यह भवन हमारा नहीं है, भू देवी से संबंधित है। इस संबंध में कमिश्नर ने फिर से जांच के आदेश दिये फिर भी उन्होंने यही कहा कि हमारा उस भवन से कोई संबंध नहीं है। कमिश्नर ने कोई नोटिस नहीं दिया, इसीलिये मैंने कहा कि कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्याण सिंह—

उनका स्पष्टीकरण 888 नं0 के संबंध में है या 884 के ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

उन्होंने 884 के बारे में अस्वीकार किया है अपने अभिलेखों में।

एक सदस्य—

मैं माननीय कल्याण सिंह जी से यह पूछना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप सरकार से पूछ सकते हैं, माननीय सदस्य से नहीं।

एक सदस्य--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जन संघ दल ने कार्यकारिणी के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

श्रीमन्, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। 884 के बारे में उन्होंने यह कह दिया कि हमारा उससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री कल्याण सिंह--

884 के बारे में मैंने नहीं पूछा था, उससे हमारा संबंध नहीं था। 888 के बारे में था कि वह अवैध रूप से बना या नहीं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

उसके बारे में तो उन्होंने कहा कि कोई भू देवी हैं उनका है वह, हमसे कोई संबंध नहीं है। इसलिये इस स्पष्टीकरण को फिर से जांच के लिये दिया गया है।

*7--श्री मधुकर दिघे तथा श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

[13 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*8--श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

[12 वें गुरुवार में प्र0 सं0 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

विकास खण्ड हरैया (आजमगढ) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य चिकित्सक के विरुद्ध शिकायत

*9--श्री जगदीश मिश्र (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड हरैया, जिला आजमगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य चिकित्सक के विरुद्ध आम जनता एवं उनके अधीन काम करने वाले कई कर्मचारियों के शिकायती पत्र "3 मास" के अन्दर सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और उस पर कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

भूमि विकास बैंक, गोरखपुर द्वारा सिंचाई साधन हेतु ऋण प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार

*10--श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)--

द्वितीय सत्र विधान सभा के दिनांक 9 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के भूमि विकास बैंक द्वारा सिंचाई साधन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार किये जाने का आधार क्या है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--

गोरखपुर जनपद के सम्बन्धित भूमि विकास बैंक द्वारा सिंचाई साधन हेतु दिये गये ऋण प्रार्थना-पत्रों में से एक रेकार्ड आपरेशन के कारण तथा दो भूमि सम्बन्धी विवाद के

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कारण अस्वीकार किये गये तथा एक प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा वापस ले लिया गया। इसके अतिरिक्त 18 ऋण प्रार्थना-पत्र आपत्तियों के निराकरण न होने के कारण अभी लम्बित हैं।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन प्रार्थना पत्रों को आपत्तियों के कारण निरस्त किया गया है उन प्रार्थना पत्रों में किस प्रकार के पम्पिंग सेट्स के लिए मांग की गयी थी ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मान्यवर, वे निरस्त हो गये थे, इसलिये और डिटेल में पम्पिंग सेट वगैरह की कोई सूचना है नहीं।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने रिश्वत के पैसे नहीं दिये थे उनके प्रार्थना-पत्र निरस्त किये गये और जिन लोगों ने रिश्वत में पैसे दे दिये थे उनके प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये, क्या वे इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

श्रीमन्, कारण तो उत्तर में ही बतला दिया गया है कि रेकार्ड आपरेशन नहीं हुआ किसी का, चारों के अलग-अलग कारण बतलाये गये हैं, इसलिये और कारण खोजने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री जंग बहादुर वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी किसी अन्य अधिकारी से इसकी जांच करायेंगे कि जब रिश्वत दे दी जाती है तो वह कारण पूरा हो जाता है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जी हां, जांच करायेंगे लेकिन मैंने पहले ही बतला दिया है कि कारण दे दिये गये हैं। फिर भी मैं जांच करा लूंगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो 18 प्रर्थना-पत्र अब तक बाकी पड़े हैं वे कितने दिनों से बाकी पड़े हैं ? कब दरख्वास्त दी गयी थी और वे किन-किन कारणों से अब तक बाकी पड़े हैं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

मुख्य प्रश्न में ही पहले था कि 72-73 और 73-74 की दरख्वास्तें थीं, इनमें से कुछ को स्वीकार किया गया, 4 निरस्त हुईं और 18 बाकी जो हैं वे अभी तक निलम्बित हैं।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन प्रार्थना-पत्रों पर आपत्ति लगायी गयी है, उस आपत्ति के लगाने का आधार क्या था और उसकी सूचना क्या प्रार्थी को दी गयी ? यदि दी गई तो कब दी गयी और यदि नहीं दी गयी तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

जो हमारे पास 18 हैं सब के अलग-अलग कारण हैं। कहीं मौलिक अधिकार नहीं था तो कहीं कोई सार्टिफिकेट नहीं आया, कहीं कोई बकाया है तो बकाया की वजह से कुछ नहीं हो सका। इस तरह अलग-अलग प्रार्थियों के अलग-अलग कारण थे। जैसे ही उनका निराकरण हो जायेगा, अगर वे पैसा चाहेंगे तो ऋण के तौर पर उनको पैसे दिये जायेंगे।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो आपत्तियां लगायी गयीं है, क्या उसकी कोई सूचना प्रार्थी को दी गयी है ? या अपने आप रद्द करके रख दिया गया है ? अगर कोई सूचना दी गयी है तो वह किन-किन तारीखों को दी गयी है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---

मान्यवर, जो सूचना हमारे पास है उसके आधार पर सबको सूचना दी गयी है और मैं अन्त में निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इन 18 में से माननीय सदस्य का भी नाम है। इनको मौलिक रूप से सूचना दी गयी और लिखित रूप से भी सूचना दी गयी है और अभी तक इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है।

*11-12---श्री जफर आजमी---

[माननीय अध्यक्ष के निम्न आदेशानुसार स्थगित किये गये।]

श्री राज मंगल पाण्डेय---

अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर गलती से कहीं छूट गया है।

श्री ऊदल---

मान्यवर, पांडे जी को वार्निंग दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैंने इसको कल तक के लिये स्थगित कर दिया है। प्रश्न 11-12 का उत्तर कल आयेगा।

आप पहले पर ही प्रश्न पूछ लें।

भूमि विकास बैंक, जौनपुर द्वारा किसानों को पम्पिंग सेट हेतु दिया गया ऋण

*13---श्री उमा नाथ (जिला जौनपुर)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1970 से जून, 1974 तक जौनपुर भूमि बन्धक बैंक से पंपिंग सेट लगवाने हेतु कितने किसानों को कर्ज मिला ? क्या किसानों को जौनपुर की कुछ विशेष दुकानों से ही खरीदने के लिये बाध्य किया गया ? यदि हां, तो क्यों और उन दुकानदारों के नाम क्या हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जनवरी, 1970 से जून, 1974 तक भूमि विकास बैंक, जौनपुर से कुल 1,170 किसानों को पम्पिंग सेट लगवाने हेतु कर्ज मिला। किसानों को जौनपुर की किसी भी विशेष दुकान से पम्पिंग सेट क्रय हेतु बाध्य नहीं किया गया।

प्रदेश में हुई नसबन्दी में मुस्लिम सम्प्रदाय का प्रतिशत

*14—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1974 में अब तक प्रदेश में कितनी नसबन्दी हुई तथा इस संख्या में मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों का प्रतिशत क्या रहा ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जनवरी से जुलाई, 1974 तक 14,390 नसबन्दी हुईं। इस अवधि का जातिवार वर्गीकरण अभी तक कुल 4,453 केसेज का ही उपलब्ध है जिसके अनुसार मुस्लिम सम्प्रदाय का योगदान 12.4 प्रतिशत है।

कृषि अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय के कर्मचारियों का कार्य काल

*15—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी), श्री शिव कैलास (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री नन्दराम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1—7—74 तक जिला कृषि अधिकारी, उन्नाव के कार्यालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें 4 से 15 वर्ष एक ही स्थान पर सेवा करते हो गये हैं और ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको इस अवधि या इस अवधि से कम समय में ही स्थानान्तरित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां 15,

चार

चार विघटित विकास खण्डों के पुनर्गठित होने के फलस्वरूप।

ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के प्रधानाचार्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच रिपोर्ट

*16—श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के वर्तमान प्रधानाचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच सरकार ने वर्ष 1972—73 में करवाई थी ? यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले तथा सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां।

जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजपुरा क्षेत्र मिलक रामपुर के लिये डाक्टर और भवन की मांग

*17—श्री सोहन लाल लाठ (जिला रामपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि प्रारम्भिक स्वास्थ्य, रजपुरा क्षत्र मिलक, जिला रामपुर में अब तक डाक्टर की नियक्ति नहीं हुई ना ही दवाखाने की बिल्डिंग ही बनी है ? यदि हां तो सरकार इसके प्रबन्ध के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजपुरा क्षेत्र मिलक, जिला रामपुर में डाक्टर तैनात कर दिया गया है। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अपना भवन निर्माण करने का प्रस्ताव पंचम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजपुरा पंचायत भवन में स्थापित है।

*18—श्री शिव कैलाश—

[9 वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, देवरिया की भूमि का क्षेत्रफल और उस पर व्यय की गयी धन राशि

*19—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जनपद में कोई बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र खुला हुआ है? यदि हां, तो उसके अन्दर कितनी भूमि है और आज तक इस पर कुल कितना खर्च हो चुका है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। इस प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 37.12 एकड़ भूमि है और दिनांक 31-7-1974 तक इस पर रु० 1,43,550.90 खर्च हुए हैं।

आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक लि० की शाखाओं में हरिजन कर्मचारी

*20—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सहकारी बैंक की कितनी शाखायें जिले में खोली गई हैं, और कुल कितने कर्मचारी सेवारत हैं और सेवारत कर्मचारियों में से कितने हरिजन हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आजमगढ़ जिला सहकारी बैंक लि० की 15 शाखायें जिले में खोली गई हैं। इन शाखाओं में कुल 55 कर्मचारी सेवारत हैं। सेवारत कर्मचारियों में तीन हरिजन हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के चिकित्साधिकारियों को देय प्रतिकर भत्ता

*21—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों के चिकित्साधिकारियों को प्रतिकर भत्ता नहीं दिया गया है? यदि हां, तो कब से और क्या सरकार संबंधित चिकित्साधिकारियों को यह भत्ता शीघ्र दिला देगी?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

जी हां।

वेतन आयोग (71-72) द्वारा संस्तुत नये वेतनमान चुनने की तिथि से यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

मोहल्ला मेन्दीटोला, लखनऊ की सड़क का निर्माण

*22—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला मेन्दी टोला में एक सड़क जो चुन्गी से हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ तक के लिये बनाने हेतु स्वीकृत हुई थी और जिस पर खडंजा सन् 1973 में बिछा दिया गया था अब तक वह अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो बाकी क्या सरकार शीघ्र सड़क बनवाने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां ।

उक्त सड़क को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जायगा ।

*23—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

लखनऊ महिला अस्पताल की स्टाफ नर्सें व पब्लिक हेल्थ ट्यूटर की जमानत की धनराशि का भुगतान

*24—श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ महिला अस्पताल में वर्तमान काम करने वाली ऐसी कितनी स्टाफ नर्सें तथा पब्लिक हल्थट्यूटर है जिनके जमानत के रुपये के भुगतान के आदेश उप निदेशिका, नर्सिंग के नवम्बर, 1969 में किये जाने पर भी भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां, तो उन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्रश्नगत चिकित्सालय में केवल एक पब्लिक हैल्थ नर्स ट्यूटर के अतिरिक्त कोई ऐसी अन्य पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर या स्टाफ नर्स नहीं है जिसकी जमानत की धनराशि को भुगतान के आदेश उप-निदेशक नर्सिंग द्वारा नवम्बर, 1969 में हुये हैं। केवल एक पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर के बारे में तत्कालीन सिविल सर्जन, उन्नाव को भुगतान के आदेश दिये गये थे। क्योंकि उस समय वे वहीं तैनात थीं । चूंकि वह धनराशि लखनऊ पोस्ट आफिस में जमा थीं, अतः उसे उन्नाव पोस्ट आफिस में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सी0एम0 ओ0, उन्नाव द्वारा बराबर लिखा पढ़ी की गयी किन्तु अभी तक उक्त एकाउन्ट उन्नाव स्थानान्तरित नहीं हो सका है। चूंकि इस मामले में लखनऊ पोस्ट आफिस को बराबर लिखा जाता रहा है। अतः भुगतान के बिलम्ब के लिये विभाग का कोई कर्मचारी दोषी नहीं है। अतः कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ महिला अस्पताल की स्टाफ नर्सों की पदोन्नति

*25—श्री बृजपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी कितनी स्टाफ नर्सें हैं जो 21 अक्तूबर, 1972 में स्थायी घोषित की गई, किन्तु उनको सिस्टर के पदों पर अगस्त 31, 1973 तथा जून 6, 1974 के आदेशों में वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

केवल 15 स्टाफ नर्सें ऐसी थीं जिन्हें 21 अक्तूबर, 1972 को स्थायी घोषित किये जाने के बावजूद सिस्टर के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी। इनमें से 14 को चरित्र पंजी की प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण तथा एक को सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण का डिप्लोमा न होने के कारण प्रोन्नति नहीं दी जा सकी ।

कासगंज नगरपालिका (एटा) के सन्ट्रलाइज सर्विस के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*26--श्री मानपाल सिंह, एडवोकेट, (जिला एटा) --

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कासगंज नगरपालिका, जनपद एटा में कितने सेन्ट्रलाइज सर्विस के ऐसे कर्मचारी हैं जिनका जब से नियुक्ति नगरपालिका में हुई है तब से आज तक उनका अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया गया और वह कौन-कौन हैं ? और उनके स्थानान्तरण कितनी बार हुए हैं तथा कितनी बार रुके हैं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय--

नगरपालिका, कासगंज के श्री हरि ओम शर्मा, अधिदर्शक अब स्थानापन्न नगर अभियन्ता तथा श्री चन्द्र प्रकाश गौड़, लेखाकार दो ऐसे सेन्ट्रलाइज सर्विस के कर्मचारी हैं जिनका अन्य स्थानान्तरण नहीं हुआ। श्री हरि ओम शर्मा के स्थानान्तरण के आदेश वर्ष 1970, 1971 व 1972 में किये गये परन्तु जनहित में निरस्त कर दिये गये थे।

नगरपालिका कासगंज (एटा) को अतिक्रमित करने का आधार एवं उसका चुनाव कराने की मांग

*27--श्री मानपाल सिंह, एडवोकेट--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, कासगंज, जनपद, एटा किन परिस्थितियों में सुपरसीड की गई थी और उसका चुनाव कब तक हो जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नगरपालिका, कासगंज को इसके निर्वाचित बोर्ड के प्रशासन में निरन्तर ह्रास, बोर्ड द्वारा अपने कर्त्तव्यों के पालन करने से जानबूझ कर चूक करने, अपनी आर्थिक स्थित बिगाड़ने, गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के कारण दिनांक 18 जून, 1970 को अतिक्रमित किया गया था।

नगरपालिका, कासगंज मे भी प्रदेश की अन्य अतिक्रमित व मध्यावधि गठित नगरपालिकाओं के साथ चुनाव कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

जलकल अभियन्ता, नगरपालिका कोंच (जालौन) के बहाली का आदेश

*28--श्री आनन्द स्वरूप (जिला जालौन)--

क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि जिला जालौन में जल कल अभियन्ता, नगरपालिका, कोंच को कुछ समय पूर्व निलम्बित किया गया था और अब उनको बहाली के आदेश जारी हो गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय--

जी हां, श्री दयाराम यादव, जल-कल अभियन्ता, नगरपालिका, कोंच जिला जालौन की बहाली के आदेश दिनांक 17 अगस्त, 1974 को जारी हो गये हैं।

*29—श्री शिव कुमार पाण्डेय तथा श्री जय राज गौतम—

[13 वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, उतरौला, (गोंडा) में घाटा

*30—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा), श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा), तथा श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि क्रम-विक्रम सहकारी समिति, उतरौला, जिला गोन्डा में 86,900 का घाटा आडिट नोट्स से प्रकाश में आया तथा उक्त घोटाले की रिपोर्ट थाना उतरौला में दिनांक 17-5-72 को दर्ज हुई ? यदि हां तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

समिति के तत्कालीन सचिव निलंबित हैं तथा उनके विरुद्ध पुलिस विशेष अनुसंधान शाखा, सहकारी समितियां फैजाबाद द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रदेश में डाक्टर विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

*31—श्री श्याम मिश्रा (जिला कानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में कितने ऐसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हैं जहां पर कोई डाक्टर नहीं है ? ऐसे प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर डाक्टरों की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राजमंगल पांडेय—

प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर तैनात कर दिये गये हैं ।

यह प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मेडिकल आफीसर इन्चार्ज का कार्य-काल

*32—श्री श्याम मिश्रा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय कितने ऐसे मेडिकल आफिसर इन्चार्ज हैं जिनको एक ही स्थान पर तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष से अधिक हो चुके हैं किन्तु उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

तीन वर्ष से ऊपर एक ही स्थान पर तैनात 282 (पुरुष 263 तथा महिला 19) एवं पांच वर्ष की अवधि के ऊपर के 4 (पुरुष 1 तथा महिला 3) मेडिकल आफिसर इन्चार्ज का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ।

मेरठ की क्षेत्रीय सहकारिता समिति व साधन सहकारी समिति में गबन संबंधित मुकदमें

*33—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ के सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्रीय सहकारिता समिति व साधन सहकारी समिति के गबन के अलग-अलग कितने और

किन-किन के खिलाफ मुकदमें पुलिस, मेरठ को 1 जनवरी, 1974 से 11-7-74 तक सुपुर्द किये गये ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 348 पर।)

सहकारी संघ तालग्राम (फर्रुखाबाद) में भ्रष्टाचार की शिकायत

*34—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ ताल ग्राम, जिला फर्रुखाबाद में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार व सरकारी धन के दुरुपयोग की कोई शिकायत शासन को जुलाई, 1973 में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

शिकायती-पत्र शिकायतकर्ता ने जिला अधिकारी को भेजा था।

जांच अधिकारी ने अपनी आख्या अपने पत्र दिनांक 21-6-74 द्वारा प्रेषित की। उसके आधार पर जिला अधिकारी ने कोई अग्रिम कार्यवाही की आवश्कता नहीं समझी ।

स्वास्थ्य अधिकारी, परतावल (गोरखपुर) के निलम्बन का आदेश

*35—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि स्वास्थ्य केन्द्र, परतावल, जिला गोरखपुर के तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी (डा० जी० डी० त्रिपाठी) को फर्जी नसबन्दी करने के कारण शासन ने एक माह पूर्व ही अनुलम्बित करने का आदेश दिया लेकिन 9 जुलाई, 1974 तक वह आदेश कार्य रूप में परणित न हो सका ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां,

कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाई के कारण निलम्बन आदेश की तामील डा० जी० डी० त्रिपाठी पर नहीं हो सकी है ।

फैजाबाद जिला सहकारी सभा के अध्यक्ष के विरुद्ध गबन का मुकदमा

*36—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिला सहकारी सभा के अध्यक्ष श्री विश्वनाथ कपूर भू० पू० एम० एल० ए० के विरुद्ध जिला सहकारी बैंक में गड़बड़ घोटाले की कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो अबतक उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

जांच पूरी हो गयी है जिससे श्री विश्वनाथ कपूर द्वारा 27,655 रु० का गबन किया जाना पाया गया है ।

वाद न्यायालय में दायर किया जा चुका है, जो विचाराधीन है ।

*37—श्रीमती सुखदा मिश्रा—

[13 वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

प्रदेश में चिकित्साधिकारी विहीन आयुर्वेदिक दिस्पेन्सरीज

*38—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश म इस समय कितनी आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज हैं तथा इनम से कितनी ऐसी हैं जिनमें चिकित्सा अधिकारी नहीं हैं और केवल कम्पाउन्डर्स ही काम चला रहे ह ? यदि हां, तो ऐसी डिस्पेन्सरी मे चिकित्सा अधिकारी कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

389

92

शीघ्र ही

होम्योपैथिक डाक्टरों के चुनाव में चुने गये हरिजन डाक्टर

*39—श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973 में जो होम्योपैथिक डाक्टरों का चुनाव किया गया था, उसमें कितने डाक्टरों की नियुक्तियां अब तक की जा चुकी हैं ? तथा उसमें कितने हरिजन डाक्टर हैं ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

1973 के चुनाव के आधार पर अब तक 41 डाक्टरों की नियुक्तियां हुई हैं, जिनमें 6 डाक्टर हरिजन हैं।

पशुपालन विभाग के प्रक्षेत्रों में घाटा

*40—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी), तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुपालन निदेशक के नियन्त्रण में सरकार द्वारा चलाये जा रहे बड़े-बड़ फार्मों पर घाटा हो रहा है ? यदि हां तो घाटे पर सरकार द्वारा बड़े-बड़े फार्म चलाने के क्या उद्देश्य हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। इन प्रक्षेत्रों की स्थापना का ध्येय वाणिज्य की अपेक्षा विकास अधिक है।

*41—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[13 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

इलाहाबाद नगर महापालिका के सम्बन्ध में कथित प्रतिनिधि मण्डल की मांगें

*42—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद) तथा श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 9 अथवा 10 जून, 1974 को उनसे लखनऊ में सचिवालय स्थित उनके कक्ष में इलाहाबाद नगर महापालिका से सम्बन्धित विषयों पर विधायकों तथा सभासदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट किया था ? यदि हां, तो प्रतिनिधि की क्या मांग थी तथा उन मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बाकायदा समय लेकर इलाहाबाद का कोई प्रतिनिधि मण्डल 9 अथवा 10 जून को मुझसे नहीं मिला था लेकिन इलाहाबाद के कुछ लोग जिनमें विधायक भी थे मुझसे मिले थे जैसा बराबर विधायक तथा अन्य लोग मुझसे मिलते रहते हैं। उन्होंने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, कोई लिखित मांग मुझे नहीं दी थी।

*43—श्री सत्य प्रकाश मालवीय तथा श्री कृष्णा राय—

[13 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कृषि निदेशालय के निलम्बित लिपिक

*44—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच) तथा श्री सुखद राज सिंह (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि कृषि निदेशालय में कुछ लिपिक जो भ्रष्टाचार के आरोप में वर्ष 1972–73 में निलम्बित रहे तथा जांच के पश्चात् उनकी चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई और उनकी वेतन बृद्धियां रोकी गईं तथा दण्डावधि में ही अब उनको प्रधान लिपिक के पद पर प्रोन्नत किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

ऐसे किसी लिपिक का भ्रष्टाचार के आरोप में निलम्बन नहीं हुआ था। दो लिपिक विभागीय कार्यवाही के अन्तिम निर्णय होने पर पुनः स्थापित पूरे लाभ के साथ किये गये अतः प्रोन्नति में बाधा नहीं हुई।

निबन्धक, सहकारी समितियों के शिक्षा अनुभाग के कर्मचारियों की वेतन–वृद्धि

*45—श्री सत्यवीर सिंह तथा श्री रघुनाथ सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश के शिक्षा अनुभाग में कार्यरत ऐसे नोटर तथा ड्राफ्टर कौन-कौन हैं जिनकी वेतन वृद्धि 5 वर्ष से अधिक समय पूर्व से रोक दी गई है तथा अभी भी नहीं दी जा रही है? वेतन-वृद्धि रोक देने के कारण क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

केवल एक। कारण सम्बन्धित कर्मचारी के सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र का रोका जाना।

जखौरारा-राजघाट सड़क (ललितपुर) के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत

*46—श्री चन्दन सिंह (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जिले में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बानी जखौरा राजघाट रोड में अब तक कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है? क्या 2 जुलाई, 1974 की पहिली वर्षा में सड़क उखड़ गई तथा आवागमन रुक गया? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सड़क के निर्माण के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने मार्च, 1974 में कमिश्नर, झांसी व अप्रैल, 1974 मुख्य मंत्री को शिकायती-पत्र भेजे थे? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में अब तक कार्यवाही हुई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ललितपुर जिले में क्रैश प्रोग्राम के अंतर्गत निर्मित जखौरा-राजघाट सड़क के निर्माण में 14 अप्रैल 1974 तक 12.8 लाख रुपया व्यय किया गया है।

2 जुलाई, 1974 की वर्षा या इसके बाद की वर्षा से भी सड़क कहीं नहीं उखड़ी, केवल 3 पुलियों की कच्ची पटरी की मिट्टी थोड़ी मात्रा में तथा चौथी पुलिया की एप्रोच की मिट्टी दोनों तरफ से अधिक मात्रा में कट गई जिसके कारण चौथी पुलिया पर से आवागमन 15-20 दिन तक अवरुद्ध रहा।

माननीय सदस्य द्वारा इस सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में एक शिकायती-पत्र आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी को अप्रैल 1974 में प्राप्त हुआ था। इस पर जिलाधिकारी ललितपुर द्वारा जांच कराई गई और आरोप निराधार पाये गये। संदर्भित सड़क के निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा एक अन्य शिकायती-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को मई 1974 में प्राप्त हुआ था। इस शिकायती-पत्र में लगाए गए आरोपों की जांच मुख्य, अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ० प्र० के माध्यम से कराई जा रही है। जांच की रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

नरेन्द्र मोहन अस्पताल, गाजियाबाद का सरकार द्वारा लिया जाना

*47—श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ), श्री हुकुम सिंह (जिला मुजफ्फर नगर) तथा श्री भूप सिंह कैन (जिला मेरठ)।

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नरेन्द्र मोहन अस्पताल, मोहन नगर, गाजियाबाद को सरकार ने लेने का निश्चय कर लिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राज मंगल पाण्डे—

जी नहीं।

नरेन्द्र मोहन ट्रस्ट, गाजियाबाद की पूंजी

*48—श्री प्यारे लाल, श्री हुकम सिंह, श्री भूप सिंह कैन—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नरेन्द्र मोहन ट्रस्ट व नरेन्द्र मोहन के शेयर्स जो कि नरेन्द्र मोहन अस्पताल के नाम थे वह कुल कितनी पूंजी के हैं?

श्री राज मंगल पाण्डे—

ट्रस्ट के पास लगभग एक करोड़ रुपये की पूंजी है जिसको ट्रस्ट ने शेयर्स के रूप में लगा रखा है।

जिला नैनीताल में सड़कों के निर्माणार्थ रोड़ रोलर की प्राप्ति में विलम्ब

*49—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में त्वरित योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण-कार्य हेतु गत वर्ष एक रोड रोलर खरीदा गया था? यदि हां, तो उस पर कितना रुपया व्यय किया गया तथा यह रोड रोलर अब तक नैनीताल पहुंचा? यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां।

रोड रोलर खरीदने के लिये 87,690'00 रुपये का भुगतान स्टेट बैंक आ इण्डिया के द्वारा मेसर्स एग्रिण्ड इण्डिया को किया गया था किन्तु रोड रोलर अब तक प्राप्त नहीं हो सका है क्योंकि भरसक प्रयास करने पर भी उपर्युक्त फर्म रोड रोलर की पूर्ति करने मे असमर्थ रही है।

फार्मेसिस्ट का पुनरीक्षित वेतन-मान

*50—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फार्मेसिस्ट का पद परिचारिका एक्सरे टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन तथा सैनेटरी इन्सपेक्टर के पदों के समकक्ष है तथा इन सभी पदों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव समान हैं ? क्या यह सच है कि इन सभी पदों के वेतन मान वर्ष 1965 के पूर्व समान थे, परन्तु वर्ष 1972 के बाद फारमासिस्ट के वेतन-क्रम सबसे कम रह गये हैं? यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार फारमेसिस्ट के वेतन-क्रम को उपरोक्त अन्य सेवाओं के बराबर करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

फार्मेसिस्ट का पद न तो प्रश्नगत पदों के समकक्ष ही है और न इसके लिये शैक्षिक योग्यता (सेनेटरी इन्सपेक्टर को छोड़कर) व अनुभव ही समान हैं। अप्रैल, 1965 के पूर्व तथा जुलाई, 1972 तक एक्सरे टेकनीशियन एवं लब टेकनीशियन क वतनमान फार्मेसिस्ट के समान थे। अगस्त, 1972 से इनका वेतनमान कवल लैव टेकनीशियन के बराबर रह गया है। वेतन आयोग (1971-73) द्वारा, सभी बातों पर विचार करने के पश्चात् जो पुनरीक्षित वेतनमान संस्तुत किये वही दिये गये जा रहे हैं।

विकास खण्ड चौबेपुर (कानपुर) में साधन सहकारी समितियों के कर्मचारियों एवं सदस्यों के विरुद्ध गबन के मामले

*51—श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद स्थित, विकास खंड, चौबेपुर के अन्तर्गत कितनी साधन सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गबन सम्बन्धी मुकदमें 1973-74 में दायर किये गये तथा उन मुकदमों की प्रगति क्या है तथा गबन की धनराशियां कितनी हैं और कितनों की जांच शेष है ?

श्री हेमवती नन्द बहुगुणा—

कानपुर जनपद स्थित विकास खंड चौबेपुर के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 में तीन साधन सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों व कर्मचारियों के विरुद्ध गबन के मामले पुलिस को सौंपे गये हैं जो विशेष अनुसंधान शाखा सहकारी समिति कानपुर की जांच में है। अभी कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया है। गबन की राशियां निम्नवत् हैं :—

35,000 रु०

7,110 रु०

55,000 रु०

भारत केमिकल कारपोरेशन, सिकन्दराराव (अलीगढ़) को सफेद स्प्रिट का परमिट

*52—श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सफेद स्प्रिट किसी को न देने की राजकीय निषेधाज्ञा के बावजूद भी आबकारी कमिश्नर, इलाहाबाद ने अलीगढ़ जिले के सिकन्दराराव में स्थित भारत-केमिकल कारपोरेशन को 7,000 लीटर प्रतिमाह के हिसाब से सफेद स्प्रिट देने का परमिट जून सन् 1974 ई० में दिया है ? यदि हां, तो क्यों तथा किस आधार पर ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं। भारत केमिकल कारपोरेशन, सिकन्दराराव, अलीगढ़ को 16 दिसम्बर, 1973 से पूर्व निर्मित की जाने वाली पीरीडीन तथा काचसीन अथवा मेथाईल अल्कोहल तथा काचसीन द्वारा विकृत साधारण सफेद स्प्रिट नहीं दी गई है। कथित राजकीय निषेधाज्ञा इसी प्रकार की साधारण सफेद विकृत स्प्रिट के विषय में है।

भारत केमिकल कारपोरेशन, सिकन्दराराव, अलीगढ़ में अनियमितताओं की जांच

*53—श्री देव कुमार यादव—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि इसी प्रदेश के भू० पू० आबकारी उप मंत्री (श्री राम-पूजन पटेल) ने अगस्त-सितम्बर, 1971 ई० में इसी फर्म में अचानक छापा मार कर स्प्रिट सम्बन्धी अनेक अनियमिततायें पकड़ी थीं ? यदि हां, तो इस कम के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी हां।

आरोपित अनियमितताओं की आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश तथा सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई। अतएव कोई और कार्यवाही नहीं की जा सकी।

स्वास्थ्य निरीक्षकों को स्वच्छता निरीक्षक का प्रमाण-पत्र दिया जाना

*54—श्री मुन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1970 से 15 जुलाई, 1974 तक जो स्वास्थ्य निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं उन्हें कोई प्रमाण-पत्र दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

दिसम्बर, 1971, अगस्त, सितम्बर, 1972 तथा जनवरी, फरवरी, 1973 की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को स्वच्छता निरीक्षक के प्रमाण-पत्र भेजे जा चुके हैं।

सितम्बर, 1973, जनवरी, व मार्च, 1974 की परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के प्रमाण-पत्र बनाये जा रहे हैं और शीघ्र भेजे जाएंगे। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

सहायक आबकारी आयुक्त, वाराणसी मण्डल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*55--श्री सत्यपाल मलिक तथा श्री शिव पाल सिंह (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भू० पू० विधायक श्री शम्भूनाथ चौधरी ने दिनांक 16-7-73 को एक आवश्यक-पत्र प्रेषित किया था जिसमें वाराणसी मण्डल के सहायक आबकारी आयुक्त (श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्र) द्वारा लाखों रुपया अवैध रूपसे अर्जित करने का उल्लेख है और ऐसी धनराशि को एक निश्चित जगह से तलाशी करने का निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है और उस पर अब क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

श्री शम्भू नाथ चौधरी, भूतपूर्व विधायक का गोपनीय अंकित शिकायती-पत्र दिनांक 16-7-1974 शासन को प्राप्त हुआ था। पत्र की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इसको उद्घरित करना जनहित में नहीं होगा। शिकायत की जांच गोपनीय ढंग से कराई जा रही है।

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के अतिरिक्त अन्य नियत प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध विचाराधीन पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के मामलें

*56—कुंवर श्रीपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के अतिरिक्त अन्य नियत प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) निदेश 1960 के निदेश, संख्या 25 के अन्तर्गत कुल कितने पुनर्विलोकन के मामले और उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15-क के अन्तर्गत नियन्त्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के अतिरिक्त अन्य नियन्त्रक प्राधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध कितने पुनर्विलोकन के मामले 16 जुलाई, 1974 को शासन के विचाराधीन थे और उपर्युक्त पुनर्विलोकन एवं पुनरीक्षण के मामले कब-कब से विचाराधीन चल रहे थे और उनका उक्त दिनांक तक निस्तारण न किये जाने के क्या-क्या कारण हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के अतिरिक्त अन्य नियत प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) निर्देश, 1960 के निदेश संख्या 25 के अन्तर्गत कोई पुनर्विलोकन का मामला नहीं है।

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15-क के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, लखनऊ के अतिरिक्त अन्य नियंत्रक प्राधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध 16 जुलाई, 1974 तक निम्नांकित कुल 195 पुनरीक्षण के मामले विचाराधीन थे।

1964	..	1
1966	..	1
1968	..	2
1969	..	1
1970	..	6
1971	..	16
1972	..	31
1973	..	65
1974	..	72
कुल	..	195

इनके उक्त दिनांक तक निस्तारण न होने का प्रमुख कारण नियत प्राधिकारियों से वांछित आख्या/अभिलेख का न प्राप्त होना है। कुछ में न्यायालयों में मुकदमात चल रहे हैं।

*57—श्री वीर सिंह सेंगर—

[13 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जिला फैजाबाद में चौक से आंख अस्पताल तक बाई-पास के निर्माणार्थ अनुदान की स्वीकृति

*58—श्री वेद प्रकाश अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि फैजाबाद नगरपालिका द्वारा चौक से आंख अस्पताल तक बायी-पास बनाने के लिये दस लाख रुपया नगरपालिका के पास सुरक्षित है ? क्या नजूल विभाग बायी-पास बनाने में गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, यदि हां तो क्यों और कब तक वाई-पास बनेगा ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

जी नहीं। नगरपालिका फैजाबाद को वित्तीय वर्ष 1973–74 में 1,50,000 रु0 का विशष सड़क अनुदान शासन द्वारा स्वीकृत किया गया जिसका उपयोग इस बाई-पास बनाने में किया जायगा।

नजूल विभाग द्वारा बाई-पास बनाने में कोई उन्नतिरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही हो जाने पर बाई-पास बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

पशुपालों को सेलेक्शन ग्रेड देने की मांग

*59—श्री राम लखन (जिला इटावा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 में जून तक कितने तृतीय श्रेणी पशुपालों को वेतन की संस्तुति के आधार पर सेलेक्सन ग्रेड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कोई नहीं।

पशुपालों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

पशुपालों के पदों पर अनुसूचित जातियों का आरक्षण

*60—श्री राम लखन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि पशुपालों के पद पर अनुसूचित जातियों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी नहीं।

कमी का कारण यह है कि 1947 से पूर्व राज्य सरकार के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों के लिये कोई आरक्षण नहीं था। स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद। 1953 तक इन जातियों के लिये केवल 10 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित था, जो वर्ष।

1953 में बढ़ा कर 18 प्रतिशत किया गया। इस प्रकार पूर्व में आरक्षण न होने एवं निम्न दर पर होने के कारण उक्त पदों पर अभी तक निर्धारित कोटे में कमी चली आ रही है।

जिला कृषि अधिकारी, कानपुर के विरुद्ध शिकायत

*61—श्री जगदीश अवस्थी—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, कानपुर के विरुद्ध रासायनिक यूरिया खाद को चोर बाजारी में बेचे जाने तथा भ्रष्टाचार किये जाने की कितनी शिकायतें अतिरिक्त जिलाधिकरी (नियोजन) एवं जिलाधीश, कानपुर को गत वर्ष के अन्दर प्राप्त हुईं तथा उस सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय ने क्या कार्यवाही की तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुख्य 13 शिकायतें प्राप्त हुईं जिन पर जिलाधिकारी ने जांच कराई। जांच में दो शिकायतों में उन्होंने तथ्य पाये और अपनी संस्तुति शासन को भेज दी, उस पर कार्यवाही हो रही है।

*62—श्री जगदीश अवस्थी—

[14वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर प्रशासन शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र को दिये गये अनुदान का उपयोग

*63—श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रीजनल सेंटर आफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को दिये गये अनुदानों के उपयोग के सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इन अनुदानों का उपयोग हो गया है ? यदि नहीं, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राज मंगल पाण्डे—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*64—श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जन प्रशासन विभाग के अन्तर्गत नगर प्रशासन शोध एवं प्रशिक्षण केन्द्र में माह जनवरी, 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अनावर्तक अनुदान में 65,000 रुपये का गोलमाल है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजमंगल पाण्डेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

करछना व मेजा तहसील (इलाहाबाद) के विकास हेतु योजना की स्वीकृति

*65—चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेशीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल में ही इलाहाबाद जिले की मेजा व करछना तहसील के विकास के लिये 4 करोड़ रुपये की कोई योजना स्वीकार की है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम के अन्तर्गत इन तहसीलों में 4 करोड़ रुपये पांचवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में व्यय करने का प्राविधान है। योजना की रूप रेखा अभी विचाराधीन है।

*66—श्री जमुना प्रसाद बोस—

माननीय सदस्य ने वापस लिया]

पशुपालन विभाग में हरिजन चिकित्सकों की पदोन्नति

*67—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के चिकित्सकों में से मुख्य सचिव की राजाज्ञा संख्या 65/2/69 राष्ट्रीय एकी०, दिनांक 8-3-73 के अनुसार कितने हरिजन चिकित्सकों को वर्ग 2 व वर्ग 1 में पदोन्नत किया गया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

राजाज्ञा संख्या 65/2/69-राष्ट्रीय एकी०, दिनांक 8-3-73 जारी होने के पश्चात् श्रेणी-2 एवं -1 में पदोन्नति द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

*68-69—श्री राम रतन सिंह—

[14 वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या 26-27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पशुपालन विभाग के नीलगांव फार्म (सीतापुर) में गबन

*70—श्री मान बहादुर सिंह (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 में नीलगांव फार्म (सीतापुर) पशुपालन विभाग में लगभग 12 हजार रुपये के गबन के मामले को निदेशक, पशुपालन विभाग के लेखाधिकारी द्वारा पकड़ा गया ? क्या यह भी सही है कि इस गबन के मामले को उपनिदेशक, प्रक्षेत्र के लेखाधिकारी द्वारा जांच के समय नहीं पकड़ा गया था ? यदि हां, तो प्रक्षेत्र के लेखाधिकारी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। नीलगांव फार्म (सीतापुर) के अन्तर्गत रु० 11,936.97 पैसे के गबन को उप निदेशक, प्रक्षेत्र के लेखाधिकारी नहीं पकड़ पाये। यह मामला पुलिस को जांच हेतु दे दिया गया है और तत्कालीन लेखाधिकारी (प्रक्षेत्र) और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

कृषि रक्षा अधिकारी, गोरखपुर का गबन सम्बन्धी मामले में निलम्बन

*71—श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जनपद के कृषि रक्षा अधिकारी पर 80 हजार रुपये गबन का आरोप था और माह अगस्त, 1971 में उन्हें निलम्बित भी करके उनके विरुद्ध जांच शुरू करायी गयी ? यदि हां, तो उनके ऊपर लगाये गये आरोपों को कैसे समाप्त किया गया और पुनः नियुक्ति कैसे हुयी ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में पुलिस सतर्कता विभाग और विभागीय जांच सम्बन्धी रिपोर्ट सदन में रखेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

कृषि रक्षा अधिकारी, गोरखपुर (श्री राम नरायण सिंह) के विरुद्ध प्राप्त विभिन्न जनराशियों के दुर्विनियोग, व्यवहरण तथा दुरुपयोग की शिकायतों पर उन्हें अगस्त सन् 1972 में निलम्बित किया गया तथा जांच पुलिस को सौंपी गयी। पुलिस की रिपोर्ट संलग्न है, जिसके प्राप्त होने पर उन्हें पुनः स्थापित किया गया। उनके विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही जारी है अतः अभी जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 349 पर।)

*72—श्री जगदीश नारायण त्रिपाठी—

[13 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*73—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[18वें गुरुवार में प्र० सं० 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*74—श्री राम स्वरूप भारतीय—

[13वें मंगलवार के लिए स्थगित]

*75—श्री बृजपाल सिंह यादव—

[14वें मंगलवार में प्र० सं० 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*76—श्री हरीश कुमार गंगवार—

[14वें मंगल में प्र० सं० 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*77—श्री हुकुम सिंह—

[14वें मंगल में प्र० सं० 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*78—श्री राम मूर्ति—

[13वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*79—श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी—

[13वें मंगलवार के लिये स्थगित]

*80—श्री राज बहादुर चन्द—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

ग्राम लोहरगवां (शाहजहांपुर) की हरिजन बस्ती में अर्ध निर्मित कूप

1—श्री गिरिजा किशोर मिश्र (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर में निगोही विकास खंड के अन्तर्गत लोहरगवां ग्राम की हरिजन बस्ती में विकास खंड की ओर से सन् 1972-73 से पेयजल की व्यवस्था करने के लिये एक कुंआ बनवाने का आदेश हुआ था किन्तु वह अधबना ही छोड़ दिया गया? यदि हां, तो इसका क्या कारण था? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कुयें को बनाने के लिये स्वीकृत हुई धनराशि ग्राम के तत्कालीन ग्राम सेवक ने जिसका स्थानान्तरण हो चुका है, निजी खर्च में लगा ली है? यदि हां, तो उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां, कुआं अभी अधबना पड़ा हुआ है। तत्कालीन ग्राम सेवक को इसके लिए आवश्यक धनराशि व सामान उपलब्ध कराया गया था लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हुआ। ग्राम सेवक का स्थानान्तरण हो गया है। उसने कई बार लिखने के बावजूद न धन, न सामग्री वापस की न अग्रिम का समायोजन ही कराया। ग्राम सेवक से रिकवरी करने के लिए लिखा गया है।

2—श्री पूरन चन्द—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

विधान सभा क्षेत्र, गंगेश्वरी, मुरादाबाद में कतिपय सड़कों का निर्माण

3—श्री मनीराम (जिला मुरादाबाद) तथा श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा क्षेत्र, गंगेश्वरी, जिला मुरादाबाद में कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रस्तावित रिठाली-लखौरी दौरारा और पौरारा और हाकमपुर-शहबाजपुर गूजर मार्गों का निर्माण-कार्य क्यों बन्द कर दिया गया है और पुनः कब शुरू किया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत केवल रिठाली, लखौरी तथा दौरारा, पौरारा सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया गया था। हाकमपुर-शहबाजपुर गूजर मार्ग का निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ था।

पहले दो मार्गों पर निर्माण-कार्य बन्द नहीं किया गया है। रिठाली-लखौरी सड़क पर सीलिंग तक का कार्य पूरा हो चुका है और पत्थर की पूर्ण सप्लाई होने पर कुटाई का कार्य शुरू कर दिया जायेगा। दौरारा-पौरारा सड़क पर दो किलोमीटर में सीलिंग का कार्य पूर्ण है और अवशेष दो किलोमीटर में जहां पेंटिंग होनी है वह बरसात के बाद शुरू की जायेगी।

नौगढ़ (बस्ती) के सेनेटरी इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण

4—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री राम (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सदन में इस घोषणा के बाद कि 8 वर्ष बाद सेनेट्री इन्सपेक्टरों का ट्रान्सफर किया जायगा तो नौगढ़ (बस्ती) के सेनेटरी इन्स्पेक्टर 11 वर्ष 7 माह से उसी स्थान पर सेवारत हैं ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं तथा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों पर उनको अब तक क्या दण्ड दिया गया ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

नौगढ़ (बस्ती) के सेनेटरी इन्सपेक्टर का स्थानान्तरण उनकी दीर्घकालीन तैनाती तथा उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर किया जा चुका है। उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही दण्ड दिये जाने के प्रश्न पर विचार हो सकेगा।

सिविल, अस्पताल, शाहजहांपुर के कम्पाउन्डरों का स्थानान्तरण

5—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर सिविल अस्पताल में कितने कम्पाउन्डर 8 वर्ष से ज्यादा अवधि से एक ही स्थान पर हैं ? यदि हां, तो कब तक उनका स्थानान्तरण किया जायेगा ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

सिविल अस्पताल, शाहजहांपुर में केवल दो ऐसे कम्पाउडर हैं जो पिछले आठ वर्षों से वहां तैनात थे। उनके स्थानान्तरण के आदेश 25 जुलाई, 1974 को जारी कर दिये गये हैं।

6—बाबा राम नाथ—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

जिला कानपुर में कथित क्षेत्रीय सहकारी संघ, नौरंगा में उप समितियों के अन्तर्गत कार्य

7—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील घाटमपुर में क्षेत्रीय सहकारी संघ नौरंगा में कौन-कौन से कार्य किन उप समितियों के अन्तर्गत होते हैं तथा संघ का आडिट कब हुआ और संघ कितने लाभहानि में चल रहा है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

इस नाम की कोई संस्था नहीं है।

8—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि नौरंगा संघ में चुनाव कराने का कितने समय में प्राविधान है और संघ का चुनाव कब से नहीं हुआ ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बरेली के भोजीपुरा ब्लाक की महिला कल्याण कार्यकर्त्रियों का स्थानान्तरण

9—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक भोजीपुरा, जिला बरेली में उनके विभाग, परिवार नियोजन में कुल कितनी फेमिली प्रोमेन वर्कर माह मार्च, 1974 में कार्य कर रही थीं ? और इनको अलग-अलग इस ब्लाक में कितना-कितना समय हो रहा है तथा इनकी नियुक्ति की तिथि इस ब्लाक में कब से है और क्या यह सत्य है कि इसी वर्ष कुछ (एफ0 डब्लू0 डब्लू0) को जिनको इस विकास खंड में 1 और 2 वर्ष भी नहीं हुआ था तबादला कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? जब कि दस-दस वर्ष से कुछ (एफ0 डब्लू0 डब्लू0) इसी ब्लाक में कार्य कर रही हैं ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

माह मार्च, 1974 म जिला बरेली के भोजीपुरा ब्लाक में 4 महिला कल्याण कार्यकर्त्री सेवारत थीं। इनमें से एक कार्यकर्त्री इस ब्लाक में दिनांक 21-10-72 से 9-8-74 तक कार्यरत थी और उसका स्थानान्तरण इनके अनुरोध पर सहारनपुर कर दिया गया है। शेष 3 कार्यकर्त्रियां इस ब्लाक में क्रमशः 5-4-72, 24-4-73 तथा 1-1-74 में कार्य कर रही हैं। इन तीनों का स्थानान्तरण किया गया था पर बाद में इनके स्थानान्तरण जनहित में रद्द कर दिये गये और यह तीनों कार्यकर्त्रियां अपनी पुरानी जगह पर कार्य कर रही हैं। इस ब्लाक में कोई भी कार्यकर्त्री 10 वर्ष से कार्य नहीं कर रही है।

जिला जालौन के सहकारी संघ, कनासी को गेहूं की खरीद हेतु पी० सी० एफ० द्वारा दी गयी धनराशि

10—डाक्टर मलखान सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद जालौन के सहकारी संघ, कनासी को 1972-73 तथा 1973-74 में पी० सी० एफ० द्वारा गेहूं खरीदने हेतु कितना रुपया दिया गया तथा कितना गेहूं खरीदा गया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

1972-73 व 1973-74 में सहकारी संघ, कनासी को क्रमशः 9,10,000 रु० तथा 1,77,400 रु० पी० सी० एफ० द्वारा गेहूं क्रय हेतु दिया गया। संघ ने उक्त वर्षों में क्रमशः 10,581 कु० तथा 1,666.65 कु० गेहूं खरीदा।

लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा फुटपाथों पर जलपान-गृह खोलने की स्वीकृति

11—श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका ने कितने व्यक्तियों को लखनऊ नगर के चौराहों और फुटपाथों पर 1971-72 में होटल खोलने के लिये स्वीकृति दी ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

लखनऊ नगर महापालिका ने लखनऊ नगर के चौराहों और फुटपाथों पर 1971-72 में होटल (जलपान-गृह) खोलने के लिये 22 व्यक्तियों को लाइसेन्स प्रदान किये थे।

12—श्री भीखा लाल—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

13—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

[13 वें गुरुवार में प्र० सं० 1 पर स्थानान्तरित]

जिला उन्नाव में हसनगंज-न्योतनी मार्ग की मरम्मत की मांग

14—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में हसनगंज-न्योतनी मार्ग जो त्वरित योजना के अन्तर्गत बनाया गया है उसकी हालत बहुत खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग को चौड़ा करके डामर सहित पक्का कराने की कृपा करेगी जिससे कि यातायात के साधन उपलब्ध होने पर ग्राम न्योतनी का विकास हो सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जी हां। अति वृष्टि के कारण इस मार्ग की पटरी कट गई है और कहीं-कहीं गड्ढे हो गये हैं। धनाभाव के कारण इसे चौड़ा डामर सहित पक्का कराना सम्भव नहीं है।

जिल परिषदों में आशुलिपिकों के पदों के प्रान्तीयकरण की मांग

*15—श्री आशा राम यादव (जिला मिर्जापुर), श्री दल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर), श्री बृजपाल सिंह, श्री राम लाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद), श्री रामलखन तथा श्री सत्यपाल सिंह यादव --

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों में काम करने वाले आशुलिपिकों के पद का प्रान्तीयकरण करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां तो प्रान्तीयकरण कब तक हो जायेगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

ऐसा कोई प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है। अतएव प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

जिला उन्नाव के ग्राम न्योतनी की फीडर रोड को पक्का करने की मांग

16--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जनपद में ग्राम न्योतनी की एक मील की फीडर रोड, जो जिला परिषद् के अधीन है, अजगैन-मोहान मार्ग से मिलती है, बहुत खराब हालत में है जिससे यातायात अवरुद्ध है? यदि हां, तो इस रोड को कब तक पक्का किया जायेगा?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

इस फीडर रोड की विशेष मरम्मत होनी है तथा मिट्टी के कार्य का प्रबन्ध किया जा रहा है। धनराशि उपलब्ध होने पर इस मार्ग को पक्का किया जायगा।

जिला आगरा की बरहन-अहारन सड़क का निर्माण

17—श्री शिव चरन लाल--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक एत्मादपुर, जिला आगरा के अन्तर्गत बरहन से अहारन तक जो सड़क कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत बन रही थी, उसकी क्या स्थिति है? क्या यह सही है कि उक्त सड़क बनने के पूर्व इस समय से अच्छी हालत में थी? यदि हां, तो क्या सरकार इसे शीघ्र पक्की बनवाने की व्यवस्था करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

30 जून 1974 तक इस 6 कि० मी० की सड़क पर निर्धारित रु० 3.80 लाख के व्यय में से 02.81 लाख के व्यय से 3 कि० मी० भाग पर सीलिंग की कुटाई तथा 2 कि० मी० भाग पर गिट्टी की कुटाई एवं 6 पुलियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस सम्पूर्ण सड़क के लिये सीलिंग व गिट्टी की सप्लाई प्रायः पूर्ण हो चुकी है, कार्य स्थल के निकट ही ग्रिड का भी एकत्रीकरण तथा डामर का क्रय हो चुका है।

कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत इस सड़क को लेने के पहले यह श्रमदान से निर्मित कच्ची सड़क थी। इस समय यह निर्माणाधीन है। इस सड़क को शीघ्र पक्का किए जाने की आशा है।

18—डाक्टर मलखान सिंह—

[13 वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

19—श्री गजाधर प्रसाद आर्य—

[14 वें गुरुवार के लिये स्थानान्तरित ।]

जनपद सुल्तानपुर में ग्रामीण दुग्ध शाला केन्द्र की स्थापना की योजना

20—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जिले में दुग्ध डेयरी खोलने के लिये वर्ष 1972-73 में कोई सर्वेक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उस सर्वेक्षण की क्या सिफारिश थी तथा इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां । सर्वेक्षण के अनुसार सुल्तानपुर जनपद में दुग्ध का विपणनशील आधिक्य (मारकेटिबिल सरप्लस) उपलब्ध है । पंचम पंच वर्षीय योजना में उस जनपद में 4000 लीटर दैनिक क्षमता की ग्रामीण दुग्धशाला केन्द्र की स्थापना की योजना प्रस्तावित है ।

प्रदेश के अस्पतालों में एम्बुलेन्स गाड़ियों की संख्या

21—श्री जफर आजमी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कितने अस्पतालों में एम्बुलेन्स की कुल कितनी गाड़ियां हैं ? क्या यह सही है कि इनमें से 50 से अधिक गाड़ियां खराब पड़ी हैं ? यदि हां, तो सरकार उनकी दुरुस्ती के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज मंगल पाण्डेय—

प्रदेश में 65 जिलास्तर के अस्पतालों में 65 चिकित्सा एम्बुलेन्स गाड़ियां हैं । कुल एम्बुलेन्सों में से 49 गाड़ियां अपना कार्य कर रही हैं और केवल 16 गाड़ियां बिगड़ी पड़ी हैं ।

जो वाहनें बिगड़ी पड़ी हैं उनमें से उन वाहनों की मरम्मत के लिए उचित कार्यवाही की जा रही है जो इस योग्य हैं कि उनकी मरम्मत कराने के बाद अपना कार्य कर सकें और वह वाहन जो इस योग्य नहीं हैं उन्हें परिवहन आयुक्त के माध्यम से नियोज्य कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

ब्लाक नवाबगंज (फर्रुखाबाद) की बी० डी० सी० की मीटिंग्स

22—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ब्लाक नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद में नई बी० डी० सी० गठित होने के बाद कितनी मीटिंग हुई और कब-कब ? यदि नियमानुकूल मीटिंग बुलाई गई, तो क्यों ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

कुल 6 मीटिंग 24-3-1973, 14-4-1973, 19-4-1973, 21-9-1973, 23-10-1973 तथा 21-6-1974 को हुई ।

मीटिंग नियमानुकूल नहीं बुलाई जा सकी । कारण प्रमुख का अन्य कार्यों में अधिक व्यस्त रहना बताया गया है ।

उपाध्यक्ष के निर्वाचन का पुनःस्थगन

श्री अध्यक्ष—

उपाध्यक्ष पद के लिये नाम-निर्देशित अभ्यर्थियों के नामों की घोषणा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि आज का दिन उपाध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिये नियत किया गया है। नियमानुसार नामांकन-पत्र 19 अगस्त, 1974 के मध्याह्न के पूर्व तक आ जाने चाहिये थे। उक्त अवधि के अन्दर जो नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं उनका विवरण इस प्रकार है :—

नाम निर्देशित अभ्यर्थी	प्रस्तावक	समर्थक
1—श्री शिवप्रसाद गुप्त	श्री राम मूर्ति	श्री रेवती रमण सिंह
2—श्री बलवान सिंह	श्री जनार्दन प्रसाद ओझा	श्री देव कुमार
3—श्री बलवान सिंह	चौ० रामपाल सिंह यादव	श्री भोला लाल
4—श्री मुहम्मद मसूद	श्री रामसेवक यादव	श्री मोहम्मद असरार अहमद
5—श्री मुहम्मद मसूद	श्री सत्य प्रकाश मालवीय	श्री बैजनाथ कुशवाहा
6—श्री शारदा भक्त सिंह	श्री कल्याण सिंह	श्री इन्द्र पाल सिंह
7—श्री कुंवर श्रीपाल सिंह	डा० भगवत दयाल	श्री मलखान सिंह
8—कुंवर श्रीपाल सिंह	श्री उमानाथ सिंह	श्री शिव सम्पति
9—कुंवर श्रीपाल सिंह	श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा	श्री रघुनाथ सिंह
10—कुंवर श्रीपाल सिंह	श्री प्यारे लाल वर्मा	श्री जगन्नाथ सिंह परमार
11—कुंवर श्रीपाल सिंह	श्री आशाराम यादव	श्री राज बृजराज सिंह
12—श्री मोहम्द असरार अहमद	श्री चरण सिंह	श्रीमती गायत्री देवी
13—श्री मोहम्मद असरार अहमद	श्री एदल सिंह	श्री गंगा सिंह
14—श्री मोहम्मद असरार अहमद	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री अब्दुल वहीद
15—श्री मोहम्मद असरार अहमद	श्री शारदा प्रसाद रावत	श्री जंग बहादुर सिंह पटेल
16—श्री मोहम्मद असरार अहमद	श्री राम प्रकाश	श्री का० मु० मुहीउद्दीन
17—कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा	श्री हरिकेवल प्रसाद	श्री जनार्दन प्रसाद ओझा

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा का संचालन नियमावली के नियम 9 के उपनियम (4) में यह उपबंधित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी जो नाम निर्देशित हुये हों पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकते हैं।

उक्त अभ्यर्थियों में से श्री मुहम्मद मसूद ने कल दिनांक 19 अगस्त, 1974 को अपना नाम लिखित रूप में वापस ले लिया है, तथा सर्वश्री शिव प्रसाद गुप्त, शारदा भक्त सिंह तथा कुंवर श्रीपाल सिंह ने आज लिखित रूप में अपना नाम वापस ले लिया है।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय हमारा जो पत्र है कृपा करके उसको पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं इसको बाद में सुना दूंगा। मैं सबको सुनाये देता हूं, पहला मो० मसूद खां महोदय मेरा नाम उपाध्यक्ष पद के लिये दल की ओर से मनोनीत किया गया था। मैं अपना नाम उपाध्यक्ष पद से वापस लेता हूं। सूचनार्थ प्रेषित।

श्री शिव प्रसाद गुप्त--

महोदय, मैं अपना नाम उपाध्यक्ष की उम्मीदवारी से वापस लेता हूं।

श्री शारदा भक्त सिंह--

महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिये मेरा नाम प्रस्तावित हुआ है। इस विधान सभा में यह स्वस्थ परम्परा कायम हुई थी कि इस पद के लिये प्रतिपक्ष की ओर से एक सर्वसम्मत नाम प्रस्तावित हुआ करता था परन्तु खेद है कि प्रतिपक्ष के नेता चौ० चरण सिंह ने विरोधी दल के नेता के बजाय केवल भारतीय क्रान्ति दल के नेता के रूप में ही आचरण किया है और अपने दल के प्रत्याशी को ही चुनवा लने पर दृढ़ रहे जिससे कि प्रतिपक्ष की एकता को गहरा आघात पहुंचा है।

अस्तु, भारतीय जनसंघ दल ने उपाध्यक्ष पद के लिये होने वाले इस चुनाव का बहिष्कार करने का निश्चय किया है। तद्नुसार मैं अपने दल के निर्देशानुसार अपना नाम वापस लेता हूं। कृपया मेरा यह पूर्ण पत्र पढ़ कर मेरी भावनाओं से आदरणीय सदन को अवगत करा दें।

कुंवर श्रीपाल सिंह--

महोदय, उपाध्यक्ष पद के लिये मेरा नाम प्रस्तावित हुआ है। इस विधान सभा में यह स्वस्थ परम्परा कायम हुई थी कि इस पद के लिये प्रतिपक्ष की ओर से एक सर्वसम्मत नाम प्रस्तावित हुआ करता था परन्तु खेद है कि प्रतिपक्ष के नेता चौधरी चरण सिंह न विरोधी दल के नेता के बजाय केवल भारतीय क्रान्ति दल के नेता के रूप मे ही आचरण किया है और अपने दल के प्रत्याशी को ही चुनवा लेने पर दृढ़ रहे जिससे कि प्रतिपक्ष की एकता को गहरा आघात पहुंचा है।

अस्तु भारतीय जनसंघ दल ने उपाध्यक्ष पद के लिये होने वाले इस चुनाव का बहिष्कार करने का निश्चय किया है। तदनुसार मैं अपने दल के निर्देशानुसार अपना नाम वापस लेता हूं। कृपया मेरा यह पूर्ण पत्र पढ़ कर मेरी भावनाओं से आदरणीय सदन को अवगत करा दें।

उक्त नियम 9 के उप नियम (4) क अनुसार मैं अब शेष अभ्यर्थियों के प्रस्तावक महोदयों को पुकारूंगा कि वे अपने-अपने प्रस्तुत करें।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मान्यवर, इस चुनाव के वोटिंग के पहले मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। मैं आपके सामने जैसा कि कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि इस विधान सभा में यह स्वस्थ परम्परा रही है कि प्रतिपक्ष की ओर से एक नाम सर्वसम्मत से आता था और सत्ता दल उसका समथन करता था। किन्तु आज सत्ता दल के सामने भिन्न-भिन्न उम्मीदवार हैं। तो जो नियम बना है उसको जब तक हमारा सत्ता दल नहीं तोड़ता है तब तक सत्ता दल वोट में हिस्सा नही ले सकता है क्योंकि हम 50 प्रतिशत से ज्यादा हैं और इसलिये जबतक सत्ता दल वोट में हिस्सा नहीं लेगा तब तक डिप्टी स्पीकर का चुनाव अवैध समझा जायेगा और वह नियम के अनुसार नहीं होगा। इसलिये नियम के अनुसार हम कांग्रेस दल के लोग वोट में तभी हिस्सा लेगें जबकि सर्वसम्मत से उपाध्यक्ष पद के लिए एक नाम होगा।

श्री अध्यक्ष--

आपकी यह उर्वर कल्पना है, हो सकता है सही हो।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, क्या बाकी लोग डिप्टी स्पीकर को चुनेंगे। यह चुनाव अवध है....

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मगर यह बात सही है कि सर्वसम्मति हो जाय और अगर नहीं होती है तो चुनाव तो करना ही है। अब सर्वसम्मति नहीं होती है तो पैदा कैसे करें? कोशिश तो की गई और इतनी बार चुनाव हटते हटते इतना समय हो गया।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसा कि हमारे सदन की यह परम्परा रही है कि उपाध्यक्ष विरोधी पक्ष का होता है और विरोधी दल की जितनी पार्टियां होती हैं वे एकमत से एक कैन्डीडेट को खड़ा करती हैं और सरकारी पक्ष भी उसका समर्थन करता है एक मत से। अभी तक इस पर कोई विभाजन नहीं रहा और एक मत से हुआ करता था। मान्यवर उपाध्यक्ष के लिये विरोध पक्ष से एक नाम लाकर रखना चाहिये था ताकि सबकी सहमति हो और वोट न हो। लेकिन यह सम्भव न हो सका। जैसा कुंवर श्रीपाल सिंह और माननीय शारदा भक्त सिंह ने जो लैटर आपको लिखा है उससे मुझे तकलीफ हुई और इससे भी तकलीफ हुई कि माननीय नेता विरोधी दल ने भी कोई प्रयास नहीं किया। इस समय एक अजीब सी कड़वाहट पैदा हो रही है कि यह परम्परा टूट रही है। लेकिन मान्यवर, एक स्वस्थ परम्परा कायम रहे, इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर सम्भव हो सके तो कुछ दिनों के लिये आप उपाध्यक्ष का चुनाव पोस्टपोन कर दें ताकि यह ठीक तरह से हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

कुछ दिन से आपका मतलब कल से है या परसों से.....

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

काम तो चल रहा है।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मुझको बहुत अफसोस हो रहा है माननीय शारदा भक्त सिंह के पत्र और श्री कुंवर श्रीपाल सिंह जी के पत्र के मजमून से। उस वक्त जब ये पत्र पढ़े जा रहे थे तो मुझको मेरे साथियों ने मशविरा दिया कि मैं खामोश रहूं, खाम खां कड़वाहट होगी। लेकिन श्री भीखालाल जी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह खुद कैन्डीडेट भी नहीं थे, लेकिन इस प्रश्न को उन्होंने उठाया, इसलिये मुझे कहने की जरूरत हुई। पहली बात तो यह है कि विरोध पक्ष की तरफ से सर्वसम्मति से नाम पेश होता है, ऐसा नहीं होता। मुझको नहीं मालूम कि वह इस बात को जानते हैं कि विरोध पक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर का नुमाइन्दा हो यह मेरे ही इनीशिएटिव पर डा० सम्पूर्णानन्द जी के जमाने में हुआ। उस वक्त श्री राम नारायण त्रिपाठी सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर थे और डा० सम्पूर्णानन्द जी की तरफ से हम लोगों ने यह मशविरा दिया कि उनका नाम पेश हो। कम से कम मुझे याद नहीं है कि उस वक्त भी 6 दल थे और उन्होंने मिलकर नाम पेश किया हो। हमारे दल की तरफ से सजेशन था कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का नाम पेश हो और उनका नाम पेश हुआ। जिसको कांग्रेस पार्टी ने मान लिया। यह सन् 57 में हुआ। अब सन् 62 आया। मान्यवर, परम्परा हुआ करती है कि 25 बार, 20 बार या 15 बार कोई एक बात हो। एक बार पर परम्परा नहीं हुआ करती। तो सन् 1962 में माननीय चन्द्र भानु गुप्त ने इस पर अमल नहीं किया। उनके दल की तरफ से श्री होती लाल जी अग्रवाल का डिप्टी स्पीकर के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

लिये चुनाव हुआ। तीसरी बार सन् 1967 में इसका मौका आया तो श्री जगदीश शरण श्री अग्रवाल अध्यक्ष पद के लिये चुने गये थे और उसके बाद गवर्नमेंट बदल गई। जब जिस पार्टी ने जगदीश शरण जी अग्रवाल को चुना था अध्यक्ष पद के लिये वह अपोजिशन में आ गई और दूसरी पार्टियां ट्रेजरी बेंच की तरफ आईं। ट्रेजरी बेंचेज की 10 महीने तक मेजोरटी रही और बाद में मेरे इस्तीफा देने पर गिरी। ट्रेजरी बेंचेज की उस वक्त जब कोलीशन हुआ तो श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल जी उस समय अध्यक्ष थे, वह विरोध पक्ष के नुमाइन्दे थे। मैंने कोई दरख्वास्त नहीं दी और चाहा नहीं कि वही बहैसियत स्पीकर काम करें।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

उन्होंने यह लिखा था कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं लेकिन आपने उनको लिखा कि नहीं आप चलेंगे और इसलिये वह काम करते रहे।

चौधरी चरण सिंह—

यह उनकी शराफत थी लेकिन मुझे याद नहीं कि उन्होंने क्या लिखा था। मैंने उनसे कहा था कि आप ही चलते रहें और आपको हमारा पूरा विश्वास प्राप्त बावजूद इसके कि आपके और हमारे पोलिटिकल ओपिनियन्स में अन्तर है। सन् 1969 की बात आयी। वहां पर भी सबकी तरफ से एक नाम की बात आयी लेकिन उसके बावजूद भी श्री भानु प्रतापसिंह जी का नाम पेश हुआ और आपका भी नाम पेश हुआ। भानु प्रताप सिंह जी उस वक्त स्वतंत्र पार्टी के मेम्बर थे और बाद में मेरी और गुप्ता जी की करेस्पान्डेन्स है, वह फाइल मेरे पास रखी हुई है। गुप्ता जी चाहते थे कि भानु प्रतापसिंह जी हट जावें लेकिन बहुत लोगों ने आग्रह किया तो भानु प्रताप सिंह जी ने स्वयं ही अपना नाम वापस ले लिया और आप का एलेक्शन ही हुआ तो आपका जो यह कहना था कि विरोधी पक्ष की सभी पार्टियों ने मिलकर एक नाम पेश किया और उसके बाद चुनाव हो गया ऐसी बात बिलकुल सही नहीं है, उन्होंने अपना नाम वापस लिया और उसके बाद आप चुने गये। मैं जानना चाहता हूं कि यह परम्परा कि विरोधी पक्ष मिल कर एक नाम पेश करें, कब हुई, कहां हुई और यह मुमकिन भी नहीं है।

(व्यवधान)

कोई साहब वहां से बैठे-बैठे कमेन्ट कर रहे हैं। उठ कर कहें और जब उनको मौका मिले तो कहें। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये कह रहा था कि आज विरोधी पक्ष में 5 या 6 पार्टीज हैं, ऐसे भी दल हैं जिनके पांच या 6 सदस्य ही हैं, एक सज्जन इनमें ऐसे भी है जो किसी भी दल से वास्ता ही नहीं रखते तो ऐसी सूरत में अगर यह अनिवार्य कर दिया जाय कि सबका एक मत होगा, तो यह बहुत मुश्किल है, यह हो नहीं सकता तो इसलिये मेरा कहना है कि पहले तो इस तरह की कोई परम्परा रही है यही नहीं है और फिर अगर यह परम्परा रही है तो फिर किसको चुना जाय, अब इसमें सबका ऐग्रीमेंट हो नहीं सकता। रहा यह कि मैं विपक्ष का नेता नहीं हूं तो कानून की वजह से हूं। आपने तो मुझे विरोधी पक्ष का नेता नहीं चुना। आपके वोटों से अगर होता और आपके जरिये से चुना जाता तो मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती थी और इस तरफ मैं ज्यादा कोशिश करता कि मैं सभी का नेता हूं लेकिन मैं तो केवल बी०के०डी० का नेता हूं अब यहां पर मैं हूं तो जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय क्रान्ति दल और मैं उसका नेता हो गया इसलिये मैं नेता विरोधी दल कानूनन हूं और अगर यही लाजिमी कर दिया जाय कि सर्वसम्मति से चुनाव हो तो वह भी कभी नहीं हो सकता। खैर, मैं इसकी ज्यादा वजाहत में नहीं पड़ना चाहता।

लेकिन सन् 1969 में भी भारतीय क्रान्ति दल विरोधी दलों में सबसे बड़ा दल था और उसमें 98 सदस्य थे और जनसंघ दल में उस वक्त 49 मेम्बर थे, फिफ्टी परसेंट और सोशलिस्ट पार्टी के सिर्फ 33 आदमी थे और उस वक्त कानून के जरिये से बाकायदा आपोजीशन लीडर घोषित नहीं हुआ था लेकिन उस वक्त आपका नाम पेश किया और साथियों को समझाया और उस वक्त मेरे साथियों ने मुझसे कहा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है।

फिर भीखा लाल जी ने कहा कि मैंने कोशिश नहीं की। पहली बात तो यह है कि मैं भीखालाल जी के दल को आपोजीशन का दल ही नहीं मानता और न उनको आपोजीशन की किसी पार्टी का लीडर ही मानता हूं।

श्री भीखालाल—

मैं आपको विरोधी दल का नेता नहीं मानता हूं। आप स्वयं ही कह रहे हैं कि आप पूरे विरोधी पक्ष के नेता नहीं हैं और इसलिये आपको विरोधी दल का नेता माना ही नहीं जा सकता।

चौधरी चरणसिंह—

आप इतना नाराज क्यों होते हैं? अध्यक्ष महोदय, जरा देखिये कितना बिगड़ते हैं। मैं यह कहता हूं कि आपका कहना गलत था कि मैं विरोध पक्ष का नेता नहीं हूं। अब यह कि आपने मुझे चुना, तो आपने मुझे नहीं चुना। आप कहते हैं कि विरोध पक्ष का नेता नहीं मानते तो आपके मानने या न मानने का प्रश्न नहीं उठता। मैं विरोधी दल का नेता हूं तो कानूनन नेता हूं। रहा आपके बारे में तो मैं आपको विरोधी दलों में से एक नहीं मानता।

श्री भीखा लाल—

मैं आपको नेता मानने के लिए तैयार नहीं।

चौधरी चरणसिंह—

क्योंकि आप उनके खिलाफ वोट देंगे नहीं। आपका क्रिटीसिज्म उसी तरह का होता है जैसे ट्रेजरी बेन्चेज से होता। अभी बिजली की बाबत था। मैं तो मौजूद नहीं था। लेकिन अखबारों में पढ़ा कि कांग्रेस बेन्चेज से क्रिटीसिज्म हुआ। लेकिन अगर गवर्नमेंट गिरने की नौबत आये तो कांग्रेस पार्टी के लोग गिरने नहीं देंगे। आपका क्रिटीसिज्म भी उसी तरह का है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोगों का। जब नो कांफीडेन्स मोशन आया या डिमान्ड पर वोट देने की बात आयी तो आप तैयार नहीं हुए। वोटिंग के वक्त आप मौजूद नहीं थे। इसलिये मैं आपकी पार्टी को एक अपोजीशन पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं। जहां तक रही बात इसकी कि मैंने कोशिश नहीं की...

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

जब आप 16 आदमी लेकर कांग्रेस से निकले तो आपने सबसे बड़ी अनुशासनहीनता की थी। आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आपके दल का नाम भी नहीं था उस वक्त। आप बात करते हैं बड़ी लम्बी चौड़ी, ईमानदारी की और नैतिकता की।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

कांग्रेस के लोग खुश हो रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि एक बार अपील करें शांति की । मैं बोल रहा था । एक साहब बीच में खड़े हुए, कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं था । वह बारबर बोलते रहे । मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप खामोश करने की कोशिश करते । मैं अब उनसे नहीं कह रहा हूं, हाउस से कर रहा हूं कि मेरी बात सुनें । मैं यह कहना चाहता था और मजीद कहना चाहता था कि यह कहा जा रहा है कि मैंने कोशिश नहीं की । पूछा जाय माधव प्रसाद त्रिपाठी से कि अनेक बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की । सिर्फ भीखालाल जी से कोशिश नहीं की । रामपाल सिंह और नियाज हसन से बात की । शिव प्रसाद गुप्त भी उनके साथ थे । मैंने भीखालाल जी से बात नहीं की । यह कहना कि सर्वसम्मति से नाम पेश होगा तो यह गलत है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरे दल ने निश्चय कर लिया है कि मैं उपाध्यक्ष के इलेक्शन से दूर रहूं । उन परिस्थितियों के आधार पर जिनका वर्णन अपने त्यागपत्र में किया है । माननीय चौधरी साहब की बात सही है कि मुझे बुलाकर बात की और उन्होंने कई लोगों से बात की । मैं चौधरी साहब से इस बात पर आग्रह करता रहा कि हम दोनों एकमत के हैं यह परम्परा रहनी चाहिए कि विरोध पक्ष से कोई उपाध्यक्ष बने । मैं अपनी तरफ से यह कोशिश करता रहा । मैं किसी कंट्रोवर्सी में से नहीं पड़ना चाहता । मेरा चौधरी साहब से आग्रह था कि दो दलों से हम में से और आप में से कोई उपाध्यक्ष हो सकता है तो आप बड़े भाई हैं लेकिन जब परम्परा की ओर हम निगाह डालते हैं तो अच्छा होता कि हमारे दल का व्यक्ति हो हम दोनों इस पहलू पर एक मत नहीं हो पाये । मैंने केवल इस बात पर प्रकाश डाला कि हम क्यों सहमत नहीं हुए उसका कारण मैंने दिया ।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह मासला करीब एक माह से चला आ रहा है और आज फिर यह बात चुनाव के दिन भी हो रहा है । मैं तो समझता हूं कि हम विरोधी दलों को लड़ाया जा रहा है । एक सुझाव भीखालाल जी की तरफ से आया है अगर एक मत से कोई व्यक्ति हो सके तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है । मेरी नारायणदत्त जी से अभी मुलाकात भी हुई थी । मैंने उनसे कहा बेहतर यह है कि एक नाम आये अगर बैठ कर हम एक राय हो सकें तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है ? भीखालाल जी का जो प्रस्ताव आया है अगर यह संभव हो सकता है तो मैं समझता हूं कि इस पर गौर करना चाहिये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी हम यह समझ रहे थ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरह से आपका चुनाव सर्वसम्मत से हो गया था उसी तरह से उपाध्यक्ष का चुनाव किसी न किसी विधि से सर्व-सम्मत हो जायगा । मान्यवर, जिस पद पर आप बैठे हैं और जिस पर उपाध्यक्ष बैठते हैं वह कंट्रोवर्सी तथा झगड़े के ऊपर पद है और मुझे जरा क्लेश हुआ माननीय नियाज हसन खां साहब की बात सुनकर कि कोई कुचेष्टा इसमें की जा रही है । हम बराबर यह कहते रहे हैं कि निश्चितरूपेण हम इस पद को विरोधी दल को देना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि इसके लिए कोई चुनाव हो । अब तक यह होता रहा है कि शासक दल विरोधी पक्ष में से एक आदमी को मंजूर कर देता था और विरोधी पक्ष कहता था कि फलां व्यक्ति को वह मंजूरी देता है और उसका नामांकन कर दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

जिसको बनाया गया वही कांग्रेस में चला गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुझे अफसोस है कि बांकेलाल जी जो कहे इसके विपरीत कहना मेरे लिये संभव नहीं है। बांकेलाल जी के विपरीत बात कहना उचित प्रतीत नहीं होता। जो वह कहें वही सत्य है, कौन झगड़े में पड़े ? मैं नहीं जानता था कि इसमें इतने पेंच और इस तरह की बातें उत्पन्न होंगी। चौधरी साहब का यह कहना ठीक है कि सर्वसम्मत से कैसे किया जाय ? परम्परा सर्वसम्मति की थी भी नहीं। इतनी ही परम्परा है कि विरोधी दल से उपाध्यक्ष होता है। यदि ऐसी परम्परा थी तो किसी दल ने यह कभी नहीं कहा था कि हम चुनाव से अलग रहेगें। आज यह एक नई परम्परा हो रही है कि एक दल जो विरोधी पक्ष में दूसरा बड़ा दल है, यह कह रहा है कि वह चुनाव से अलग रहेगा। अब मेरी राय तो यह थी कि जन-संघ का एक भी आदमी न चुना जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमारे माननीय सदस्य जब यहां इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं उनको अस्वीकार करना जनता का एक तरह से अनादर करना होगा। उनकी उपस्थिति हमें स्वीकार करनी होगी भले ही हमारा मन कुछ भी हो। अब एक दल तटस्थ होना चाहता है ...

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम बहिष्कार कर रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं इस इलेक्शन में किसी भी प्रकार का भाग नहीं लूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरी तो राय यह है कि इस पद की गरिमा इसी में है अगर हम चुनाव आज न करें। कोई जल्दी नहीं है। अब दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि विपक्ष इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही डाल दे और जसा हम कहें वैसा वह मान ले या फिर चौधरी साहब पुरची डाल दें। मैं माननीय भीखालाल जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस झगड़े में न पड़ें.... (व्यवधान)। मैं मानता हूं कि अगर देश में कोई पार्टी है तो वह कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया है। मैं यह भी मानता हूं कि यह पार्टी कांग्रेस की अंध-विरोधी पार्टी नहीं है और जो दल इस पार्टी को अन्ध-विरोधी पार्टी कहते हैं वे देश के सारे नक्शे में विचरण करते हैं .... (व्यवधान)।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

सन् 42 में भी यह पार्टी बहुत सूझ-बूझ की बात कहती थी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। वह सभी को मालूम है। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता है कि आज भी कुछ लोग, दल और व्यक्ति भारत में ऐसे हैं जिन्होंने सन् 45 से पहले अंग्रेजों का साथ दिया और आज क्रांतिकारी रूप रखकर आगे-पीछे चल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सामने दो विकल्प है। तीन माननीय सदस्य शेष रह गये हैं। उनमें से दो व्यक्ति यदि अपना नाम वापस

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

लें तब एक आदमी सर्वसम्मति से हो सकता है। अगर यह सम्भव नहीं है तो मैं समझता हूं कि चौधरी साहब को इस स्तर पर उदारता करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आज यह चुनाव आगे के लिये टाल दिया जाय....

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात से सहमत नहीं हूं। ये 15 अगस्त सन् 47 के पहले के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कांग्रेस के नहीं हैं क्योंकि इन्होंने गद्दी पर बैठते ही उनको गोली से मरवाया था... (व्यवधान)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगर चुनाव सर्वसम्मति से न हो तो मनों की इस कड़वाहट को दूर करने की जरूरत है। आप तीनों माननीय सदस्यों से पूछ लें। अगर वे नाम वापस लेते हैं तो ठीक है अन्यथा मैं फिर दूसरा निवेदन प्रस्तुत करूं ?

श्री अध्यक्ष—

इस समय हमारे सामने तीन नाम हैं। एक श्री बलवान सिंह, दूसरा मोहम्मद असरार अहमद और तीसरा कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा। इसके पूर्व कि कोई विधिवत् प्रस्ताव लाने की इजाजत दूं, यह कहना चाहूंगा कि इनमें से जो माननीय सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहें वह संकेत करें ?

(किसी के भी अपना नाम वापस न लेने पर)

कुछ समय दिया जाय ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अब मान्यवर, मेरा सुझाव है कि चौधरी साहब मान लें और इसे फिलहाल टाल दें ?

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा और आपके जरिये मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि अब तीन व्यक्ति हैं कुशवाहा जी हैं और बलवानसिंह हैं और तीसरे हैं श्री असरार अहमद। इसमें से दो कोई नाम वापस ले लें और थोड़ी देर रुकें और चुनाव हो जाएं इसको ज्यादा अब टालने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब चुनकर ही यहां आए हैं इसलिए चुनाव से हमें कोई डरने की बात नहीं है, चुनाव में कोई तीखापन नहीं होता है। फर्क यह है हम सब जनता से चुने जाते हैं और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव हम लोगों द्वारा किया जाना है। हमें इससे भागने की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इस समय सर्वश्री बलवानसिंह, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा और मोहम्मद असरार अहमद के नाम प्रस्तावित हैं। इनमें से जो अपना नाम वापस लेना चाहें, वह खुद कृपया अपना नाम वापस ले लें।

श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)—

अभी तीनों वापस ले लें अपना अपना नाम, फिर बाद में देखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं 5 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग बातचीत करके, जो लोग दिलचस्पी रखते हों, इसे तय कर लें, जिससे कोई सर्वसम्मति से सस्ता निकल सके।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

आप आधे घंटे के लिए स्थगित कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--

आधे घंटे के लिए कर दूं ?

चौधरी चरणसिंह--

मैं आपसे अर्ज कर चुका था और त्रिपाठी जी के बारे में जो कहा था उस पर उन्होंने प्रकाश डाल दिया, मैंने नियाज हसन साहब से भी बात की थी। रामपाल जी से बात की थी, उन्होंने वचन भी कुछ दिया था, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहता। अब कोई फायदा नहीं है। इतने दल हैं और कुछ नो पार्टी मैन हैं, इसलिये किसी हालत में सर्वसम्मत चुनाव नहीं हो सकता है और यह काबिले अमल भी नहीं है। इसलिए मेरा विचार है कि आधा घंटा रोकने से कोई फायदा नहीं है। अभी वोट ले लिये जाएं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, मैंने पहले भी कहा, मेरा पहले से यह विचार था और मेरा दृढ़ मत है कि इसमें बातचीत करके कोई रास्ता निकल सकता है और जो तीन सम्भावनाएं मैंने बताई थी, उसमें कोई आपत्ति हो और जो माननीय सदस्य कहते हों वही ठीक हो तो वह हो। चुनाव ही होना है तो विपक्ष कर ले, हमें उससे बाहर कर दे।

श्री अध्यक्ष--

(नेता विरोधी दल की ओर मुखातिब होकर) एक दल पहले से ही है जो चुनाव में भाग नहीं लेगा, अब एक दूसरा दल भी भाग नहीं लेगा, जैसा नेता सदन न अभी कहा। ये दो बड़े दल हैं, यह तो दूसरी बात हो जाएगी। इसलिए आधा घंटा देख लिया जाए। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

चौधरी चरणसिंह--

जब बातचीत में अपने दोस्तों से कर चुका हूं, तो अब क्या किया जाए ?

श्री अध्यक्ष--

जब नेता सदन कह रहे हैं, तो फिर आधे घंटे के लिए बात कुछ हो जाए, तो उसमें दिक्कत क्या है। मेरा ख्याल है, आधा घंटा के लिए आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

चौधरी चरणसिंह--

मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है आप चाहे आधा घंटा रुकें या एक घंटा रुके, लेकिन....

श्री अध्यक्ष--

तो आधे घंटे के लिए मैं सदन को स्थगित करता हूं और आधा घंटे में मुझे आशा है कि कोई रास्ता निकल आएगा।

(इस समय 12 बजकर 40 मिनट पर सदन स्थगित हुआ और 1 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपके समक्ष तीन नाम फिर पढ़ देता हूं। (1) श्री बलवान सिंह, (2) श्री मोहम्मद असरार अहमद, (3) कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा। मैं निवेदन करूंगा कि इससे जो अपना नाम वापस करना चाहें वह कृपया अपना नाम वापस ले लें।

(कोई आवाज नहीं आयी।)

श्री भीखालाल—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज का यह उपाध्यक्ष का चुनाव, मुल्तवी कर दिया जाय अगली तारीख के लिए।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने वह प्रारम्भ में भी कहा था। जैसा कि हमारे दल ने निर्णय किया और हमारे दल के माननीय सदस्यों ने लिख कर दिया, वह आपके सामने आया। मैंने इस अवसर पर यह भी व्यक्त किया कि मुझ से चौधरी साहब की बातचीत हुई। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमने उनकी बात नहीं मानी। ऐसी स्थिति में हमारे दल ने निर्णय लिया कि हम इस चुनाव में भाग न लें, अपने को इससे दूर रखें। हमने समझ बूझ कर अपने क्लेम को प्रेस किया था। उसके बारे में हमने निर्णय लिया। अब हम समझते हैं कि जब तक चुनाव का कार्य चलेगा हम सदन में तब तक नहीं रहेंगे।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल के साथ सदन से बाहर चले गये।)

श्री काशी नाथ मिश्र—

पहले यह प्रस्ताव विचाराधीन है जो माननीन भीखालाल जी ने किया और मैंने समर्थन किया। उस प्रस्ताव पर वोट करवाएग तब चुनाव की प्रक्रिया होगी।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, यह पद जो है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बताया भीखालाल जी ने बताया सर्वमान्य पद है। यह सदन से ऊंचा पद है। इसलिए हम आग्रह करेंगे अपोजीसन के लीडर चौधरी चरणसिंह साहब से जो स्थिति पैदा हो गयी है, इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए चौधरी साहब खुद इस पर विचार करें और चौधरी साहब ने अपोजीशन की अन्य जो पार्टियां हैं, उनके विचारों का सम्मान नहीं किया है इसीलिए मैं आग्रह करूंगा कि चौधरी साहब ऐसी स्थिति न पैदा होने दें जो भविष्य में बनी रहे। कोई भी हो जाय, चौधरी साहब की पार्टी का हो जाय जिससे कटुता न बनी रहे। मैं आग्रह करूंगा चौधरी साहब से कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिये चौधरी साहब अन्य पार्टियों का सम्मान करें वरना सदन में एक कटुता बनी रहेगी।

श्री नियाज हसन—

अध्यक्ष महोदय, यह एक मुश्किल खड़ी हो गयी है। जनसंघ भाग नहीं ले रहा है और माननीय मुख्य मंत्री ने भी कह दिया कि वह भी भाग न लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई चुनाव होगा तो फार्स होगा। मैं बावजूद इसके कि चौधरी साहब से इत्तिफाक करता कि वह जो चाहते हैं कि चुनाव हो, जब दो बड़ी पालिटिकल पार्टियां शरीक न हों तो बेहतर यह है कि एक मर्तबा फिर कोशिश कर ली जाय और इस चीज को कुछ दिन के

किए मुल्तवी कर दिया जाय । और यही नहीं कि तीन नाम रहे बल्कि अस्सरे नौ नामजदगी हो और फिर उस पर चुनाव हो ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, अब तक तो यह बदकिस्मती है कि अब तक हम सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते थे कि वह विरोधी दलो के लोगों को तोड़ना चाहता है। आज देश में विरोधी दल की एकता जरूरत से ज्यादा आवश्यक है और उस दिशा में अपने कार्यक्रम के अनुसार अपने मतभेदों को भुलाकर देश के सभी विरोधी दल एक निश्चित विचार की ओर आ रहे हैं। ऐसे समय में सदन में आपस में कटुता बने, विरोधी दलों में अविश्वास की भावना पैदा हो उससे बचने के लिये इसके अलावा और कोई मुनासिब कदम नहीं कि हम लोग इस चुनाव को आज स्थगित करें और ठंडे दिल से इसे विचार करें। अगर नेता विरोधी दल की यह आस्था है कि उनके ही दल का कोई हो तो वे विरोधी दलों को कांफीडेंस में लेकर विचार करें। उनके पास तो उम्मीदवारों की एक बहुत लम्बी फौज है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और चौधरी साहब से आग्रह करूंगा कि वह विरोधी दलों की एकता को मद्देनजर रखते हुए और सत्तारूढ़ दल का यह कहना कि हम तो अवसर देना चाहते हैं लेकिन विरोधी दल स्वयं एकता को तोड़ते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुये, मैं भीखालाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और वे इस पर नयी दृष्टि से विचार करके प्रयास करें और उनके प्रभाव का असर होगा और कोई न कोई सर्वसम्मति से उम्मीदवार सामने आयेगा। सदन 2-3 दिन में बन्द होने वाला है। हम 4-6 महीने में अपने-अपने क्षेत्रों में रहेंगे। इसलिये हम चाहते हैं कि आज आप इसको मुल्तवी करें।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, चुनाव को स्थगित करने का प्रस्ताव बेबुनियाद है जब विरोधी दलों के किसी सदस्य के लिये ही उपाध्यक्ष के पद के लिये चुनाव होना है तो आपस में चुनाव लड़कर चुनाव कर सकते हैं। सत्ता पार्टी अगर भाग नहीं लेना चाहती है तो वह अपने को अलग रख सकती है। जब विरोधी दलों को यह पद दिया गया है तो हम लोगों को चुनाव करना चाहिये। कटुता की बात मैं नहीं समझता, किसी तरह की कटुता, चाहे चुनाव स्थगित करें, चाहे कितना ही समय बढ़ायें लेकिन कभी भी एक नाम पर सहमति नहीं होगी। मैं समझता हूं कि यह सदन के लिये कलंक की बात होगी। बार-बार चुनाव पद की गरिमा हट रही है इसलिये हम चाहते हैं कि आज ही चुनाव होना चाहिये और जो चौधरी साहब ने कहा है हम उसका समर्थन करते हैं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, संगठन कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव किया है कि चुनाव स्थगित किया जाय और भीखालाल के प्रस्ताव का समर्थन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा तरीका होगा, कितने दिन का मौका होगा कि विरोधी दल आपस में एक नाम तय कर लेंगे। यह बहुत दिनों से बात चली आ रही थी। नेताओं से बात करने के बाद यह नौबत आई और यदि आप एजेंडा देखें तो इन्हीं सदस्यों ने दो-दो आदमियों के प्रस्ताव का समर्थन किया है फिर कैसे एक मत हो सकता है, इसलिए आज ही चुनाव करा दें, तो जब तक ऐसी भावना चलती रहेगी तो इसके टालने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आग्रह करूंगा कि 6 महीने के लिये इसको टालना व्यर्थ है। यह कटुता बनी रहेगी। इसलिए इसको आज ही खत्म कर दिया जाय ताकि आइन्दा कटुता न रहे। यह मेरा आग्रह है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बांके लाल—

अध्यक्ष महोदय, कोई जरूरत नहीं है कि चुनाव टाल दिया जाय। हमने विरोधी दलों के नेताओं से बात की लेकिन कोई बात इत्मीनान की मालूम नहीं होती है। चुनाव टालने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं जहां तक समझता हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि विरोधी दल के लोग हों, जितने हुए सबके सब कांग्रेस में चले गये। इस बात को जब मैंने कहा तो बहुत से लोग नाराज हो गये और बहुगुणा जी ने कहा कि बांके लाल क्यों कहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं मैं चुनाव में भाग नहीं लूंगा, जनसंघ कहता है कि चुनाव में भाग नहीं लूंगा तो ये चुनाव से क्यों डरते हैं। यह पालिसी इनकी नहीं चलेगी। आप चुनाव करा लें। जो होना हो, हो जाये, कोई परवाह नहीं है। अब तिकड़म नहीं चलेगी।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करना चाहता हूं कि टेकनिकल ढंग से इस प्रश्न का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। मेरा यह निश्चिय मत है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वह सर्वोपरि है और अगर उस पर माननीय सदस्यों के असहयोग से कोई व्यक्ति बैठ जायेगा तो जाहिर है कि माननीय सदस्यों का सहयोग जो इस सदन के लिए अपेक्षित है, प्राप्त नहीं होगा। मैं स्वयं इस राय का हूं। कानूनी पहलू चाहे जो कुछ भी हो लेकिन उस पद की गरिमा को देखते हुए यह आवश्यक है कि सदन के अधिकांश दलों का सहयोग प्राप्त हो। मैं इस राय का हामी हूं कि एक अवसर इसके लिए मिलना चाहिए जिससे प्रयास किया जा सके जैसा कि हमारे दल के नेता और अन्य दलों के नेताओं ने कहा। मेरा यह प्रस्ताव है कि आज इस चुनाव को टाल दिया जाये जिससे हम पुनः एक मत होने का प्रयास कर सकें और उसके लिए अवधि दें और सदन मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे कि नये सिरे से उपाध्यक्ष का चुनाव हो और तिथि घोषित की जाये।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति को देखकर इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि एक मसला हल करना है उपाध्यक्ष के चुनाव का। आज सदन में मुख्य मन्त्री बैठे हैं और नेता विरोधी दल बैठे हैं और छोटा सा मसला आज नहीं हल कर सकते हैं तो कैसे इस प्रदेश की नाव पार होगी। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि नेता सदन और विरोधी दल के नेता चाहें तो 5 मिनट में यह मसला हल हो सकता है। लेकिन इतना तिकड़म किया जा रहा है जिससे यह मसला तय नहीं हो पा रहा है। 1959 से मैं विधान सभा सदस्य हूं। प्रदेश की ऐसी स्थिति चल रही है और आखिर में मामला किरकिरा नहीं करना चाहिए। आप लोग इस मामले को आधे घन्टे में तय कर दें नहीं तो यह सब दोष आपके ऊपर ही आयगा। आप इसको निर्विरोध तय करें।

श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

इस पर अपोजिशन के सब दलों के नेताओं का किसी एक नाम पर इत्तफाक करना जरूरी है माननीय नियाज साहब ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है, उसका भी हम कुछ हद तक समर्थन करते हैं लेकिन जनसंघ वालों की वजह से यह साबित हो गया है कि अपोजिशन में हकूमत करने की सलाइयत नहीं है जबकि हम एक छोटे से मामले पर इतना झगड़ रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*चौधरी चरण सिंह--

माननीय भीखालाल जी और माननीय नियाज हसन खां ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि यह मामला टाल दिया जाय और फिर कभी लिया जाय ताकि सर्वसम्मति हो सके। सोचने की बात यह है कि यह कौन बारीक मामला है जिसमें बारीक दलीलें दोनों तरफ से दी जायंगी। दलील का कोई सवाल नहीं है। आप मेरी बात मानें, या मैं आपकी बात मानूं। इस मसले को मुल्तवी करने से कोई सवाल हल नहीं होता है। यह मसला 3-4 महीने से मुल्तवी हो रहा है। मैंने एक बार शुरू में ख्वाहिश जाहिर की थी, फिर मैंने नहीं चाहा था कि यह मुल्तवी हो। सदन को मालूम है कि माननीय त्रिपाठी जी से कई बार बात की, माननीय नियाज साहब ने तो खुद कहा कि मैंने उनसे भी बात की। माननीय राम पाल सिंह से 17 तारीख को बातें कीं और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और वे हमारे कैन्डीडेट को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद उनकी पार्टी की ओर से एक कैन्डीडेट का नोमिनेशन कल हुआ तो मैं उनसे और क्या बातें करूं, अब मैं उनसे अपील करता हूं। जब मेरी उनसे पहले बात हुई अपने कैन्डीडेट को वापस लेने की तो जो बात मैं अलग से कहता वह मैंने ओपिनली कह दी। अब रह जाते है एक और कैन्डीडेट, माननीय बलवान सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त जितने उधर बैठे हैं, वे मेरी इस बात की कद्र करेंगे कि माननीय बलवान सिंह जी हमारे दल को छोड़ कर गये है। मैं उनसे बातें करूं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हरगिज मुमकिन मुमकिन नहीं है, लिहाजा यह कहना कि कोशिश की जाय, यह नहीं हो सकता है और न कहीं कोई शर्त है कि चुनाव सर्व सम्मति से हो। केवल कौन्शैन्सस देखते हैं और अगर नहीं होती है तो मजोरिटी देखते हैं वरना मैं समझता हूं कि अपोजिशन में 185 के लगभग सदस्य हैं, तो सर्व सम्मत होने पर आप एक के हाथ में वीटो दे देंगे। यह प्रेक्टिकल नहीं है। उपाध्यक्ष का चुनाव बहुत दिन से टल चुका है अब आपको इलेक्शन कराना चाहिए।

श्री रामायण राय --

मैं पुनः माननीय चौधरी साहब से आग्रह करता हूं कि सर्वसम्मति से चुनाव हो सके और अगर सर्व सम्मति से न हो तो काफी बहुमत हो, एक की बात छोड़ दी जाय। सदन में इतने बड़े-बड़े दल हैं जनसंघ है, कांग्रेस (संगठन) है, एस० एस० पी० है। चौधरी साहब से मेरी आग्रह है, और आप मेरा आग्रह हमेशा से स्वीकार करते हैं कि वे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, यह बात सही है जैसा कि माननीय भाभी जी ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि हम एक नाम पर सहमति नहीं कर पाये हैं। सहमति का रास्ता तो यही था कि चवाइस हमारी रहती जो भी रूलिंग पार्टी रहती, चौधरी साहब तो रूलिंग पार्टी में नेता रहे हैं और वह मानेंगे कि हम लोगों ने शुरू से ही भूल की, चवाइस हमारी रहती और विरोधी दल कोई तय करके नाम देता तो यह प्रक्रिया बहुत आसान हो सकती थी।

चौधरी चरण सिंह--

फिर वह आपका कैंडीडेट होता। मैं यह पोजीशन कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि आपको सहमति की आवश्यकता है। अगर आपकी चवाइस रहती है तो रूलिंग पार्टी तो आप हैं ही. वह अपोजीशन का कैंडीडेट नहीं हो सकता। अगर अपोजीशन का कोई डिप्टी स्पीकर होना चाहिये, इसका मतलब यह नहीं है कि उसमें आपका अप्रूवल हो। आप उसमें ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि इतने आदमी हैं, इनमें यह बेहतर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[चौधरी चरण सिंह]

आदमी है, इसको एक्सपीरिएंस ज्यादा है, यह ठीक रहेगा। वरना तो वह अपोजीशन का नहीं रहेगा, आपका मेम्बर रहेगा।

*श्री सन्तसिंह युसुफ (जिला कानपुर)—

हम तो एक बात जानते हैं अगर चौधरी साहब बुरा न मानें तो कहूं। हो सकता है कि आपकी ही पार्टी का कोई और कैंडीडेट जनसंघ सजेस्ट करे, उसको तो आप विरोधी पार्टी मानते हैं या नहीं ? तो वह सजेस्ट करे तो आपको क्या एतराज है ? लेकिन अगर आप इसी तरह जिद करेंगे तो वह आपके लिए भी अच्छा नहीं है। .... मेरे मन में आशंका है। ज्यादा तो जानता नहीं हूं, जो उनके कैंडीडेट हैं उनके खिलाफ भी नहीं हूं, उनसे परिचय नहीं है। सम्भव है चूंकि मुसलमान हैं, तो कोई हिन्दू कैंडीडेट आपके यहां का हो जिसे जनसंघ वाले सजेस्ट करें तो मुमकिन है वह एग्री हो सके .. (एक आवाज—आप कब से जनसंघी हो गये ?) मैं तो जनसंघ का प्वाइंट आफ व्यु बयान कर रहा हूं कि अगर मुसलमान नहीं करना है तो यह तरीका है और मुसलमान करना है तो कांग्रेस (ओ) से भी एग्रीमेंट हो जायगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, तो जैसा कहा गया कि सदन को दो रोज और बैठना है और इस वातावरण में माननीय नेता संगठन कांग्रेस, माननीय नेता जनसंघ, माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी और माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी सबने राय दी है—जनसंघ ने इनऐक्टिवली और बाकी ने पोजीटिवली कि आज के चुनाव से उन्हें संतोष नहीं होगा। तो हम पर भारी बोझ आता है। एक असंतुष्ट स्थिति में चुनाव कराने से मैं समझता हूं, न तो विपक्ष की इसमें आस्था है और न इस सदन की। मैं मानता हूं कि चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं उनके पास तो सैकड़ों काम हैं, कैसे सबको एक राय बनावें, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि बातचीत करके कोई भी रास्ता और कोई तरीका निकले जैसे कि विरोधी दल के जितने माननीय सदस्य हैं सबके नामों की चौधरी साहब परची डाल दें, एक परची उठा दें, जिसका नाम हो उसको दे दें .....

श्री बांकेलाल—

यह तो मदारी का खेल हो जायगा।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

यहां भी आप जुआ खिला रहे हैं .....

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैंने अल्पबुद्धि से एक रास्ते का सुझाव दिया। मैं यह नहीं कहता कि इसको स्वीकार कीजिये। इसे नामंजूर कह दीजिये। यह कर सकते हैं माननीय, कि 35 से लेकर 40 साल तक के लोगों में ही सिलेक्शन रहेगा और जितने बूढ़े लोग हैं वह सब कट जायेंगे, नौजवान आदमी आगे आयेंगे विरोधी दल के।

तो जो प्रस्ताव भीखालाल जी ने रखा है कि यह मुल्तवी कर दिया जाय, अगले सत्र में किया जाय, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम सेवक यादव—

मुख्य मंत्री जी ने जो पर्चियां डालने की बात कही तो यह रास्ता आपके लिये बहुत आसान होगा क्योंकि आपके यहां बहुत उम्मीदवार हैं, तय कर लीजिये कितने मंत्री बनाने हैं, गोली डाल लीजियेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगर उसका झगड़ा आपके सामने लायें तब बताइयेगा।

एक सदस्य—

आपकी राय की जरूरत नहीं है ?

श्री राम सेवक यादव—

यह तो हम भी जानते हैं कि वहां राय की नहीं हुक्म की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय आप आज कर दें, इसको टालने की जरूरत नहीं है, यह बहुत टल चुका।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

हमारा सुझाव है कि इस पर आप मत ले लें।

श्री राम सेवक यादव—

इससे बदमजगी और ज्यादा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सत्तारूढ़ दल से भी हमारा निवेदन है कि वह बार-बार आग्रह करके जिनके बारे में हमको कुछ कहना नहीं है, कोई शिकायत के रूप में भी नहीं, तो कहीं इसका कोई दूसरा अर्थ निकालने के लिये लोगों को मजबूर न करें। बहुत टल चुका, जो भी निर्णय हो चुका वह होने दीजिये।

*श्री मोती लाल देहलवी—

जैसा कि शुरू में कहा था कांग्रेस के लोग विरोध पक्ष को कमजोर करने और उसको लड़ाने के लिये इस तरह की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जो रोल अदा कर रहे हैं, जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं उसका समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कर रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि क्या प्रक्रिया चलायी जा रही है और इसके पीछे क्या इरादा है। सिर्फ यही कि विरोध पक्ष आपस में लड़े और कमजोर हो वरना अबतक इसका हल निकल गया होता। इसलिये अच्छा यही होगा कि आज ही चुनाव करा दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

आपने जो आरोप लगाया यह बिल्कुल गलत है। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि विरोधी दल एक मत होकर एक नाम पेश करें। मैं जानती हूं कि यह समस्या बहुत गम्भीर और कठिन है लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समझती हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता श्री चरण सिंह की शक्ति और दिमाग के ऊपर मुझे इतना भरोसा है और आस्था है कि उन्हें जितना पोलिटिकल तजुरबा है और जो इनकी पसनालिटी और अपूर्व बुद्धि है अगर उसका प्रयोग वह करेंगे तो इस समस्या का समाधान शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। मुझे यह समझ में नहीं आता कि चौधरी साहब के मन में डिफीटिस्ट मेन्टैलिटी क्यों है मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा और आस्था है। इन शब्दों के साथ मैं भीखालाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और चौधरी साहब से एक बार फिर दरख्वास्त करती हूं कि वह इस समस्या को हल करने की कोशिश कर और एक ऐसा नाम पेश करें जिससे सभी लोग सहमत हों।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष —

जो प्रस्ताव है वह मैं सदन के समक्ष रखता हूं :

"यह सदन यह निश्चय करता है कि आजतक जो भी चुनाव की कार्यवाही हुई है उसको समाप्त किया जाय और चुनाव भविष्य में किसी तारीख में किया जाय और नये सिरे से चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया जाय।"

माननीय भीखालाल जी और माननीय रामपाल सिंह यादव ने यह प्रस्ताव रखा है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

(श्री चरण सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर) मान्यवर, आप जब खड़े हो गये और किसी प्रस्ताव को वोट लेने के लिये पुट कर दिया तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

*चौधरी चरण सिंह—

मैंने और मेरी पार्टी ने अब तक यही कोशिश की कि सदन का कार्य सुचारु रूप से चले और बराबर मेरी कोशिश यही रही, लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि हमको इसमें कठिनाई पड़ेगी। (व्यवधान) हमारे बहुगुणा जी ने भी बयान दिया कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, इसको आपोजीशन तय करेगा। अब बहुगुणा जी कहते हैं, हैविंग सिकिन्ड थाट, सहयोग तो हमारा है... (व्यवधान) मैं कहता हूं कि मैजारिटी तो आपकी है ही, आप यह कह सकते हैं कि यह बेहतर रहेगा या वह रहेगा लेकिन यह बात कहना अपोजीशन सब एक मत हो, कम्पलीट यूनानिमिटी ऐसे मामलों में हो नहीं सकती। माननीय रामायण राय और हमारी बहिन जी ने भी अभी कहा, मगर मैं कैसे करूं। वह हो नहीं सकती।

अब यही रास्ता रह जाता है कि मैजारिटी की राय से हो। आप कहते हैं कि यह सदन की गरिमा के खिलाफ होगा। लेकिन इसके लिये मैं बराबर कोशिश कर चुका हूं, मैं समझता हूं कि आगे भी मुझे इसमें सफलता मिलेगी नहीं। अब यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि आज तक की इसकी कार्यवाही समाप्त समझी जाय, दोबारा नामिनेशन हो, मैं समझता हूं कि यह इल्लीगल होगा, अनकान्सटीट्यूशनल होगा और अनप्रीसीडेन्टेड होगा। यह आपको चाहिये था कि आप ही इसको रूल आऊट कर देते। अब आप कहते हैं कि अब तक की कार्यवाही समाप्त हो, दोबारा नामिनेशन हों, यह मुनासिब नहीं है। अगर आप इसके लिये इनसिस्ट करते हैं, इस कार्यवाही को मुल्तवी करते हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और अपनी तबियत के खिलाफ कहना पड़ता है, आपको इसे रूल आऊट करना चाहिये था... (व्यवधान) जब नामिनेशन हो चुके, लोगों ने अपने नाम विदड्रा कर लिये, तो अब यह प्रस्ताव आना कि सारी कार्यवाही मुल्तवी की जाय, न्यू सिरे से अज सरेनौ, फिर इसकी कार्यवाही हो, तो यह सारी कार्यवाही, यद्यपि मैंने अभी इस पर सोचा नहीं है, अनप्रीसीडेन्टेड होगी, अन-कान्सटीट्यूशनल होगी। मान लो कान्सटीट्यूशनल हो भी, तो यह अनप्रीसीडेन्टेड होगी। लिहाजा मैं और मेरे साथी अब आगे की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और आप इन लोगों से कार्यवाही पास करा लें।

(चौधरी चरण सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष—

चुनाव से पूर्व यहां पर सदन में यह प्रस्ताव आता है कि मैं अमुक का नाम उपाध्यक्ष पद के लिये पेश करता हूं। अभी वह कोई कार्यवाही यहां नहीं हुई है। जिस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकार वह प्रस्ताव आ सकता है, उसी प्रकार यहां दूसरा भी प्रस्ताव आ सकता है कि चुनाव न हो। जब पूरा सदन एक राय का हो कि चुनाव टले तो कोई भी अध्यक्ष सदन की राय के बाहर कैसे जा सकता है। वह कैसे बहुमत की राय की उपेक्षा कर सकता है। मैं चाहूं या न चाहूं, मुझे तो जो यह प्रस्ताव है उस पर वोट लेना पड़ेगा और सदन का जो निर्णय होगा वह रहेगा। मेरी इच्छा कुछ भी हो, उससे काम नहीं चलेगा। सदन अपनी प्रक्रिया का स्वयं मास्टर है। मैं अब यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखूंगा।

प्रश्न यह है कि "यह सदन यह निश्चय करता है कि आज तक जो भी चुनाव की कार्यवाही हुई है उसको समाप्त किया जाय और चुनाव भविष्य में किसी तारीख में किया जाय और नये सिरे से चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

समितियों के चुनाव के लिये नाम वापस लेने के समय को बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मुख्य मंत्री--

अध्यक्ष महोदय, कमेटियों के चुनाव के सिलसिले में नाम विदड्रावल का समय शायद आज 12 बजे तक था लेकिन इन सारे कामों की वजह से काम नहीं हो पाया मेरी आपसे प्रार्थना है कि कठिनाई तो आपके सेक्रेटेरिएट को अवश्य पड़ेगी, लेकिन रात में जागना भी पड़े तो आज 6 बजे तक के लिये समय बढ़ा दिया जाय ताकि कमेटियों के चुनाव सुव्यवस्थित ढंग से हो जायं।

श्री अध्यक्ष--

4 बजे तक नहीं हो सकता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

5 बजे तक कर दें।

श्री अध्यक्ष--

5 बजे तक आ जायेगा ? हमें यह भी तो देखना है कि प्रेस से छप कर आ जाय।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

छापेखाने में सब तैयार रहेगा, जो नाम वापस होंगे वे हटा दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन की राय के अनुसार कमेटियों के लिये नाम वापसी का समय आज 5 बजे तक के लिये बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से अपनी एक बात मैं कह दूं। अभी हमारे माननीय सदस्य श्री सन्त सिंह युसुफ ने कहा कि अगर कोई मुस्लिम कंडिडेट न रहे तो शायद जनसंघ मान जाय। मैंने बार-बार कहा है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे अगर हमें वह जगह

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

नहीं मिलती है। चूंकि इस पर कोई एक मत नहीं हो सका और वह जगह हमें नहीं मिली इसलिये मैंने इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया। यहां हिन्दू-मुसलमान का कोई सवाल नहीं है। आप लोग मुझे जो कुछ भी समझें लेकिन मेरे लिये हिन्दू मुस्लिम सब बराबर हैं।

पंचम विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचम विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूं।

पंचम विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति का पंचम प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचम विधान सभा की संसदीय अध्ययन समिति के पंचम प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूं।

विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 350-357 पर)

उत्तर प्रदेश, शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 249 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) विधयक, 1974 को जो विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त, 1974 के उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 17 अगस्त, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 249 के अन्तर्गत में सूचित करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 जो विधान सभा के दिनांक 7 अगस्त,

---

†छापा नहीं गया।

1974 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 19 अगस्त, 1974 को वापस प्राप्त हो गया है।

श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री सुखद राज सिंह की जेल से रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि माननीय बाबूलाल वर्मा और माननीय सुखदराज सिंह, सदस्य, विधान सभा जो बहराइच जेल में थे, 17 अगस्त, 74 को उन्हें जेल से छोड़ दिया गया है।

इलाहाबाद में जल संकट के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न का गलत उत्तर देने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना देनी है।

दिनांक 17 अगस्त, 1974 को श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने नियम 63 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग तथा सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद जिले में पानी के संकट के विषय में श्रम मंत्री द्वारा 30 जुलाई, 1974, के तारांकित प्रश्न संख्या 5 का असत्य तथा भ्रामक उत्तर दिये जाने के संबंध में उन अधिकारियों के विरुद्ध जिनकी सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा उत्तर दिया गया था विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था। माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ अपने आरोप के समर्थन में नगर अभियंता जलकल की एक रिपोर्ट, जो मुख्य नगर अधिकारी को प्रस्तुत की गयी थी, की प्रति संलग्न की है।

यदि किसी माननीय सदस्य को यह शिकायत हो कि उनके प्रश्न का जो उत्तर मंत्री द्वारा दिया गया है, वह असत्य है, तो वे अग्रेतर प्रश्न पूंछ कर स्थिति स्पष्ट करा सकते हैं। किन्तु मंत्री द्वारा दिये गये एसे उत्तर से किसी विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन का अवमान नहीं होता जब तक कि यह आक्षेप न हो कि मंत्री ने जानबूझ कर गलत उत्तर सदन में दिया है।

माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह विलंबित भी है क्योंकि 30 जुलाई, 1974 के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना तत्काल या अगले उपवेशन के दिन तक दे देनी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ जो नगर अभियंता की रिपोर्ट की प्रति संलग्न की है उसको देखने से यह स्पष्ट होता है कि वह 3 जून, 1974 को किये गये निरीक्षण के फलस्वरूप पायी गयी स्थिति के संबंध में है और उसमें समाचार पत्रों द्वारा यह स्पष्ट किये जाने की बात कही गयी है कि जल व्यवस्था में पुनर्गठन चल रहा है और उसके कार्यान्वित होने पर ही नागरिकों को 24 घंटे जल उपलब्ध किया जा सकता है, इसलिये जब भी जल उपलब्ध हो, जनता पानी भर कर रख लिया करे। उसके अनुसार जल वितरण कार्य, एक समय मध्य रात्रि को भी रखा गया है ताकि लोगों को किसी समय पानी न मिलता हो तो मिल सके और इसमें सफलता भी मिली है। इससे भी यह स्पष्ट है कि पानी की कठिनाई की बात तो उक्त रिपोर्ट में कही गयी है परन्तु

[श्री अध्यक्ष]

"पेय जल का घोर संकट" की कोई बात नहीं कही गयी है। इस प्रकार दिया गया उत्तर भी असत्य नहीं कहा जा सकता है।

सदन में जो सूचना शासन की ओर से दी जाती है, उसकी सत्यता का दायित्व शासन पर होता है। अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी करण संख्या 207 के अनुसार यदि किसी सरकारी अधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्री द्वारा सदन में ऐसी सूचना दी जाय जो गलत सिद्ध हो तो मंत्री संबंधित अधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करेंगे और उसकी सूचना सदन को भी देंगे। मैं माननीय श्रम मंत्री जी से यह चाहूंगा कि वे इस विषय में आवश्यक जानकारी करा लें।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

इसके अलावा माननीय सदस्य श्री बाबू लाल वर्मा एवं श्री सुखब राज सिंह ने कारागार बहराइच से अपनी गिरफ्तारी के विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है, जो अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच द्वारा अग्रसारित तथा जिलाधिकारी बहराइच द्वारा माननीय अध्यक्ष को भेजी गयी है। इसके साथ ही उक्त दोनों सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाने का प्राधिकार माननीय सदस्य श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी को भी दिया है।

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नियम 65 (1) (क) के अंतर्गत निश्चित विषय से संबद्ध होना चाहिए, परन्तु माननीय सदस्यों ने अपनी सूचना में संविधान से प्राप्त उपासना के अधिकार को प्रतिबंधित करके उनकी तथा उनके अन्य साथियों की गिरफ्तारी गलत, बेबुनियाद एवं फर्जी धारायें आरोपित करना बतायी है। यह देखना कि उनकी गिरफ्तारी गलत एवं बेबुनियाद हुयी है तथा फर्जी धारा आरोपित की गयी है, न्यायालय का कार्य है। साथ ही अन्य नागरिकों की भी गिरफ्तारी का प्रश्न उक्त सूचना में उठाया गया है, जनता में आतंक फैलाने की भी बात कही गयी है तथा जेल में उनके तथा उनके अन्य साथियों के साथ घोर अत्याचार का भी उल्लेख किया गया। परिवार के सदस्यों को मुलाकात की इजाजत न देने तथा उच्च श्रेणी के अधिकार प्राप्त लोगों को उच्च श्रेणी महज परेशान करने के लिये न देने की बात कही गयी है। उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने विधान सभा के अपने कार्यों में गिरफ्तारी में रुकावट डालने तथा विधान सभा के उपाध्यक्ष एवं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग न ले सकने तथा सदस्यों द्वारा दिनांक 13-8-74 की प्रातः से भूख हड़ताल करने का भी उल्लेख किया गया है। उपरोक्त समस्त कारणों से उनके विशेषाधिकार की शासन द्वारा अवहेलना की बात कही गयी है। इस प्रकार यह एक निश्चित विषय नहीं है और जैसा कि पहले ही उपर्युक्त दोनों सदस्यों की गिरफ्तारी के संबंध में माननीय सदस्य, श्री कमला प्रसाद वर्मा द्वारा उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना की शिकायत के संबंध में दिनांक 13 अगस्त, 1974 को निर्णय दिया जा चुका है, विधान सभा के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट का विशेषाधिकार केवल दीवानी मामलों में ही प्राप्त है और फौजदारी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी से छूट का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त दोनों सदस्यों को जैसा कि पहले ही सदन को सूचित किया जा चुका है भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए)/505/447/188, क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट की धारा 7 तथा डी0 आई0 आर0 की धारा 43 के अन्तर्गत हिरासत में

लिया गया था। अतएव, एक ही निश्चित विषय न होने तथा फौजदारी के मामले में गिरफ्तारी के कारण विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री सुखद राज सिंह ने राष्ट्रपति के चुनाव में 17 अगस्त, 1974 को मतदान भी किया है।

श्री बाबूलाल वर्मा ने आज, बहराइच में 11 अगस्त, 1974 की रात्रि में अपनी गिरफ्तारी के संबंध में जिलाधिकारी, बहराइच तथा पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहलना की सूचना दी है। उनका आरोप है कि इस प्रकार गिरफ्तार करके उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने से वंचित किया गया है। जैसा कि मैंने इसी प्रश्न पर श्री कमला प्रसाद वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के संबंध म दिनांक 13 अगस्त, 1974 को तथा जेल से उक्त श्री बाबू लाल वर्मा व श्री सुखद राज द्वारा दी गई सूचना के संबंध में अभी आज निर्णय दिया है। उक्त गिरफ्तारी प्राप्त सूचना के अनुसार फौजदारी कानून के अन्तर्गत है और चूंकि फौजदारी अपराध में गिरफ्तारी की छूट का विशेषाधिकार माननीय सदस्यों को प्राप्त नहीं है अतएव कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता। अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

मुख्य मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, श्री मधुकर दिघे ने नियम 63 के अन्तर्गत आज एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। उनका कहना है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 के 10 वें मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया, वह जानबूझ कर सही तथ्यों को छिपाने के लिये सदन में गलत बयानी है और इस प्रकार सदन के विशेषाधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन तथा सदन का अवमान है। माननीय सदस्य न इस आधार पर माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की इजाजत मांगी है।

माननीय सदस्य द्वारा पूंछा गया प्रश्न संख्या 61 इस प्रकार है—

"क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय को इस बात की जानकारी है कि उन्नाव जनपद के जिला कृषि अधिकारी ने धारा 409, 102 व 109 के अभियोग में अदालत से दिनांक 8 जून, 1974 को अपनी जमानत कराई है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या अभियोग थे और शासन ने उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं तो क्यों?"

इसका उत्तर माननीय सदस्य मुख्य मंत्री की ओर से यह दिया गया—

"जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। माननीय सदस्य ने जो तथ्य अपनी सूचना में दिये हैं उनके अनुसार उक्त उत्तर सही नहीं प्रतीत होता है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं होता कि माननीय सदस्य किस आधार पर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दी गयी सूचना को जान-बूझकर सदन को गुमराह करने के लिये दी गयी बताते हैं। यह मैं कई बार इस सदन में निर्णय दे चुका हूं कि जान-बूझ कर सदन को गुमराह करने पर ही सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमान का प्रश्न बनता है अन्यथा यह मानकर चलते हैं कि जो सूचना दी जाती है वह सही है।

[श्री अध्यक्ष]

यदि कोई मंत्री प्राप्त सूचना के आधार पर कोई गलत उत्तर देता भी है तो उसका निराकरण संख्या 207 के अन्तर्गत किया जा सकता है। इस प्रकार प्रावधान में यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता। फिर भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहूंगा कि वे करण सं0 207 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में वास्तविकता की जानकारी प्राप्त कर सदन को सूचित करें। इसलिये यह सूचना अग्राह्य करता हूं।

26 जुलाई, 1974 को सदन के "नहीं" कक्ष में सदस्यों द्वारा मारपीट की घटना को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में उठाई गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

दिनांक 26 जुलाई, 1974 को इस सदन के 'नहीं' कक्ष में कतिपय सदस्यों द्वारा दो अन्य सदस्यों को तथाकथित मार-पीट करने के सम्बन्ध में उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये जाने पर माननीय सदस्य, श्री काशी नाथ मिश्र ने दिनांक 29 जुलाई, 1974 को एक लिखित आपत्ति यह उठाई है कि "कातिलाना हमला करके संघातिक और प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दंडनीय आरोपित अपराधियों के मामले विशेषाधिकार समिति के अधिकार के परे हैं, 'एवं' हाऊस आफ कामन्स के माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार सीमा के परे है। माननीय सदस्य का कहना है कि इस प्रकार सदन के समक्ष घटित भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत दंडनीय जुर्मी कार्यों को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करना भारतीय संविधान की धारा 194 का उल्लंघन है। इससे यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य के मत से उक्त विषय विशेषाधिकार की अवहेलना एवं सदन के अवमान का प्रश्न नही बनता वरन यह एक फौजदारी का मामला है, जो न्यायालय द्वारा निर्णित होना चाहिये, परन्तु अपनी सूचना के अन्त में माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम 67 के अन्तर्गत सदन इस मामले पर तत्काल कार्यवाही करे या मामला तत्काल सदन द्वारा पुलिस को सुपुर्द किया जाय। इस प्रकार माननीय सदस्य के कथन में विरोधाभास है। यदि उसका मामला केवल फौजदारी का मामला है और वह केवल उसी रूप में न्यायालय द्वारा निर्णित होना चाहिये और वह उनके मतानुसार विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बन सकता। तो उनका वह कहना कि इसे सदन को स्वयं निर्णित करना चाहिए यह उसके विपरीत हो जाता है। यदि ऐसा मामला विशेषाधिकारी की अवहेलना की परिधि में नहीं आता है तो सदन भी उस पर निर्णय लेने के लिये सक्षम नहीं हो सकता।

इस सम्बन्ध में एक अन्य बात यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त मामले पर मैंने निर्णय लेकर उसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है। माननीय सदस्य को अपनी उक्त आपत्ति को उठाने की अनुमति देने का अर्थ यह होगा कि वह उक्त निर्णय पर आपत्ति होगी, जो प्रक्रिया नियमावली के नियम 314 के अन्तर्गत नहीं की जा सकती। अब तक के निर्णयों एवं प्रथा के अनुसार भी मेरे द्वारा दिये गये निर्णयों के संबंध में सदन में आपत्ति करना अनुचित है। यह सही है कि सदन के भीतर या सदन के परिसर में किये गये फौजदारी अपराधों के संबंध में माननीय सदस्यों का कोई विशेषाधिकार नहीं है, परन्तु यदि इस प्रकार का व्यवहार सदन के परिसर के अन्तर्गत या सभा कक्ष में किया जाना है तो सदन भी उस पर कार्यवाही करने के लिये सक्षम है और इस प्रकार के कई उदाहरण हाउस आफ कामन्स तथा लोक सभा के हैं, जब इस प्रकार के व्यवहार को विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन

का अवमान सदन ने सम्बन्धित व्यक्तियों को दण्डित किया है। इस प्रकार सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न ऐसे मामलों में बनता है।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 में चार प्रकार से शिकायतों द्वारा विशेषाधिकार भंग तथा सदन के अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से उठाने की व्यवस्था है। उसके परन्तुक यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा ? सभा कक्ष में घटित किसी घटना को सदन के प्रत्यक्ष हुआ नहीं कहा जा सकता। सदन के प्रत्यक्ष विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान का तात्पर्य सदन के वास्तविक दृष्टि में होने से है। नियम 66 के अन्तर्गत अध्यक्ष को, यदि उनके मत में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उसकी सूचना सदन को देंगे। नियम 67 के अन्तर्गत यदि अध्यक्ष इस मत के हों कि सूचना का विषय ऐसा है कि जो बिना विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये ही सदन में निस्तीर्ण किया जा सकता है तो यह प्रस्ताव किया जा सकेगा कि प्रश्न पर तत्काल किसी आगामी तिथि पर विचार किया जाय। इस प्रकार उक्त नियमों से भी अध्यक्ष को किसी विषय को स्वविवेक से विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करने अथवा सदन के समक्ष रखने की शक्ति नियमानुसार है और यदि ऐसे कृत्यों में सदन का अवमान अथवा विशेषाधिकार भंग होता है—हाउस आफ कामन्स एवं अन्य सदनों के निर्णयों को देखते हुए स्पष्टतः ऐसा प्रश्न बनता है, तो जो कृत्य सदन के प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उसकी जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को ही निर्दिष्ट करना उचित होता है। ऐसे ही सदन के परिसर में हुई हाउस आफ कामन्स के एक सदस्य श्री पिराबिन तथा एक समाचार प्रतिनिधि श्री लूसी के बीच हुई मारपीट की घटना को हाउस आफ कामन्स की विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार दोनों को दोषी पाकर हाउस आफ कामन्स ने दण्डित किया था।

अतएव, श्री काशीनाथ मिश्रा की आपत्ति निराधार है और मैं ऊपर उल्लिखित कारणों से उसे उठाने की उन्हें इजाजत नहीं देता। मैं अग्राह्य करता हूं।

जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक, बहराइच के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना—(क्रमागत)

*श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ तथ्य माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और मैं यह सिद्ध करूंगा कि हमारा विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। मान्यवर 11 तारीख की रात को जिस समय यह घटना घटी, शाम को मैं डी० एम० से मिला था और उनको सूचना से अवगत कराया था और मैं उस मंदिर के पास शाम को गया था और देखा था। यह मन्दिर जिस स्थान पर बना हुआ है उसी के पास मस्जिद है। यह मन्दिर लखौड़ी ईंटों का बना है और पुराना है। कोई कहता है यह मन्दिर 2000 वर्ष पुराना है और कोई कहता है कि 200 वर्ष पुराना। डी० एम० का बंगला कपूरथला स्टेट का है और 1885 का वह बंगला बना हुआ है। 1865 के कागजात में उस मन्दिर का दर्ज है। 3-4 वर्ष पहले मन्दिर में पूजा होती रही थी। जब वह ढह गया तो शिवलिंग को एक खम्भ पर रख दिया गया और पूजा होती रही। 11 तारीख को रात को जब मैं गया तो न किसी ने ठोका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूलाल वर्मा]]

और न ही मना किया। जैसे मैं पूजा करता था, मैं पूजा करने गया और वहां लगभग एक घण्टे तक बैठा रहा। जब मैं लौट कर आया तो उन्होंने बंगले पर बुलाया और कहा कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। मैंने पूछा कि किस दफा में और किस अपराध में किया जा रहा है तो उन्होंने नहीं बताया और मैं जेल भेज दिया गया मैंने बहुत आग्रह किया कि मुझे बताया जाय लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैंने कहा कि मैं दो फूल जो चढ़ा दिये क्या मैंने वह अपराध किया। हिन्दू होने के नाते अगर यह अपराध है तो किसी स्थान पर फूल नहीं चढ़ाऊंगा। हमसे कहा जाता है कि हम कम्युनल हैं, साम्प्रदायिक हैं, नैरो माइंडेड हैं क्योंकि हमने हिन्दू कुल में जन्म लिया है, हम भारत में जन्मे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश का कण-कण मेरे लिये पवित्र है, भारत माता की धूल को हम माथे पर चन्दन लगाकर तिलक लगाते हैं, हम किसी स्थान पर भी पूजा कर सकते हैं। हमारे देश के अन्दर मन्दिर न हो, कोई भी न हो। गांवों में आप जाइये, जहां मन्दिर नहीं हैं लेकिन वह मिट्टी का ढूह इकट्ठा कर, देवताओं की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करते हैं इसलिये ही मैं वहां गया, वहां वैसा ही वह मन्दिर है, शिवलिंग है और लोग वहां अब भी फूल चढ़ाते हैं, सिर्फ फूल चढ़ाने के नाते मैंने कोई डी० आई० आर० का अपराध नहीं किया है। मुझे बताया ही नहीं गया कि मैं किस दफा में गिरफ्तार किया जा रहा हूं। साढ़े 12 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक मुझे यह पता नहीं था कि मैं किस अपराध में बन्द किया गया हूं। साढ़े 4 बजे मुझे बताया गया कि आप पर यह यह दफायें हैं। बिना दफा बताये, बिना अपराध बताये और वारन्ट, हमें जेल में बन्द रखा गया और जब यह पता था डी० एम० को कि 13 तारीख को हाउस हो रहा है और 12 तारीख को मुझे लखनऊ जाना है तो उसी दिन मुझे गिरफ्तार किया जाता है और यह सिद्ध करता है कि मुझे अपने अधिकारों के पालन में बाधा उपस्थित की गयी और मुझे यहां की डिबेट में भाग लेने से रोका गया, तो यह दो प्रश्न ऐसे हैं जिनके आधार पर मैं यह सिद्ध करना चाहता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है।

जहां तक मसजिद का प्रश्न है, वह वहां पर है किन्तु मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1885 में डी० एम० का एक बंगला बना। सन् 1925 में जिस समय वह मसजिद बनाई गयी थी उस समय वहां पर एक मुसलमान डी० एम० आये थे और उस समय कपूरथला स्टेट के मैनेजर ने यह कहा था कि यह मसजिद तो प्राइवेट है और इसमें केवल एक आदमी नमाज पढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहिये।

श्री बाबूलाल वर्मा—

तो मैं मान्यवर, बताना चाहता हूं कि मुझे 4 घंटे तक लगातार जेल में डिटेन रखा गया बिना दफा बताये हुये, बिना वारन्ट दिखाये और बिना अपराध बताये और बिना कारण यहां हाउस में आने से रोका गया और दूसरे मेरे उपर डी०आई० आर० लगाकर बन्द किया गया जिसका कोई सम्बन्ध नहीं था, यह सिद्ध करता है, अगर मैंने अपराध किया है तो मेरे ऊपर मुकदमा चलाकर मेरे अपराध को सिद्ध करके मुझे सजा दिलानी चाहिये थी लेकिन डी० आई० आर० लगाकर बिना अपराध बताये हुये, बिना वारन्ट के मुझे जबरदस्ती रोका गया, इसी कारण यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करें और इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री शिशु पाल सिंह 'अध्यापक' निवासी निगोहां, जिला लखनऊ की गोली मारकर हत्या किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

दिनांक 13-8-74 को 2-30 बजे दिन में श्री राम सिंह, निवासी निगोहां, जिला लखनऊ ने थाना मोहनलालगंज पर इस आशय की मौखिक सूचना दी कि उसी दिन लगभग 1-15 बजे दिन में 5 नामांकित व्यक्तियों ने, जो आग्नेयास्त्रों से लैस थे, पुरानी दुश्मनी के कारण उनके भाई शिशुपाल सिंह, अध्यापक, सत्यनारायण विद्यामंदिर, गुमानगंज बाजार, निगोहां की विद्यालय में गोली मार कर हत्या कर दी। इस सूचना के आधार पर थाना मोहनलाल गंज पर अपराध संख्या 221 धारा 147/148/149/302 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना, थानाध्यक्ष, मोहनलाल-गंज द्वारा की जा रही है। एक नामांकित अभियुक्त ने, जो हत्या के एक अन्य मामले में भी वांछित था, दिनांक 13-8-74 को घटना के बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और उसी दिन जेल भेजा गया। अन्य फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 जाप्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट 14-8-74 को न्यायालय भेजी जा चुकी है।

सर्किल इन्पेक्टर, सर्किल आफिसर तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक घटनास्थल का निरीक्षण 13-8-74 को ही कर चुके हैं।

पुरानी रंजिश के आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/117 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट पहले ही न्यायालय भेजी गई थी और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। एक आर्म्ड पुलिस गार्ड भी गांव में पहले से ही नियुक्त है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सेक्शन पी० ए० सी० भी गांव में तैनात कर दी गई है।

इस घटना को लेकर, जिसका दो पक्षों में आपसी वैमनस्य के कारण होना ज्ञात हुआ है, कोई भय अथवा आतंक क्षेत्र में व्याप्त नहीं है। स्थिति सामान्य है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आपने जो यह बताया कि इसमें कुछ रंजिश थी तो क्या इस बात की सूचना पुलिस को पहले से थी और क्या श्री शिशुपाल सिंह ने इसकी पूर्वसूचना पुलिस को दे दी थी लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और इसी कारण से उन लोगों को मौका मिल गया और उन्होंने हत्या कर दी ?

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, यह घटना 13-8-74 की है और मेरे पास जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक 25-4-74 को पुलिस ने कार्यवाही की थी। इस कार्यवाही के बावजूद ये दोनों पक्ष ऐसे रहे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मर्डर करते रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति मर्डर कर चुका है। इसलिए यह कोई आज की रंजिश नहीं है बल्कि पुरानी रंजिश है।

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार

[श्री राजमंगल पाण्डेय]

सदस्यों के रिक्त स्थान पर उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिये भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

यह चुनाव कब हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

चुनाव के लिए समय नहीं है। हम आशा करते हैं कि चार नाम सर्वसम्मति से आ जायेंगे।

उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974

श्रममंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 358–368 पर।)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 369–379 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज छः सूचानाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने दी है। यह विगत चुनावों की बात है। इस पर प्रश्न करें। श्री तीरथराम कोहली ने एक सूचना दी है, यह कैसे होगा। यह उच्च न्यायालय में है।

श्री तीरथराम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, ऐसा है कि राजापुर बांदा में एक सज्जन ने फैरी का कंट्रेक्ट लिया, रु0 61,502.23 पसा ड्यू था। वह पैसा नहीं देना चाहता। उसने एक नालिश दूसरे व्यक्ति पर कर दी। जिसने फैरी चलाई उसका नाम बदरी प्रसाद था। नालिश यह की कि 70 हजार डैमेज दे। जिला परिषद्, बांदा उसमें पार्टी नहीं थी। कोर्ट ने आर्डर दिया कि बदरी प्रसाद का देहान्त हो चुका है इसलिए वह पैसा नहीं दे पायेगा। इसलिए रु0 61,502.23 पैसे को जो बाकी है रोक दिया जाय तो जिला परिषद् उसमें पार्टी नहीं थी।

श्री अध्यक्ष—

जो लिखकर आपने दिया है और जो कह रहे हैं दोनों में बड़ा अन्तर है। आप कह रहे हैं कि बांदा जिले में यह हुआ और उच्च न्यायालय के विचाराधीन यह मसला था परन्तु राज्य सरकार ने उक्त वाद वापस ले लिया।

श्री तीरथ राम कोहली—

उन्होंने अपील में कहा कि हम पार्टी नहीं थे तो वापस कैसे कर दिया? हुआ यह कि जैसे ही फैसला होने वाला था यहां से आदेश चला गया कि मुकदमा वापस ले लिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

सरकार ने देखा कि उन पर ज्यादा बकाया है और उस बकाये को वह नहीं दे सकते तो सरकार ने मुकदमा ही वापस ले लिया। प्रश्न यह है कि एक कांग्रेस संस्था का कोई उच्चाधिकारी है वह इतने रुपये का देनदार था और सरकार उसको उससे मुक्त करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष—

यह 56 का विषय नहीं है, 51 का विषय यह हो सकता है। कार्य स्थगन का विषय यह नहीं बन सकता। आप इसे 51 में दे दीजियेगा। अगर आज 51 में नहीं दिया है तो कल दे दीजियेगा।

श्री तीरथराम कोहली---

इस पर वक्तव्य आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

तभी तो वक्तव्य हो सकेगा जब आप इसे 51 में दे दीजियेगा। 51 में आप इसे अलग से दे दीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सी० बी० गुप्ता ने बयान दिया है कि प्रधान मंत्री ने पूंजीपति से 10 करोड़ रुपया लिया जो हमारे खिलाफ चुनाव में खर्च किया गया।

श्री अध्यक्ष---

यह अदालत का विषय है, यह सदन का विषय नहीं हो सकता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

इससे बढ़कर महत्वपूर्ण विषय और क्या हो सकता है। यह वाटरगेट की तरह कांड है। वह रुपया हम लोगों को चुनाव में हराने के लिये खर्च किया गया। एक तरह से यह ब्लैक मेल है और प्रधान मंत्री का इससे सीधा सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष---

प्रधान मंत्री का मामला यहां नहीं उठ सकता।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)---

अध्यक्ष महोदय, बहराइच नगर के प्राचीन शिव मन्दिर संबंधी विवाद में जो पहले परिस्थितियां थीं वे अब बदल गयी हैं महिलायें बन्दी बनाई गयी हैं। वहां पर लाठी चार्ज किया गया है।

श्री अध्यक्ष---

नियम 56 में यह नहीं उठाया जा सकता।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)---

इस पर विशेषाधिकार का मामला बनता है, इसे स्वीकार किया जाना चाहिये....

श्री अध्यक्ष---

मैं पहले ही कह चुका हूं कि नियम 56 में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे दो विधेयक और हैं। उनको मैं लेता हूं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974†

*श्रम मंत्री (श्री राज मंगल पाण्डेय)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

---

†14 अगस्त, 1974 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, राष्ट्रपति शासन काल में 6 अधिनियम बनाये गये थे और चूंकि राष्ट्रपति शासन 8 नवम्बर, 1973 को समाप्त हो गया था इसलिये 8 नवम्बर, 1974 के पहले उनको अधिनियमित हो जाना चाहिए । मान्यवर, ये अधिनियम हैं उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 1973, उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 तथा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अधिनियम, 1973 । इस अधिनियम के माध्यम से परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन किय जान का प्रस्ताव है । यह स्वतः मालूम है कि ये पहले से प्रेसीडेन्ट रूल में सारे के सारे अधिनियमित हो चुके थे और इनकी अलग-अलग यूटिलिटी थी । इसकी आवश्यकता इसलिये पड़ी, जैसा कि मैंने पहल कहा था कि मंडियों का अभी तक चुनाव सम्भव नहीं हो सका है और अक्टूबर में इसका कार्यकाल समाप्त होना है । इस अवधि तक निर्वाचन नहीं हो सकता है इसलिये इसक द्वारा उस समय तक इसकी अवधि बढ़ाने की मांग की गई है जब तक कि चुनाव पूरा न हो जाय । इसी तरह से संविधान की धारा 356 के अनुसार जब भी राष्ट्रपति शासन समाप्त होता है तो उस काल में जो अधिनियम बन चुके होते हैं और फिर 1 साल क अन्दर वे पारित न हुये हों तो वे स्वतः ही लैप्स हो जाते हैं । अतः इसकी व्यवस्था करनी आवश्यक है कि एक साल के अन्दर ये लैप्स न हो सकें । 8 नवम्बर तक यह काम सम्भव नहीं है इसलिये मजबूरन हमें यह विधेयक लाना पड़ा ताकि नियमानुसार उन्हें अधिनियमित किया जा सके ।

इसी तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) 30 अक्टूबर 1974 को समाप्त हो रहा है । उसमें ऐसा था कि 3 लाख तक की प्रापर्टी का हस्तांतरण डी० एम० कर सकता है और हमने रोक लगा दी थी । गवर्नमेंट आफ इंडिया भी इस सम्बन्ध में एक ऐक्ट ला रही है और हम भी और सम्भव होगा तो हम भी करेंगे । लेकिन 30 सितम्बर, 1974 तक यह सम्भव नहीं है इसलिये हम इसको अवधि बढ़ा रहे हैं । इस तरह से ये जो 6 अधिनियम बन चुके हैं इनके प्रयोजनों को पूरा करने की दृष्टि से इन्हें हम पुनः अधिनियमित कर रहे हैं । यही हमारा उद्देश्य है और मैं समझता हूं इसमें किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है । मैं माधव बाबू से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे स्वीकार करेंगे और विरोध पक्ष के लोग इसमें अपनी सहमति देकर इसे पास करेंगे ।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन में कुछ ऐसे निर्णय लिये गये थे जिनमें जनता के कल्याण की भी भावना थी और अब उनका समय पूरा हो रहा है अतः उन्हें पुनः अधिनियमित करने की आवश्यकता है । इसलिये यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से और उनके शासन से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामनरेश त्रिपाठी]

महामहिम राष्ट्रपति शासन ने या राष्ट्रपति शासन में शासन ने जो निर्णय जनता के कल्याण के लिए लिये थे, उनमें इस बात को व्यवस्था की गई थी कृषि उत्पादन मंडी निगम या दूसरे निगम और कमेटी बननी थीं, जिनमें किसानों के बहुमत की बात सोची गई थी। यह सोचा था कि किसानों के द्वारा किसानों के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे, जो किसानों के हित के लिए कुछ करेंगे। मैं केवल इसी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आखिर इतने दिनों में, जब 2 बार शासन ने समय इसका बढ़ाया है और पुनः इसमें 6 महीने का समय बढ़ाने का प्राविधान किया गया है, वह चुनाव क्यों नहीं करा सकी। जिस मशीनरी पर इतनी बड़ी धनराशि लादी है और उस धनराशि का कितना सदुपयोग हो रहा है, क्या इसको कभी सरकार ने देखा है ? किसानों पर बराबर शुल्क लगता रहा है, अब तो व्यापारियों पर लगाया गया है।

एक बात और कहना चाहता हूं जितना टैक्स किसानों से हटाकर व्यापारियों पर लाद रहे हैं, वह सब इन्डाइरक्टिली किसानों पर ही लगता है। तो अब तक कृषि उत्पादन मंडी का शुल्क 50 पैसे की दर से किसानों पर लगता रहा है, परन्तु किसी भी मंडी में आजतक किसानों के हित में कोई भी रचनात्मक कार्य नहीं हुआ है, उनको सुविधाएं देने की दृष्टि से कोई काम वहां नहीं हुए हैं। जबकि उस समय मंत्री जी द्वारा कहा गया था इससे अच्छे-अच्छे विश्रामालय खुलेंगे, जिनमें उनके पढ़ने के लिए अखबार होंगे। किन्तु हम सारे प्रदेश में दृष्टि डालें तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे नगर की स्थिति यह है जहां किसानों से लाखों रुपया वसूल किया जा चुका है, किसानों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई छाया नहीं है, उस स्थान पर पूरी तरह से कीचड़ भरा हुआ है। पूरी मंडी में वाटर का एक प्वाइन्ट भी नहीं दिया गया है, जिससे वे किसान समय-समय पर और विशेष कर गर्मियों में अपनी प्यास बुझा सकें। न उनके बैठने की कोई व्यवस्था है न उनके रात्रि विश्राम की ही कोई व्यवस्था है। उससे अच्छे तो व्यापारी थे, जो किसानों को चारपाई दे देते थे, दो कंडे जलाने को और अपनी तरफ से लोटा-बाल्टी उनको दे दिया करते थे। किन्तु जो आपने आफिस खोले, वहां पर किसानों के बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। तो किसानों के हित में जो इतनी महत्व की चीज है, उनके चुनाव आप बराबर टालते जा रहे हैं।

इसके अन्तर्गत 6 अधिनियम हैं, जिन्हें आप अधिनियमित करना चाहते हैं। किसानों को लाभान्वित करने की बात सोची है, लेकिन उसी मशीनरी के द्वारा सोची है, जो इतने दिनों तक उनके चुनाव नहीं करा सकी है। तो आप ऐसी अक्षम और अयोग्य मशीनरी से क्या आशा करते हैं। नामिनेशन का कभी समय नहीं बढ़ता है, उन्हें तो तुरन्त कर देते हैं। जब उसका नामिनेशन होना था तो आपने तुरन्त नामिनेट कर दिया था, लेकिन जहां किसानों के प्रतिनिधि चुनकर आने की बात है, जहां पर इतने बड़ी धनराशि के दुरुपयोग की बात है, वहां पर चुनाव को टालने की प्रक्रिया इस समय सदन के सामने आई है। भोले किसानों के नाम पर कहा जाता है कि किसानों का पैसा नहीं लगेगा, व्यापारियों का लगेगा, लेकिन वैसा है नहीं। अभी-अभी सरकार ने निर्णय लिया है, अभी तक पक्के अढ़तियों से लिया जाता था, कच्चे अढ़तियों से नहीं। पक्के अढ़तिए जहां-जहां से खरीदते थे, उसका एक कच्चा चिट्ठा दाखिल कर देते थे। लेकिन अब कच्चे अढ़तियों, छोटे-छोटे व्यापारियों पर भी यह दायित्व लाद दिया गया है। अब छोटे व्यापारियों के लिए जरूरी कर दिया गया है। हर एक बाबू या मुनीम बिठालें और हिसाब रखें। तो यह सारा पैसा किसानों से ही लिया जाएगा। जितनी भी फसलें हैं, किसान इतना भोला है कि जब खेत में बोने जाता है तो एक-एक दाना बड़े प्यार से बोता है यह सोचकर कि हम इसके स्वामी हैं, फिर उसमें मेहनत से पानी और खाद देता है। निराने के लिए एक-एक पौधा वह देखता है कि जैसे उसके बच्चे का कोई हाथ-पैर न कट जाए। अब जब वह बोने

गया था वह मालिक था, जब निराने गया था तो वह मालिक था खलिहान से बोरों में भर कर झुकी हुई कमर पर लाद कर गाड़ी लाया तब तक मालिक था। लेकिन जब मंडी में बनिया के पास ले कर गया और किसी ग्राहक ने पूछा कि उसका भाव क्या है तो तुरन्त कह देगा कि भाव लालाजी जानें। ऐसा भोला किसान है जो अपनी कीमत भी स्वयं नहीं तय कर पाता। जो सरकारी मशीनरी है वह व्यापारियों से रिश्वत ले कर किसानों का अधिक शोषण करेगी। इसलिए औचित्य यह था कि किसानों के प्रतिनिधि किसान की सुख सुविधाओं के बारे में सोचते। आप निरन्तर समय बढ़ाते जा रहे हैं। आपने ह्वाइट एलिफेंट वहां बैठा दिया है। किसानों के ऊपर आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 अफसर लाद दिये हैं। उसके कार्यालय में परदे पड़े हुए हैं। किसान वहां जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जहां किसान के प्रतिनिधि बैठे हों वहां किसान उनके सामने फरियाद कर सकता था। उस चीज को टालते जा रहे हैं। इस लिए मेरा प्रस्ताव है कि इस संशोधन अधिनियम को प्रदेश की जनता में जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

*श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 को एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर दे दें।

अधिष्ठाता महोदय, यह अधिनियम जो लाया जा रहा है केवल इसमें एक ही बात लायी गयी कि समय की बढ़ोत्तरी कर दी जाय। उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पति सीमा विधेयक, 1972 में आया और 1974 चल रहा है, अब 1975 के लिए समय मांगना चाहते हैं। जिस समय यह विधेयक आया था उदितनारायण जी शर्मा लाये थे। उसमें लोगों ने सदन में मांग की थी कि दोनों विधेयक एक ही समय पास करें अधिकतम जोत सीमा विधेयक और अधिकतम सम्पति सीमा विधेयक। उस समय तो इस प्रकार की बात, एक आश्वासन दिया था कि इस समय अधिकतम जोत सीमा विधेयक पास कर दिया जाय हम इस विधेयक को उसी सत्रमें लाएंगे। यह विश्वास दिलाया था। यह सरकार समाप्त हो गयी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन आ गया। राष्ट्रपति शासन ने इसकी अवधि को बढ़ा दिया। सारा सदन जानता है कि इस विधेयक को न लाने से जो शहरों में सम्पति का क्रय विक्रय हो रहा था उसमें किस प्रकार रजिस्ट्रेशन वर्क रुक गया और जिससे किस प्रकार लोगों को शादी करने में, पढ़ाने में सब प्रकार की असुविधा हुई है। जब दोबारा विधेयक आने को हुआ तो फिर समय की मांग की गयी और उन्होंने कहा कि तीन लाख की सीमा कर दी है। तीन लाख रुपये की प्रापर्टी, बेची खरीदी जाती है। मैं एक बात बताना चाहता हूं। इस सरकार की नीयत बिलकुल अच्छी नहीं है। सरकार कोई स्पष्ट नीति को लेकर काम नहीं करना चाहती।

श्री सत्यप्रकाश (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री मोहनलाल कपूर—

मैं कह रहा था कि सरकार जो काम करती है वह साफ नीयत से नहीं करती है। इसका कारण यह होता है कि जो इसका उद्देश्य है वह सफल नहीं होता है। सरकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल कपूर]

ने एक बात रखी है कि जो सम्पत्ति तीन लाख रुपये की है उसका क्रय विक्रय हो सकता है । इससे सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। जिस समय विधेयक नहीं लाया गया था, समय की अवधि नहीं बढ़ाई गई थी तो सम्पति के क्रय विक्रय करने में रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में लेनदेन के बाद क्रय विक्रय किया करते थे। लेकिन अब स्थिति यह है कि जिसको अपनी सम्पति बेचनी हो । उसको पहले जिलाधीश से प्रमाण-पत्र लेना होता है और जब प्रमाण-पत्र मिल जाता है कि इसके पास पांच लाख से ज्यादा सम्पति नहीं है तब वह अपनी सम्पति बेच सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए उसको एस० डी० एम० तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल के पास जाना पड़ता है। पहले भ्रष्टाचार रजिस्ट्रेशन के दफ्तर में ही था लेकिन अब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल तक फैल गया है। आपने दो साल बिता दिये हैं और फिर 75 तक समय बढ़ाना चाहते हैं । लेकिन मंत्री जी ने संकेत नहीं दिया है कि कब तक बिल ले आयेंगे । इसमें सरकार की नियत साफ नहीं है । इसको सरकार लाना नहीं चाहती है । सरकार अक्षम है, इनइफीशियेंट है ।

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि यह विधेयक परम आवश्यक है। बिल लायेंगे, यह अलग बात है। लेकिन हम जानते हैं कि एक तरफ तो ऊंची-ऊंची अट्टालिका वाले लोग रह रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क पर सोने वाले लोग हैं एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जिनको खाने से अजीर्ण होता है और दूसरी तरफ ऐसे जिनको खाने तक को नहीं मिलता है । इसलिए मंत्री जी उत्तर दें कि यह इतना आवश्यक होते हुये भी, दो महीने से सेशन चल रहा है, वह बहुत से बिल लाये और कार्य मंत्रणा समिति में रखकर उनके लिये समय मांगा, लेकिन ऐसा कौन सा कारण था कि आपको इस बिल को लाने का समय न मिल सका। आप इसको तैयार न कर सके। जब आप चाहते हैं तो आपको कर्मचारी फौरन बिल बनाकर ले आते हैं । लेकिन आप कहते हैं कि आपको समय नहीं मिला। आप फिर से समय लेना चाहते हैं । सरकार का उद्देश्य ठीक नहीं है, यह अक्षम और इसको एफीशियेंट नहीं कहा जा सकता है । मंत्री जी जल्द से जल्द इसको लाने का निश्चित आश्वासन दें । यदि नहीं देते तो समय मांगना निरर्थक है ।

दूसरी बात जैसी कि मेरे भाई रामप्रकाश त्रिपाठी जी ने कही कि मंडी समितियों का चुनाव सरकार नहीं करा रही है। इस कारण से किसान कितना परेशान है। वैसे यह सरकार कहती है कि हम किसानों के बड़े पक्षपाती हैं । लेकिन यह छोटे से चुनाव को भी टालने की बात करती है । सरकार किसान की पक्षपाती नहीं है, किसान की कठिनाइयों को समझना नहीं चाहती है और किसान को परेशान करने की नीति है और इस विधेयक को ये पास करा लेंगे और इस प्रकार से कार्य करायेंगे । यह निश्चित रूप से अनैतिक माना जायेगा अनैतिक रूप से जो आपका प्रयास है वह गलत है। इसलिए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाये और इस प्रस्ताव को सदन स्वीकार करे ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री त्रिवेणी सहाय अपनी बात को 10 मिनट में रखें ।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय यह तो मेरे साथ अन्याय होगा । यह बिल जो लाया गया है यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो बहुत ही खेदजनक है । वह कौन सी प्रवृत्ति है । 6 जून को यह विधान सभा शुरू होने वाली थी और इसके पहले ही 7-7 आर्डीनेन्स निकाल दिए और उनको निकाल कर लगभग 35,000 हजार का टैक्स लगा दिया गया । मान्यवर, जो संसदीय परम्परा है उसमें इस बात को मान्यता नहीं दी गयी कि जब सदन शुरू होने वाला हो तो उसके पहले अधिनियम ला दिए जायें । संसदीय परम्परा में अधिवेशन शुरू होने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहले कोई आर्डिनेन्स नहीं लाना चाहिए। अगर लाना है तो सदन में लाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान न रख कर इस परम्परा को शुरू कर दिया गया है कि जब चाहे तब आर्डिनेन्स ले आवें और सदन की बैठक का ध्यान ही नहीं किया जाता है। संसदीय अध्ययन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि यह परम्परा नहीं होनी चाहिए। श्रीमन्, अब दूसरा काम शुरू हो गया है और वह यह है कि पुनः अधिनियम का अर्थात रि-आर्डिनेन्स का। मान्यवर, यह कब होता है। यह तब होता है जब एक ऐक्ट निर्णीत हो जाता है और उसमें कुछ माडीफिकेशन करने पड़ जाते हैं, तब यह लाया जाता है। जब माडीफिकेशन करेंगे तब उसको दुबारा लायेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है तब तो इस सदन की मर्यादा फट जायेगी। माडीफिकेशन होंगे वह सिद्धान्तों के आधार पर हो सकते हैं। आपने 6 अधिनियम बताये। तो इस अधिनियम में है कि राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित किया जाय, लेकिन हमको यहां आपत्ति है कि जब आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा अधिनियम, 1972 की अवधि 30 सितम्बर, 1974 को समाप्त हो रही है इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि चौथी बार यह बढ़ाने का प्राविधान किया जा रहा है जो कि नहीं करना चाहिये। अगर इनको टाइम बढ़ाना था तो एक अलग बिल लाते जैसी कि यहां परम्परा रही है और माननीय सदस्यों को अधिकार देते कि उस पर बोलें और अपनी राय जाहिर करें, लेकिन यहां क्या है, आप देखें आर उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धिन) तृतीय संशोधन अधिनियम ला रहे हैं। आज जो सम्पत्ति सीमा है, उसके बारे में सरकार अधिकार में है। इसके बारे में न कोई बात प्रदेशीय सरकार की ओर से और न केन्द्रीय सरकार की ओर से आ रही है। आपने स्थानान्तरण के ऊपर रोक लगा दी है। अगर आप जिले में जायें तो देखेंगे कि जिनके पास छोटी पूंजी है, वे भी डी0 एम0 के पास दौड़ते हैं, उनकी परमिशन लेने के लिए। यदि आप सही रूप में सम्पत्ति की सीमा बांधना चाहते हैं तो आपको अगले 6 महीनों में इस प्रकार का बिल लाना चाहिए लेकिन जब आप इस प्रकार की घोषणा नहीं करते हैं और समय बढ़ाते हैं तो इससे आपकी अनिश्चितता का पता लगता है।

दूसरी चीज है मन्डी समितियों के चुनाव के बारे में। यह 29 अक्तूबर को खत्म हो रहा है। तो उसके पहले बिल ला कर आपको चुनाव कराने में क्या देर लगेगी। प्रदेश भर में 200 या 250 मंण्डी समितियां हैं, और प्रदेश में चुनाव बड़ी आसानी से कराया जा सकता है। चूंकि गांव सभाओं का चुनाव हो चुका है और गांव सभाओं में जो अध्यक्ष लोग होते हैं, वे ही वोट देते हैं तो इसके दौरान में आपको कौन देरी लगती है। समितियां बन चुकी हैं, पैसा भी इकट्ठा हो चुका है, जो खर्च भी होना चाहिए, लेकिन आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, उसे नहीं करना चाहते हैं। आप यहां पर बैठे-बैठे जनता की बड़ी दुहाई देते हैं, बड़ी डींग मारते हैं कि हम हर जगह निगम बना रहे हैं, बिजली बोर्ड बना दिया हैं, परिवहन निगम बना दिया है, ब्रिज कारपोरेशन बना दिया है और हर जगह पर हम जनता के प्रतिनिधियों को बैठाना चाहते है, लेकिन जहां पर प्रत्यक्ष रूप में जनता को बैठाने की बात है, वहां आप चुनाव नहीं कराते हैं। आप बिल्कुल अन्धकार में रहते हैं, आपने कहा कि हम म्युनिसिपैलिटी के, नगर महापालिकाओं के चुनाव करायेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इन चुनावों के कराने में आपकी क्या भूमिका रही है, क्या आपने सदन में कोई इस प्रकार की घोषणा की है? आपने अवधि 5 वर्ष की कर दी। यह सब इस बात की द्योतक है कि आप अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। आप उस अवसर की तलाश में रहते हैं जो आपको शूट करेगा। जब आपको शूट करता है तब आप तुरन्त बिल ले आते हैं और चुनाव करा देते हैं।

आपने कोआप्शन का मामला देखा। सब तैयारी हो गई थी जिला परिषदों में लेकिन आपने उसे टाल दिया यह समझ कर कि विधान सभा की बैठक होने वाली है। जब

[श्री त्रिवेणी सहाय]

आप जानते हैं कि अक्तूबर में इसका समय समाप्त हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप उस समय तक चुनाव करा लें लेकिन हम देखते हैं कि आपकी यह प्रवृत्ति हो गई है कि आप इस प्रकार से इन अधिनियमों का टाइम बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार से अधिनियमन के नाम से आप बिलों के माध्यम से टैक्स बढ़ा कर चीजों की कीमतें बढ़ा देते हैं बिना यह सोचे समझे कि यह सदन आपको इसका अधिकार देगा या नहीं देगा। इस प्रकर की प्रवत्ति से आप नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं और सदन से इस प्रकार के बिलों को पास कराना चाहते हैं।

जैसा कि उन्होंने कहा था कि रेप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर विषय पर हमें अधिकार मिलना चाहिए कि जो माडिफिकेशन कर रहे हैं वह आपके परव्यू में है या नहीं है, क्या कुर्सी का लाभ उठाकर के तो आप मनमानी नहीं कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन इधर के माननीय सदस्य भी समझ जायंगे कि यह सरकार वास्तव में किस तरह से अनुचित काम कर रही है तो स्वयं ही देखेंगे कि ऐसा काम इन्हें नहीं करना चाहिए तो इस प्रगति के खिलाफ आवाज लगनी चाहिए। इसलिए इसको प्रवर समिति को जरूर भेजें। आगे आने वाले दिनों में इन सब पहलुओं पर विचार होगा। जैसे-जसे संसदीय अध्ययन समिति का कार्य बढ़ता जा रहा है, हमें बहुत सी चीजें मिल रही हैं। ए० जी० खेर साहब की रूलिंग थी कि इस तरह से आर्डिनेंसेज निकालना संसदीय परम्पराओं का हनन है। तो संसदीय अध्ययन समिति इन मुद्दों पर विचार करके इनकी निन्दा करेगी। इसलिए इसको प्रवर समिति में जरूर भेजें, मैं उस प्रस्ताव का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं।

*श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, कपूर साहब ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें सन्देह नहीं कि जनतंत्र की जान चुनाव है। आज इस चुनाव को यह सरकार विभिन्न रूप देकर टाल देती है और इस प्रसार जनतंत्र पर कुठाराघात करती है। हमने देखा कि कभी गांव सभा के और कभी न्याय पंचायत के चुनाव जितने भी आते हैं वे सालों तक टालते रहते हैं। गांव सभा के चुनाव हुए 12-12 साल हो गये, न्याय पंचायतों के भी चुनाव 12 साल से नहीं हुए। मंडी समितियों के लिए ये समय लेते जाते हैं और काम करते नहीं हैं। मंत्री जी कह देते हैं कि विलम्ब हुआ चुनाव नहीं करा सके। तो उन्हें हाउस में स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से, किस लिए चुनाव नहीं हुआ? क्यों समय मांग रहे हैं। तो मैं नारायण दत्त जी से जानना चाहूंगा कि जब कृषि मंडी वाले का उत्तर दें तो यह विलम्ब क्यों हुआ इस पर अवश्य प्रकाश डालें कि क्यों समय मांग रहे हैं। पहले सदन से समय मांगा था और अब फिर 6 महीने मांगा और वह बहुमत के आधार पर मिल ही जायगा। लेकिन जनतंत्र की एक तरह से हत्या की जाती है। जसे कि पानी एक जगह ठहरा रहे तो उसमें सड़न पैदा हो जाती है।

आप देखें कि मंडी समिति के सेक्रेटरी की हैसियत क्या है। एक-एक मंडी सेक्रेटरी एक-एक और डेढ़-डेढ़ लाख के बीच में कमाता है और वित्त मंत्री जी थकते नहीं हैं हम पर टैक्स लगाते-लगाते आज मंत्री जी कहते हैं कि मुद्रा स्फीति हो रही है और वह मंडी सेक्रेटरी एक-एक ठेले पर 1200 रुपये बचाता है। यह जो घपला मंडी सेक्रेटरी करते हैं यह डेढ़ लाख रुपया आपका ही टैक्स जाता है और नम्बर 2 का काम कराते हैं। आज नम्बर 2 से सारे लोग परेशान हैं। जितने चेक पोस्ट बने सब में भ्रष्टाचार बढ़ गया। आज डिबाई मंडी है, हापुड़ मंडी है और डिबाई मंडी में तो एक अग्रवाल नाम के जो नम्बर 2 का काम करते थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह आ गये और उस मंडी को इतना गन्दा कर दिया कि भले आदमी जो कार्य करते थे नहीं कर पा रहे हैं और सेक्रेटरी की पौ बारह है। जो मंडी शुल्क मिलेगा उससे देहात की सड़कें बनेंगी, टिन शेड बनेंगे, यह सारी सुविधायें मिलेंगी लेकिन हमारा पैसा उस सेक्रेटरी के माध्यम से चला जाता है इसीलिये हमको बोलना पड़ा वरना हम बोलते नहीं मंडियों में जो नम्बर 2 का काम होता है उसकी आपको पूरी जानकारी है। उस जानकारी से आप लाभ उठाय तो आप इस प्रदेश का कल्याण कर सकते हैं। आपको ताज्जुब होगा कि दिल्ली एक ऐसा सेन्टर है जहां से हर तरफ माल जाता है। दिल्ली प्रदेश पैदा कुछ नहीं करता लेकिन लाखों मन जौ, गेहूं, बाजरा वहां पहुंच जाता है। यह सब मेरठ कमिश्नरी से जाता है और नम्बर 2 से जाता है। बैरियर लगा रखे हैं लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं करता। ट्रक धक्का मार कर निकल जाते हैं। इसलिये आपको भारत सरकार से कहना पड़ेगा कि जो दिल्ली को सदन का स्टेशन बना रखा है उसको बन्द कर दें वरना नम्बर 2 का काम आपके सचिव मंडियों से कराते रहेंगे और आप चाहे जितनी चेक पोस्ट्स बनायें उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

इसी तरह से आप बार-बार कहते हैं कि हमें समय दो, हम शहरी सम्पत्ति समाप्त कर देंगे, गरीब को जमीन देंगे, सबको मकान देंगे। पंडित उदित नारायण शर्मा चले गये उन्होंने इसी सदन में हमें गारंटी दी थी कि इसी सत्र में यह विधेयक आ जायेगा। दूसरे बुन्देलखंड के मंत्री जी भी आ आ गये। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वह बुन्देलखंड के दूसरे थे और हम दूसरे हैं। आपने आज तक शहरी सम्पत्ति को खत्म करने का ड्राफ्ट तक नहीं बनाया और न बनाने के मूड में हैं। मंत्री जी ने कह दिया कि केन्द्र में बन रहा है उसी के आधार पर हम सोचेंगे। आप अपने यहां बना देते, केन्द्र का जब लागू होता तो अपना वापस ले लेते। कुछ लोगों ने कहा कि छोटे छोटों को तो छोड़ दो। छोटे-छोटे बेंच लें तो कुछ असर नहीं पड़ता। आज छोटे-छोटे कस्बों की जमीन 100 रुपये गज बिक रही है। धड़ाके से सेल का काम हो रहा है। पूंजीपति अपने दोस्तों आदि के नाम से जमीन ले रहे हैं और बेच रहे हैं। इस ओर आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने कलेक्टर को 3 लाख तक की जायदाद बेचने के लिये अधिकार दे रक्खा है। 10 लाख की जो सम्पत्ति होती है उसको भी 3 लाख दिखा दिया जाता है और आज्ञा बेचने की प्राप्त कर ली जाती है। मैं कहता हूं कि केन्द्र चाहे कानून बनाये या न बनाये, आप अपने ला विभाग को कन्सल्ट करके, एक ड्राफ्ट उनसे बनवा कर यहां ले आयें और सदन से पास करायें ताकि गरीब भूमिहीन को जमीन मिल सके। आज बड़े बंगलों में सैकड़ों एकड़ भूमि है, एक कलेक्टर का बंगला 100 एकड़ जमीन में है, तो ऐसी जगह से आप भूमि को निकालिये और गरीब आदमी को, भूमिहीन, को उसे दीजिए।

इसी प्रकार नजूल की भूमि भी बड़े-बड़े आदमी ही हथिया लेते हैं, उन्हीं लोगों का उस पर कब्जा है। इसलिये मेरा कहना यह है कि जितनी देर आप इस कानून को लाने में लगायेंगे उतनी ही जमीन आपके हाथ से निकलती जायेगी और जो उद्देश्य आपका है वह पूरा नहीं हो पायेगा। जिस प्रकार से आपने सीलिंग बिल का मखौल बना दिया, इस बिल का भी वही हाल होगा। सीलिंग से आपने सोचा था कि 5 लाख एकड़ जमीन मिल जायेगी, अगर मिली डेढ़ दो लाख एकड़ ही और उस पर भी आपका अभी कब्जा नहीं हुआ। इसी प्रकार अगर इस बिल को लाने में आपने देर की तो यह जमीन भी आपके हाथों से निकल जायेगी और जो मकसद आपका है वह पूरा नहीं हो पायेगा। मैं यह नहीं कहता कि

[श्री हिम्मत सिंह]

आप किसी दबाव में आकर देर कर रहे हैं, मगर जो मनोवृत्ति आपकी इस संबंध में चल रही है वह बड़ी ही घातक सिद्ध हो रही है।

मंत्री जी कहते हैं कि केन्द्र कानून बना रहा है। हमें उसका इन्तजार नहीं करना चाहिये। वरना आप जो भूमि भूमिहीनों को देना चाहते हैं। वह नहीं दे पायेंगे, जमीन सारी निकल जायेगी। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी एक नया बिल इस संबंध में यहां ले आयें। पहले माननीय उदित नारायण शर्मा जी ने आश्वासन भी दिया था, यहीं सदन में कहा भी था कि हम बिल लायेंगे। लेकिन वह नहीं आया। मेरा आपसे नम्र निवेदन एक ही है कि आप इस सदन को अपने कांफिडेंस में लें और एक ऐसा बिल लायें जिससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हो। अगर आप ऐसा बिल नहीं लायेंगे तो आपका जो उद्देश्य है वह इससे समाप्त हो जाता है और केवल एक दिखावा मात्र रह जाता है कि हम गरीबों को मकान बनवाने के लिये जमीन दे रहे हैं, कि वे स्वच्छ मकान बनवा लें, इससे उसकी पूर्ति नहीं होती। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूं कि अगले सत्र में इसको जरूर ला दें।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, पहले ही मैं कह चुका हूं कि 6 अधिनियम ये ऐसे हैं जिनके ऊपर हम कार्य कर रहे थे और चूंकि प्रेसिडेंट रूल के खतम होने के साल भर के अन्दर ही इसको अधिनियमित करना आवश्यक है....

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय तिवारी जी, अब आपका काम और आसान हो गया। अब जो भी विधेयक आपको पारित करवाना हो, असेम्बली में, उसकी एक लिस्ट पहले बना लें कि ये ये विधेयक पास कराने हैं।

*श्री राजमंगल पांडेय—

आपकी जितनी भी शंकायें हैं वे सब निर्मूल हैं। मंडियों के बारे में खासतौर पर चर्चा की गयी। मैं सदन को बतला देना चाहता हूं कि पहले जो नियम थे, अव्यावहारिक थे, ठीक से काम नहीं हो रहा था, इसलिये फिर नये नियम के अनुसार, नये नियम बनाने के बाद उसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा गया, पब्लिक ओपीनियन आ भी गयी है, उसे 7–8, 10 रोज के अन्दर ही प्रकाशित कर दिया जायेगा और प्रकाशित करने के बाद जल्द से जल्द चुनाव भी कराये जायेंगे। यह जो कहा गया कि पीने के पानी वगैरह की कोई व्यवस्था वहां नहीं है, तो मेरा कहना यह है कि करीब सवा 5 लाख रुपया इन मंडियों के पास है जिनमें से रायबरली, बाजपुर, पोखरायां, आदि नयी मंडी स्थल हैं उन सबमें ऐसी नयी मंडी स्थल हैं और 16 ऐसे नयी मंडी स्थल हैं उन सबमें एसी व्यवस्था की जायेगी जिससे वहां आने वाले किसी व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। प्रेसीडेंट रूल में यह अधिनियम आया था लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी में कोई ऐसी चीज इसके अन्दर न रह जाय जिससे बाद में चलकर परेशानी हो, इसलिये हम इसके लिये समय को बढ़ा रहे हैं। यह जनता की सुख सुविधा के लिये किया जा रहा है। और कोई दूसरी बात इसके अन्दर नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक चीज जो कही गयी वह यह कि यह टैक्स के रूप में है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह टैक्स नहीं है बल्कि शुल्क है और शुल्क सरकारी खजाने में न जमा होकर उसका काफी हिस्सा आपकी सुख सुविधा में ही खर्च होगा। इसलिये आपकी यह शंका भी निर्मूल है। मालूम होता है कि श्री त्रिवेणी सहाय जी ने समझ लिया है कि इधर-कभी बैठेंगे ही नहीं और इसीलिये जो माननीय सदस्य उधर बैठते हैं उनकी नजर ही बदल जाती है।

इतना ही नहीं हमने यहां तक सिविल कोड में कर दिया है कि पहले सिविल जज के यहां 20 हजार रुपये तक की अपील नहीं हो सकती थी लेकिन अब हमने उसकी अपील का प्रोविजन कर दिया है कि 20 हजार रुपये तक की अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां होगी। रिवीजन के लिये भी ऐसा ही प्रोविजन कर दिया है। इससे काश्तकारों और किसानों का ही भला है।

कुछ मेम्बरों के डिस्क्वालिफिकेशन की बात भी कही गयी। पहले भी कई कारपोरेशनों के सम्बन्ध में यह बात आयी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि जो माननीय सदस्य कहते हैं कि अगर कोई सदस्य कारपोरेशन में जायेगा और वहां प्रेस्काइब्ड टी० ए०, डी० ए० लेगा तो वह डिस्क्वालिफायड हो जायेगा। इस तरह के डिस्क्वालिफिकेशन को पहले भी रिमूव किया गया है जिससे माननीय सदस्यों को कोई दिक्कत न हो। केवल मेरी तरफ के लोग ही कारपोरेशन्स में नहीं हैं, आपकी तरफ के लोग भी कहीं-कहीं कारपोरेशन में हैं। तो उनकी जो डिस्क्वालीफिकेशन की जाती थी, इस अमेंडमेंट से उसको रिमूव कर रहे हैं। यह ऐसी चीज है जिस पर सदन को कहीं भी शंका करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। यह आपकी भलाई के लिये है। सारे माननीय सदस्यों के हित में, सरकार और जनता के हित में। इसलिये इसके पास होने में कोई विवाद नहीं होना चाहिये। शायद इसी वजह से इसमें कोई संशोधन करने की बात नहीं आयी सिवाय कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। इसलिये इसके पास होने में कोई विवाद नहीं होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 को एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974

कतिपय राष्ट्रपति अधिनियमों को निरसित तथा उन्हें कतिपय परिष्कारों सहित पुन: अधिनियमित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

राष्ट्रपति पति अधिनियम संख्या 11, 1973 संख्या 13, 1973, संख्या 14, 1973, संख्या 18, 1973, संख्या 19, 1973 तथा संख्या 20 1973 का निरसन तथा पुनः अधिनियमन

2—निम्नलिखित राष्ट्रपति अधिनियम, अर्थात्—

(क) उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973);

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973);

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 14, 1973);

(घ) उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 18, 1973);

(ङ) उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 19, 1973); तथा

(च) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 20, 1973),

एतद्द्वारा, निरसित, तथा अनुसूची में दिये गये परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमित किये जाते हैं।

अनुसूची
(धारा 2 देखिये)

क्रम-संख्या	राष्ट्रपति अधिनियमों के नाम	परिष्कारों का विस्तार
1	2	3
1	उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973)।	अधिनियम के शीर्षक में शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।
2	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 13, 1973)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा 2 में, पद "परिषद्", "कलक्टर" तथा "विनियम" की, खण्ड (i), खण्ड (ii) तथा खण्ड (iv) द्वारा क्रमशः अन्तःस्थापित परिभाषाओं में कोष्ठक तथा अक्षर '(कक)', '(घघ)' और '(थथ)' के स्थान पर, कोष्ठक अक्षर तथा अंक '(क-1)', '(घ-1)' और '(थ-1)' रख दिये जायें।
3	उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 1973 राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 14, 1973)।	अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।
4	उत्तर प्रदेश अधिकतम सम्पत्ति-सीमा (अन्तरण पर अस्थायी निर्बन्धन) तृतीय संशोधन अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 18, सन् 1973)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (क) में अंक तथा शब्द "30 सितम्बर, 1974" के स्थान पर अंक तथा शब्द "31 मार्च, 1975" रख दिये जायें।

1	2	3
5	उत्तर प्रदेश सिविल विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 19,1973)।	अधिनियम के शीर्षक में शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें।
6	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) संशोधन अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 20, 1973)।	(क) अधिनियम के शीर्षक में, शब्द "भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित" निकाल दिये जायें, तथा वर्तमान उद्देशिका के स्थान पर, शब्द "निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है" रख दिये जायें। (ख) अधिनियम की धारा 2 में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर शब्द "तीन वर्ष और छः मास" रख दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राज मंगल पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1974†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1974 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, इस सदन में यह मांग थी कि किसानों का जो बकाया है, उस पर ब्याज कम है और जो उनको अब तक साढ़े सात प्रतिशत ब्याज मिलता है उससे किसानों का नुकसान होता है। तो आवश्यकता थी कि किसानों का जो बकाया है उसका भुगतान जल्दी करने के लिये मिल मालिकों को मजबूर किया जाय जिससे वह भुगतान जल्दी करें। दूसरी तरफ जो

†14 अगस्त, 1974 की कार्यवाही में छपा है।

वह भुगतान देरी में करते हैं उसके दंडस्वरूप वह ब्याज ज्यादा दें, यह मांग थी। तो सदन की इस मांग पर अब ब्याज की दर साढ़े सात परसेंट से बढ़ा कर 12 परसेंट की जा रही है। आशा है सदन इसका स्वागत करेगा। जो 1 रुपया क्रय-कर की दर रखी गयी है, इससे जो रुपया आयेगा उसका आधा धन रिसर्च के कामों पर खर्च होगा। इसके पहले 67 पैसे से 1 रुपया करने का विधेयक आ चुका है और वह स्वीकार हो चुका है। लेकिन यह रह गया था। खांडसारी, क्रेसर, सल्फेटेशन प्लांट आदि की रिसर्च के लिये इसकी व्यवस्था है। जो धन मिलेगा उसका आधा धन रिसर्च के काम में लगेगा, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जो यह अमेंडमेंट लाया जा रहा है, मुझे आशा है कि इससे किसानों का हित होगा और इसको सदन स्वीकार करेगा। संशोधन में रिसर्च की व्यवस्था तो है ही दूसरे यह फायदा होगा कि किसानों को 12 परसेंट ब्याज मिलेगा।

*श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद) --

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1974 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में दे दें।

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय मंत्री जी बड़े सुन्दर ढंग से और संक्षेप में यह बात कही कि यह विधेयक किसानों के हित के लिये लाया जा रहा है। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो मिल मालिक साढ़े सात प्रतिशत से नहीं दे पाते थे वे 12 प्रतिशत क्या देंगे। आपने साढ़े सात प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत कर दिया तो यह कौन-सी परिभाषा में पेनाल्टी रखी जायेगी। जबकि बैंकों ने भी 12 प्रतिशत कर दिया है। तो आपने किसानों को कौन-सी रियायत दे दी है। यदि सरकार कोई दूसरे ठोस कदम घोषित करती जैसे कि 145 की कार्यवाही मिल मालिकों के खिलाफ की जायेगी, कुर्की की जायेगी यदि वे किसानों के बकाये का भुगतान नहीं करेंगे। इससे तो किसानों का हित होता और यह हित जताने की बात थी। परन्तु आपने ठोस कदम की ओर इशारा नहीं किया। शुगर इंडस्ट्री में क्या कहीं सरकार ने पेनालाइज्ड किया है। दक्षिण राज्यों में भी फैक्ट्रीज हैं परन्तु हमारे राज्य की फैक्ट्रीज से जमीन आसमान का वहां अन्तर है। अपने यहां मिलें 3 महीने चलती हैं और 9 महीने बन्द रहती हैं, जबकि दक्षिण में मिलें 9 महीने चलती हैं और 3 महीने बन्द रहती हैं।

इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि समाजवाद का नारा लगाते हैं और कहते हैं कि यह राष्ट्रीयकरण करेंगे वह राष्ट्रीयकरण करेंगे। इस तरह उसमें ऐसा हो गया कि जैसे एक संतरी पुकार लगाता रहता है और उसी बीच में दूसरे लोग अन्दर घुस जाते हैं और चोरी कर ले जाते हैं। उसी तरह शुगर इंडस्ट्री में भी हुआ है। दुनिया में ऐसी चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी जैसे कि इस प्रदेश में देखने को मिलती हैं। एक रंग की, एक ही तरह के बोरे में भरी गई एक ही तरह की चीनी, और एक ही तरह की दुकान में रखी हुई चीनी एक दुकान में 2 रु0 किलो और दूसरी दुकान में 4 रु0 से 5 रु0 किलो तक बिक रही है। इस प्रकार एक ही कमोडिटी और एक ही स्टैन्डर्ड की दो-दो भावों में बिक रही हैं। ऐसी ही तमाम चीजें दो-दो भावों में बिक रही हैं। इसलिये यदि शुगर इंडस्ट्री के साथ यह कर दिया कि साढ़े सात प्रतिशत की जगह 12 प्रतिशत तो कोई ठोस कदम नहीं है। इसके साथ-साथ यदि आप मिल मालिकों को चेतावनी देते कि किसानों का भुगतान तुरन्त किया जाय तो उनको कुछ भय होता परन्तु साढ़े सात से 12 प्रतिशत करने से वे डरेंगे नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम प्रकाश त्रिपाठी]

इसके अलावा यदि शासन के पास भुगतान से सम्बन्धित काफी कागजों का पुलिन्दा हो गया तो यह भी सम्भव है कि वह दो-चार माकीनाना या किश्त में भुगतान करने के लिये कह दे और इस तरह किसानों का पैसा वहीं पड़ा रह जायेगा। इसलिए साढ़े सात की जगह 12 प्रतिशत जो कर दिया है तो बैंक ने भी ऐसा ही ब्याज देती है तो आपने कौन रियायत कर दी है। यदि आप यह करते कि 15 दिन में पैसे की अदायगी नहीं हुई तो मिल मालिकों पर इतनी पेनाल्टी की जायगी तो इससे उनको कुछ भय रहता। परन्तु यह आपने नहीं किया क्योंकि किसानों के हित के नाम पर केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है। इसलिए प्रस्ताव मैंने जो प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि उसका सभी लोग समर्थन करेंगे।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, उस पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आशा थी और यह विश्वास था कि माननीय उद्योग मंत्री जी जिनका सम्बन्ध गन्ना किसानों से पुराना है और आज भी है, जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जायेंगे और हम सभी जब जायेंगे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में किसान यह जरूर पूछेगा कि गन्ने की कीमत इस साल क्या होगी। श्रीमन्, पिछले सालों में जिस तरह से बेतहाशा फर्टीलाइजर की कीमत बढ़ी है या और दूसरी चीजों की कीमत बढ़ी है, उसके रहते हम यह जानते हैं कि हमको यह अधिकार नहीं है कि हम गन्ने की कीमत को निर्धारित करें। लेकिन मुझे स्मरण है, अखबारों में मैं पढ़ा करता रहा, सदन की कार्यवाहियों को देखा है कि यह सदन एक संकल्प करता रहा है और केन्द्र की सरकार से यह अनुरोध करता है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की यह राय है, सदन की यह राय है, सरकार की यह राय है कि गन्ने की कीमत कम से कम इतनी होनी चाहिये, ऐसा नहीं हुआ। यह जो पैच करने की बात की गई है, इस भावना से कोई विरोध नहीं कर सकता कि साढ़े 7 प्रतिशत से बढ़ाकर आपने साढ़े 12 प्रतिशत ब्याज कर दिया, यह तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न है कि जहां मूल ही डूब रहा हो, वहां सूद की बात की जा रही है। करोड़ों रुपया किसानों का जहां मूलधन का बाकी है वहां सूद की चर्चा हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो हमारा करोड़ों रुपया मूलधन का पड़ा हुआ है, उसको वापिस दिलाने के लिये कौन-सी कार्यवाही कर रहे हैं, यह बताने की कृपा करें। हम तो यह समझते थे कि इस विधेयक में इस बात की चर्चा होगी।

आज गन्ना किसानों की पर्ची 75 प्रतिशत और 75 प्रतिशत में देवरिया, पडरौना के बाजारों में बनिये लोग खरीद रहे हैं। इसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही। यह किसानों के लिये बड़ी परेशानी का समय है और कम से कम मिल मालिकों ने अपने शिकन्जे में उनको फंसाकर और उस कानून और शिकंजे को जो हमारी सरकार हमेशा संरक्षण देती है, जब यह बात आयेगी रुपये देने की तो कभी रिजर्व बैंक का जिक्र आयेगा तो कभी दूसरी बातों का। खरीद-फरोख्त में सीधी-सी बात है कि हम अपना सामान अमुक रेट पर बेचते हैं, हमको पैसा चाहिये। अगर उसमें कोई काम्पलीकेशन्स हों तो वह सरकार, मिलमालिक बैठकर तय करें। गन्ना किसानों ने जो गन्ना यूनियन के मारफत मिल मालिकों को दिया है उसका पैसा हमें मिलना चाहिये। उसमें क्या दिक्कत है, घाटा-मुनाफा है, यह सब आप, केन्द्रीय सरकार और मिल मालिक तय करें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह जो गन्ना किसानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है कि हम तो तुम्हारे शुभचिन्तक हैं, यह बात उचित नहीं है। निश्चित रूप से आज मंत्री जी को यह घोषणा करनी चाहिये कि आने वाले सीजन में इस प्रदेश का 20 लाख किसान परिवार जिनकी संख्या लगभग 2 करोड़ की है, जो रेडियो पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुन रहा होगा, जो अखबारों में पढ़ रहा होगा कि गन्ने की कीमत इतनी होगी। जब हम विधान सभा में नहीं आये थे तो सीजन के पहले जो सत्र हुआ करता था वह बड़ी बेसब्री से इन्तजार करते थे कि किस रेट पर वह खरीदेंगे। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार भी इस सम्बन्ध में कुछ सोच रही है।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बढ़ती हुई कीमतों को और दूसरे साधनों को देखते हुए (1) यह स्पष्ट घोषणा करेंगे कि सदन का यह अभिमत है, विचार है, हमारी सरकार का यह विचार है कि आने वाले सीजन में गन्ने की कीमत इतनी होनी चाहिये, और (2) निश्चित रूप से हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि रिजर्व बैंक क्या कर रही है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते कि दूसरे पूंजीपति, मिल मालिक पर क्या काम्पलीकेशन्स हैं, बैंक उनको कितना दे रही है, ओवर ड्राफ्ट कितना हो रहा है, यह सारे काम्पलीकेशन्स सरकार के हैं, मिल मालिकों के हैं, हम तो किसान हैं हमने गन्ना बेचा है और जिस भाव पर दिलवाया है वह पैसा हमको मिलना चाहिए यह न्यायसंगत बात है।

श्रीमन्, आप जानते ही हैं कि गन्ना किसान बेसहारा हुआ करते हैं। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी कीमत पैदा करने वाले तय न करें। उसकी कीमत केन्द्रीय सरकार तय करेगी और कहां पर बेंचा जायगा यह आप तय करेंगे और फिर गन्ना कमिश्नर, केन कमिश्नर को तो सुप्रीम पावर मिली ही हुई है। गन्ना किसान कुछ कहे, केन यूनियनें कोई भी रिजोल्यूशन पास करें लेकिन केन कमिश्नर यहां बैठे बैठे उसको अनडू कर देते हैं। हमें यह विश्वास था, कि माननीय मंत्री जी ऐसा विधेयक लायेंगे जिससे गन्ना किसानों का जो करोड़ों रुपया आपकी छत्रछाया में मिल मालिक दबा कर बैठे हुये हैं उनको निकाल कर किसानों के पास पहुंचाया जावेगा। फीस न होने के कारण जिनके बच्चों के नाम स्कूलों में नहीं लिखे जा सके हैं, बरसात के दिन हैं उनको कपड़े नहीं मिल रहे हैं उनके लिये आप कुछ न कुछ करेंगे ऐसी आशा इसलिये आपसे थी कि आप भुक्तभोगी हैं। यह जो संशोधन विधेयक है उसकी मन्शा का मैं स्वागत करता हूं लेकिन अपने उर्वरा मस्तिस्क के किसी कोने से कोई ऐसा तरीका सोचिये कि जिससे गरीब गन्ना किसानों का जो 20 लाख रुपया है एक दो मिलों को छोड़कर लगभग सभी मिलों में ऐसी स्थिति है कि वह रुपया उनको मिल सके (एक आवाज राष्ट्रीयकरण का प्रताप है)

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कुछ कहना इस समय मुनासिब नहीं है। उसके बारे में तो हम कहते कहते थक गये, फिर कहते भी रहेंगे, जब तक जिन्दा हैं तब तक कहते रहेंगे लेकिन जो तात्कालिक आवश्यकता है गन्ना किसानों की उसको सामने लाना जरूरी है। आज किसानों की सौ रुपये की पर्ची बाजार में बनिया घड़ल्ले से सस्ते दामों पर खरीद रहा है उसको आप रोकिये, नहीं तो आप उसको खुद जमा कर लीजिये। अगर मिलमालिकों से आपको इतना मोह है और आप उनका कुछ नहीं कर सकते तो फिर वह पर्चियां आप जमा कर लीजिये और खजाने से गन्ना किसानों का पेमेंट कीजिये।

दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि गन्ने की कीमत निर्धारित कीजिये। वह आप नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी अखबारों में पढ़ा है कि केन्द्रीय सरकार इसको तय कर रही है और 20 रुपये क्विन्टल वाली बात आप स्वीकार कीजिये। अधिष्ठाता जी, आपको हंसना नहीं चाहिये क्योंकि आज दिल्ली के बाजार में 5 रुपये 30 पैसे चीनी बिक रही है और जो साधारण सिद्धान्त है "1 आने पर 1 रुपये" वाली उसके हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन पिछले साल आपने 11 रुपये तय किया था, इस साल फर्टिलाइजर के दाम दुगुने हो गये हैं इसलिये हिसाब से 22 रुपये होते हैं। इसलिये 20 रुपये पर ही उसकी कीमत मुकर्रर हो, उस मांग पर अपनी ताकत लगाकर मंजूर कराइये और जो गन्ना किसानों का पैसा

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

मिल मालिकों के घर में जमा है वह किसी न किसी तरीके से किसानों के हवाले कराने की कोशिश कीजिये। इन शब्दों के साथ जो भावना मंत्री जी ने व्यक्त की हैं मैं उनका स्वागत करता हूं।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

मान्यवर, बड़ा दुख होता है इस बात पर कि जब हम लोग कहते हैं कि विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया जाय तब तो यह लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई मसाला नहीं है और इसलिये प्रवर समिति को देने को कहना इसका स्वभाव बन गया है।

मान्यवर, अभी इसके पहले एक ऐसा बिल लाया गया था जिसका नाम था उत्तर प्रदेश गन्ना क्रय कर संशोधन विधेयक, 1974, इससे पहले भी ऐसा विधेयक आ चुका है। उसके लिए आपने कहा था कि गन्ना अनुसंधान और गन्ना विकास के लिये और जो फैक्टरियां हैं उनको रिओरियन्टलाइज करने के लिये 67 पैसे से 1 रुपये हम क्रय कर बढ़ाने जा रहे हैं। एक बिल वह आया। 61 का जो बिल था उसमें दो क्लाजेज हैं। एक क्लाज में यह है कि फैक्टरी का मालिक परचेज टैक्स देगा और दूसरे क्लाज में यह है कि जो खंडसारी यूनिट हैं जो गुड़ राब बनाती है वह 50 पैसा टैक्स देंगे। जिस समय बजट पेश हुआ उस समय 48 करोड़ का घाटा दिखला दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए आप अब टार्च लेकर ढूंढ रहे हैं कि कहां-कहां पैसा बढ़ाया जा सकता है।

एक सदस्य--

लालटेन लेकर नहीं।

श्री त्रिवेणी सहाय--

लालटेन का जमाना गया। तिवारी जी ने पूरी फोर्स लगा दी। ऐ वित्त विभाग के अधिकारियों टार्च लेकर ढूंढो कि कहां कहां पैसा बढ़ाया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिल लाने के पहले आप उसकी तहत में जायं कि दो दो संशोधन विधेयक इसी सत्र में क्यों लाये। आप पहले लाये थे। हजारों रुपया खर्च किया होगा। आज सदन का टाइम फिर बरबाद हो रहा है। उसी में इस क्लाज को जोड़ लेते। लेकिन नहीं। सेक्रेटरी साहब बिल बनाकर लाते हैं और दस्तखत कर देते हैं 'नारायण दत्त तिवारी'। आप कहते हैं कि इसलिए बिल लाये हैं कि माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति हो सके साढ़े 7 से 12 परसेंट कर दिया। आप सोचें कि अगर किसी का हजार दो हजार रुपया डाकखाने में जमा हो तो गवर्नमेंट का तकाजा है कि वह ब्याज देगी। हमारा पैसा बगैर ब्याज के गवर्नमेंट के खजाने में रह नहीं सकता। हम श्रीमन्, क्यो मांग करते थे। इसलिए कि किसी फैक्टरी पर 52 लाख बकाया, किसी पर 16 लाख बकाया और किसी पर 25 लाख बकाया। प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को आशा थी कि विदिन 15 डेज पैसा मिल जायगा। उनको पैसा नहीं मिला। आपने ऐक्ट में प्राविधान किया कि जो 15 दिन के अन्दर पेमेंट नहीं करेंगे उनके खिलाफ आप ऐक्शन लेंगे। लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस नियम के बावजूद क्या किया सिवाय एक तीर मारने के और वह यह कि हमने डी0 एम0 की चिट्ठी लिखवा दी। चिट्ठी कोई ऐटम बम नहीं है। आपने उनका बकाया पैसा वसूल करने के लिए कौन सा कठोर कदम उठाया। जब यह सवाल पूछते हैं तो आप मौन हो जाते हैं। छोटे किसान से वसूल करने के लिए आपके पास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेखपाल से लेकर राज्यपाल की फौज खड़ी है और मिनटों में बिहाइन्ड द बार कर देते हैं। लेकिन जो मिल मालिक हैं वे आपके यहां आकर कमरे में बैठकर चाय पीकर चले जाते हैं। आपने परचेज टैक्स लगाया लेकिन मिल मालिकों ने एक पैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मिल मालिक के ऊपर जो परचेज टैक्स लगा वह 67 पैसे से एक रुपया यानी 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई। खंडसारी वालों से 8 आने का एक रुपया ले रहे हैं। मिल के मुकाबले 17 पैसे ज्यादा। क्यों साहब ऐसा क्यों। आपका रवैया है कि मिल मालिकों से ज्यादा पैसा निकालेंगे।

आप कहते हैं कि समाजवाद फेल है। यह आपका समाजवाद फेल है कि गन्ना मिल मालिकों से 23 पसे परचेज टैक्स तथा राब, गुड़ तथा खांडसारी बनाने वाले किसानों से 8 आने परचेज टैक्स ले रहे हैं। 17 पैसे अधिक क्यों लिया जा रहा है? फिर राब, गुड़ तथा खांडसारी वालों के लिये आपने उनकी तरक्की के लिये क्या किया? पिछले 6 सालों में आपने एक भी खांडसारी का यूनिट मेरे क्षेत्र में नहीं लगने दिया, कोई भी लाइसेन्स नहीं दिया गया। फिर गोंडा शहर की जनता ने लिख कर दिया कि एक चीनी मिल वहां लगाई जाय। पहले सरकार की ओर से एक चिट्ठी जाती है कि उस पर विचार हो रहा है। अब तिवारी जी की चिट्ठी आई कि हमारे इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता। पिछले 25 सालों में आजादी के बाद कांग्रेसी सरकार ने कौन-सा उद्योग गोंडा जिले को दिया? उद्योग बांटने में भी आपको बैलेंस कायम करना चाहिये था, लेकिन नहीं किया। वहां चीनी मिल क्यों नहीं खुली, खांडसारी का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया गया? इसलिये नहीं हुआ कि वहां जो पहले से मिल मालिक बैठा हुआ है वह कहता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरी मिल नहीं खुल सकती। आप देखें कि सरकार कितनी सुविधायें मिल मालिकों को तथा कितनी सुविधायें किसानों को दे रही है? नवाबगंज शुगर फैक्टरी को 24 घंटे बिजली दी जा रही है जब कि किसान को सिंचाई के लिये 6,7 घंटे बिजली दी गयी। नवाबगंज सुगर फैक्टरी को बिजली 24 घंटे इसलिये दी गयी चूंकि वह फैक्टरी नारंग साहब की है और वह कांग्रेस के आदमी हैं। उस फैक्टरी में सुगर के अलावा शराब भी बनती है। शराब बनाने के लिये आप 24 घंटे बिजली देते है लेकिन किसान को बिजली 6,7 घंटे देते हैं। यह किसान की बहबूदी के लिये आप कार्य कर रहे हैं? 12 परसेंट आपने कसे कर दिया तिवारी जी जरा इस क्लाज को पढ़ कर देखें जिसमें लिखा है " 17 (3) जब उपधारा 2 के अधीन उतरदायी व्यक्ति गन्ना पाने क दिनांक से 15 दिन से अधिक अवधि तक मूल्य की अदायगी न करे तो वह गन्ना पाने के दिनांक से साढ़े 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज भी देगा, अब इसमें जो बाद का क्लाज है यह बहुत महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है: "किन्तु किसी भी मामले में गन्ना कमिश्नर राज्य सरकार की स्वीकृति से यह आदेश दे सकता है कि कोई भी ब्याज न दिया जायगा, अथवा उस कम की हुई दर से दिया जायगा, जिसे वह निश्चित करे"। अब श्रीमन् देखें इसमें आपने एक प्राविजन लगा दिया जिसके अन्तर्गत कमिश्नर को यह अधिकार होगा आदेश निकालने का कि अमुक व्यक्ति को ब्याज नहीं दिया जायगा। मिलेगा तो उसी दर से मिलेगा। इस क्लाज को तो पढ़ा होता अपने। यदि आप इसे पढ़ लिये होते तो इस 12 प्रतिशत वाले अमेन्डमेंट की जरूरत नहीं होती। रेल के डिब्बे के तीसरे दर्जे को तो आप खत्म कर दिये और उसे सेकिन्ड क्लास कर दिये। कोई उसके साथ सहूलियत नहीं, कोई गद्दा वगैरह नहीं लेकिन आपने एक डन्डी उड़ा दी। साढ़े सात प्रतिशत से 12 प्रतिशत सूद की दर कर देने से मंशा पूरी नहीं होगी। इसीलिए हम प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करते हैं .....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, दो मिनट में खत्म करता हूं। मान्यवर, हमारे तिवारी जी बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वे हमें पढ़ा सकते हैं लेकिन हमारा कहना यह है कि इस तरह के बिल लाने से पहले माननीय मंत्री जी को उसका अध्ययन कर लेना चाहिए था कि आखिर इसकी मंशा क्या है। 12 प्रतिशत से अधिक सूद की दर कर लेते तो मिल मालिक दे देता। वे समझते कि बैंक में क्या रखें चलो यहां लगा दें। आप 20 प्रतिशत कर देते तो उसे छींक आ जाती और वह आपके पास दे देता। यह मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत काम है। आप परेशानी में फंस जाते हैं। इस लिये हम कहना चाहते हैं कि आप इसे प्रवर समिति में भेज दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता जी, यह संशोधन विधेयक जो है वह स्वागत करने योग्य है और मैं इसका स्वागत करता हूं। यह साढ़े सात प्रतिशत की जगह पर 12 प्रतिशत सूद की दर बढ़ाने से सम्बन्धित विधेयक है। इसलिये इसका मैं स्वागत कर रहा हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ कठिनाइयां भी हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि सिर्फ सूद ले लेने से ही काम चलने वाला नहीं है। आये दिन आप इस माननीय सदन के अन्दर सुनते रहते हैं और माननीय सदस्य सवाल करते रहते हैं कि मिलों के ऊपर किसानों का कितना रुपया कितने ही दिनों से बकाया है। जब इस तरफ हम देखते हैं और माननीय सदन का ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है तो हमें कहना पड़ता है कि सरकार किसानों के मूलधन को दिलाने में अभी तक असफल रही है। बार-बार पूछा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने कहा और मूल विधेयक का उद्धरण भी पढ़ा कि अगर मिल मालिक 15 दिन के अन्दर किसानों का रुपया नहीं देंगे तो सरकार जो कानूनी कार्यवाही होगी, वह करेगी। श्रीमन्, जब पूछा जाता है कि क्या हुआ तो कहा जाता है कि कलेक्टर ने लिख दिया था। लिखने से ये जो मिल मालिक हैं वे कब्जे में आने वाले नहीं हैं ये किसानों को धोखा देते हैं और परेशान करते हैं और साथ ही सरकार को भी धोखा देते हैं। इसके लिये कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है।

दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर सरकार के कोई ड्यूज किसानों के ऊपर बकाया रहते हैं तो वारन्ट, कुड़की और नीलामी के साथ ही साथ तहसीलों में हवालात बनी हुई होती हैं उसके अन्दर 15 दिन तक डालकर, एक महीने तक डालकर जो उसे खिलाया जाता है उसका पैसा जोड़कर भी सारे ड्यूज उससे वसूल कर लिये जाते हैं। यह चीज आये दिन देखने को मिलती है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने वसूली के जो तौर तरीके अख्तियार किये हैं वे ठीक नहीं हैं। अतः सरकार को इस तरफ कड़ाई से पेश आना चाहिए। जिस तरह से सरकार किसानों के साथ अपने ड्यूज, अपने बकाये को वसूलने के लिए कानूनी तरीके से पेश आती है। श्रीमन्, इसे साढ़े सात की जगह 12 परसेंट कर देने से किसानों का पैसा वसूल होने वाला नहीं है। यह ठीक है कि यह पहले से ज्यादा है और इसीलिए मैंने उसका स्वागत किया। लेकिन इससे मूल समस्या हल होने वाली नहीं है। जो करोड़ों रुपया किसानों का बकाया है, इस साल का भी बकाया है उसकी वसूली के लिए कोई कारगर उपाय नहीं है। इस साल का भी बकाया है, जबकि किसान इतने संकट में है और पूर्वी अंचल के तो 4 जिले बाढ़ से बुरी तरह तबाह हो गये हैं, जो गन्ना उत्पादक थे। आपके क्षेत्र में 13-14 मिलें हैं। क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि इन चार जिलों की, जहां बाढ़ से हालत खराब हो गई है, भलाई के लिए क्या सरकार इस मौके पर कड़े कदम उठाएगी, जिससे उसे पिछले साल का बकाया और इस साल का बकाया मय सूद के एक साथ प्राप्त हो सके। इसमें मुझे शक होता है। मेन सवाल गन्ने के किसानों के सामने कीमत का है, उसे सरकार तय करती है। किन्तु सरकार द्वारा तय

किये हुए मूल्य पर किसान ठीक से गन्ना नहीं देता है और क्रैशर वाले ज्यादा दाम बढ़ाकर उसे लेने लगते हैं, जिससे मिल मालिक भी मजबूर होते हैं 2-1 रुपया अधिक देने पर। पानी का रेट बढ़ गया और खाद का दाम एक दम से दुगुना हो गया और मिल भी नहीं रहीं है। इससे गन्ने की लागत आज डबल हो गई है। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी, कीमत के इस अहम सवाल पर तुरन्त विचार करेगी कि इसके दाम तुरन्त बढ़ाये जायं। क्योंकि दो महीने में उसका सीजन आने वाला है। मैं जानता हूं कि यह सरकार के हाथ में नहीं है, फिर भी कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे यहां करीब 72 चीनी मिलें हैं। आज भी हमारा प्रदेश पूरे देश के पैमाने पर 50 परसेन्ट से ऊपर चीनी पैदा करता है। इसलिए मुख्य जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है कि वह समय रहते भारत सरकार से बात करे और गन्ने की कीमत तय करावे और जैसा ओझा जी ने कहा कम से कम 20 रुपया प्रति क्विंटल उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए, नहीं तो किसान तबाह और बर्बाद हो जायगा। सरकार तो आज डबल बाजार कर रही है। यह इस मिक्सड एकोनामी का ही परिणाम है। एक तरफ तो चीनी का भाव 2 रुपया 15 पैसा और दूसरी तरफ मिल मालिक खुले बाजार में साढ़े चार और 5 रुपये में चीनी बेच रहे हैं। इतना ही नहीं दूसरे सूबों में 5 रुपये से 6 रुपय में खुले बाजार में बिक रही है। तो उन्हें आप इतने अधिक भाव पर खुले बाजार में बेचने की छूट दे रहे हैं। पर क्या किसान ही इतना अभागा है जो घोर गर्मी और सर्दी में इतना कठोर श्रम करता है। जबकि मिल मालिक उस समय एयर कंडीशन्ड कोठियों में बैठे होते हैं, हम लोग यहां सदन में ठंडे में बैठे होते हैं और बड़े-बड़े अफसरान ठंडे में बैठते हैं। ऐसे समय में तड़पती धूप में गन्ना किसान अपना खून पसीना गलाता है। लेकिन उसके बाद भी उसको गन्ने का उचित रेट नहीं मिलता है। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 2 महीने के बाद गन्ने की पेराई का जो सीजन आने वाला है इस मौके पर गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिये भारत सरकार से बात करें।

तीसरी बात मैं और कहना चाहता हूं। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण को लेकर, प्रश्न उठाते-उठाते हम लोग थकते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से उठा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठा। लेकिन माननीय मंत्री जी बीमार मिलों को जिन पर लाखों का बकाया है उनको लेने की बात करते हैं। अगर कानूनी रूप से उनका अधिग्रहण भी कर लेते हैं तो वही मिल मालिक जो कांग्रेस से छूट लेते हैं, सरकार से कहते हैं कि हमारी मिलें ठीक से उत्पादन नहीं कर रही हैं, उनकी क्षमता नहीं रह गयी है, वही मिल मालिक अधिग्रहण के खिलाफ हाई-कोर्ट में रिट में चले जाते हैं और स्टे ले आते हैं जिससे गन्ना किसानों का बकाया भी वसूल नहीं हो पाता, जो साढ़े सात परसेंट सूद दिया गया था वह भी नहीं वसूल हो पाता। सरकार को इस अहम मसले पर विचार करना चाहिये। अगर संविधान कहीं रुकावट करता हो, तो भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहिए कि संविधान में ऐसी जो धाराएं हों जिनकी वजह से मिल मालिक गन्ना किसानों का रुपया नहीं देते, और अधिग्रहण करने पर स्टे ले आते हैं तो संविधान की ऐसी धाराओं में संशोधन करना चाहिए और सरकार को सारे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहिए जिससे गन्ना मिलों का राष्ट्रीयकरण हो सके।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी माननीय त्रिवेणी सहाय जी ने बताया, केन कमिश्नर को अधिकार बहुत ज्यादा दे दिया गया है इससे जो विधेयक की मंशा है कि साढ़े सात के स्थान पर 12 परसेंट कर दिया जाय, उसकी मंशा धूमिल हो जाती है। इस-लिए इतना बड़ा अधिकार केन कमिश्नर को नहीं देना चाहिये जिससे मिल मालिक के पक्ष में, जिस पक्ष में जहां चाहे, उस तरह का फैसला कर दे। हमारी मंशा है कि 12 परसेंट सूद देना है। अगर केन कमिश्नर कह दे कि साढ़े सात परसेंट दो या न दो तो उसे सरकार

[श्री ऊदल]

मान ले, यह दुविधा की बात नहीं होनी चाहिए। इससे किसानों का बहुत बड़ा अहित होगा। मैं माननीय मंत्री से चाहता हूं कि कड़ाई के साथ किसानों का एक-एक पैसा मय सूद के वसूल करें। अगर मिल मालिक नहीं देता है कानून की शरण लेता है और बहुत सारे उपाय हैं, आपके पास पुलिस है, मजिस्ट्रेसी है, आपका कलेक्टर है, बहुत से कानून हैं। लोगो को जब नाजायज तरीके से नजरबन्द किया जा सकता है, हैरसमेंट किया जा सकता है। गलत मुकदमा चलाया जा सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिल मालिक जब कानून की आड़ लेकर बच जाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं डी० आई० आर० और दूसरे कानून सी० आर० पी० सी० की धाराएं इस्तेमाल हो सकती हैं उनका आज तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया ? डी० आई० आर० का उपयोग करने के लिए, माननीय मंत्री जी की सरकार ने (जिसका देश के अन्दर कितना बड़ा विरोध हुआ) रेनूकूट में अल्म्युनियम फैक्टरी और दुलहीपुर कारखाने के मालिक को और बहुत से मिल मालिकों को इस सरकार ने डी० आई० आर० का इस्तेमाल करने के लिए अधिकार दिया था।

(इस समय 3 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जब आप मिल मालिकों को डी० आई० आर० का अधिकार देते हैं तो हम कैसे समझें कि आप गन्ना किसानों की उचित कीमत को दिलाने के लिए मिल मालिकों पर आप सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्रीमन्, मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार को यदि किसान का रुपया दिलाना आवश्यक हो तो डी०आई०आर० का प्रयोग करें, सी० आर० पी० सी० की धाराओं को जेल भेजने के लिये इस्तेमाल करे और अगर संविधान कहीं रुकावट डालता हो तो भारत सरकार से प्रार्थना करके उसमें संशोधन कराया जाय ताकि मिल मालिकों के ऊपर सही तरीके से कार्यवाही हो सके और मिलों को लिया जा सके। आज मिल मालिक कानून का सहारा लेकर हाईकोर्ट में न जा सके। इन अति आवश्यक बातों की तरफ मैंने सदन और मंत्री जी का ध्यान दिलाया। इन चीजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे और ऐसा कदम मिल मालिको के खिलाफ उठायेंगे जिससे किसानों को उनका बकाया रुपया मिल सके और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो सके।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं सम्मानित सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि सर्वश्री रामप्रकाश त्रिपाठी, जनार्दन प्रसाद ओझा, ऊदल आदि ने अपने सुझाव दिये। प्रवर समिति के सुझाव को मुझे मानने में इसलिए कठिनाई है कि इतना समय नहीं है कि प्रवर समिति में बैठकर सदन फिर 15 दिन बाद मिले। इसका परिणाम होगा कि 2-3 महीने के लिये इस पर विचार स्थगित हो जायेगा।

विरोधी दल के नेता ने इसके महत्व को स्वीकार करते हुए इसकी अनुज्ञा दे दी कि इस पर जल्दी विचार कर लिया जाय। माननीय त्रिवेणी सहाय जी बहुत अध्ययन करते हैं लेकिन शायद वे इस समय उपस्थित नहीं हैं। ओझा जी ने ठीक कहा कि यह बिल पहले नहीं लाया जा सका। वास्तव में जरूरत तब आई जब सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये किसानों के बकाये के रुपय पर ब्याज बढ़ाया जाय। जब सब जगह ब्याज की दर बढ़ रही है तो क्यों न किसान के बकाये के रुपये पर दर बढ़ाई जाय। इस सुझाव पर मंत्रि परिषद् में विचार हुआ और निर्णय हुआ कि बकाये पर ब्याज की दर सवा बारह प्रतिशत बढ़ा दी जाय किसानों के प्रति यह न्याय हो गया। यह समझा जायेगा कि नवम्बर में बकाये पर ब्याज की दर बढ़नी शुरू हो जायेगी तो इसका प्रभाव मिल मालिकों पर भी पड़ेगा इसलिये जल्दी की गई। यह ठीक है कि गन्ना कमिश्नर के पास पहले से अधिकार हैं लेकिन उसका बहुत कम

प्रयोग हुआ है और यह दबाव डालने के लिये हुआ है। एक हथियार लेकर गन्ना कमिश्नर किसानों की ओर से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और दबाव डाल सकते हैं कि बकाये को एक मुश्त जमा करें। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस बीच में बकाया और कम हुआ है। 20 करोड़ से अधिक बकाया था किसानों का मिलों पर लेकिन वह अब साढ़ 11 करोड़ रह गया है। सदन के चलते लगभग 10 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया का हो गया है और इस बात की चेष्टा हो रही है कि चाहे रिकवरी करें या सार्टीफिकेट जारी करें। किसी तरह से यह कौशिश की जाये कि बकाया वसूल हो। मैं रिजर्व बक से बातचीत करने के लिए बम्बई जा रहा हूं और उनसे आग्रह करूंगा कि जो उन्होंने लिमिट कर दी है उसको बढ़ाया जाये। जहां तक दूसरे प्रश्न है यह सन्दर्भ नहीं है जिनका यहां पर उल्लेख किया जाये। मैं बहुत आभारी हूंगा कि इसे पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1974 को एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट 15 दिन में दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन) विधयक, 1974 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 1953 ई० की धारा 17 का संशोधन

2— उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में, धारा 17 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ होने के पश्चात् खरीदे गये गन्ने के मूल्य की अदायगी न करने के सम्बन्ध में, अंक "7 1/2" के स्थान पर अंक "12" रखा गया समझा जायगा।"

श्री बादाम सिंह (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 की पंक्ति 2 में शब्द व चिन्ह 'में' तथा शब्द "निम्न लिखित" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"(1) शब्द व चिन्ह 'किन्तु किसी.....जिसे वह निश्चित करे।' हटा दिए जायें और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये।"

"अधिनियम में अन्यथा निदेश होते हुए भी यह ब्याज किसी भी दशा में माफ नहीं किया जायेगा और इस ब्याज का भुगतान सम्बन्धित गन्ना उत्पादक को ही दिया जायेगा।

तथा (2)।"

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 की पंक्ति 2 में शब्द व चिन्ह, "में", तथा शब्द "निम्नलिखित" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

"(1) शब्द व चिन्ह 'किन्तु किसी.....जिसे वह निश्चित करे।' हटा दिए जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये :

अधिनियम में अन्यथा निदेश होते हुए भी यह ब्याज किसी भी दशा में माफ नहीं किया जायगा और इस ब्याज का भुगतान सम्बन्धित गन्ना उत्पादक को ही दिया जायगा।

तथा (2)।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड—3

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) अधिनियम, 1961 में, धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपये" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(10-क)—उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन लगाये गये कर में से उस सीमा तक जहां तक कि कर की दर प्रति क्विंटल गन्ने पर पचास पैसे से अधिक हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहृत निधि में से उतनी धनराशि निकालेगी जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किये गये कर के आगम के आधे के बराबर हो, और उसे उपधारा (10) के खण्ड (क) में उल्लिखित निधि में जमा करेगी।"; और

(ग) उपधारा (11) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (10) में" के स्थान पर, शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "उपधारा (10) और उपधारा (10-क) में" रख दिये जायं, और शब्द "उस उपधारा" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (10)" रख दिये जायें।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 3 की मद (क) को निकाल दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह अस्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 की मद (क) को निकाल दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1974

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1974 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधयक, 1974 पारित किया जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इनमें से मेरठ विश्वविद्यालय वाली महत्पूर्ण है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत किया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, बहराइच नगर के प्राचीन शिव मंदिर के बारे में मैंने एक बिन नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी थी और आज नियम 51 में दी है। कृपया इसे वक्तव्य के लिए स्वीकृत कर लें। मैं बार-बार उसके लिये आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। यह मामला बहुत ही गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष--

आप तो इसके बारे में जेल में भी जा रहे हैं, उस पर झगड़ा हुआ है। यह कोई सरकार का काम नहीं है। सरकार के किसी काम पर अगर हो तो मैं वक्तव्य दिला दूं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, वहां पर उत्तेजना बढ़ रही है। महिलाय गिरफ्तार हुई हैं। उन्हें बाहर छोड़ा जा रहा है 25-25 मील दूर उन्हें छोड़ा जाता है। इस कारण...

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 7 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिय स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
20 अगस्त, 1974।

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सदस्य दस्तावेज

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 265 पर)

लघु कृषक विकास एजेन्सी, बदायूं द्वारा छोटे सीमान्त किसानों को योजना के प्रारम्भ से 30 जून, 1974 तक दी गई सुविधाओं का विवरण

विभिन्न जोत वाले किसान जिनको सुविधा दी गई	योजना का नाम	सुविधाओं का विवरण जो स्तम्भ I में उल्लिखित सभी किसानों को दी गई हैं	वितरित अनुदान की धनराशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4
I—लघु कृषक:—2-5 एकड़ से 7-5 एकड़ तक (दिनांक 15-8-70 से अप्रैल, 1974) तक II—सीमान्त किसान :— 0 एकड़ से 2-5 एकड़ (एक जनवरी, 1972 से)।	(1) अल्प सिंचाई	(क) कूप निर्माण (ख) रहट एवं बोरिंग (ग) पम्प सेट (घ) नलकूप (ङ) पक्की नाली	15-96
III—अप्रैल, 1974 के बाद लघु किसानों की अधिकतम जोत सीमा 7-5 एकड़ से कम करके 5 एकड़ अधिकतम की गई है।	(2) सहकारिता कार्यक्रम।	39668 कृषकों को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया गया जिसके लिए 7-00 लाख का ब्याज रहित ऋण दिया गया।	
	(3) कृषि	(क) उन्नतिशील कृषि यन्त्रों का वितरण (ख) कृषि प्रदर्शन (ग) अनाज की बखारी (घ) उद्यान (ङ) डनलप गाड़ी वितरण।	2-15
	(4) पशुपालन	(क) दुधारू पशुओं का वितरण। (ख) मुर्गी पालन (ग) बकरी पालन।	9-04
	(5) कस्टम सर्विस	(क) खेतों को समतल करना। (ख) ट्रैक्टरों द्वारा खेतों की जुताई।	0-25
	(6) ग्रामीण शिल्पकार योजना।	कृषि यन्त्रों के रख-रखाव मरम्मत/सफाई तथा बनाने से संबंधित ट्रेड में 40 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाना।	

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 279 पर)

मेरठ जनपद में 1 जनवरी, 1974 से 11-7-1974 तक विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्रीय सहकारी समिति लि०, दौराला का मामला समिति के सचिव श्री सूरज पाल सिंह के विरुद्ध तथा चार मामले साधन सहकारी समिति लि०, भैसा, ढिकोली, परिक्षतगढ़ एवं सलाया के गबन के सम्बन्ध में उन के सम्मुख अंकित निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस के सुपुर्द के किये:—

1—साधन सहकारी समिति लि०, भैसा	1—श्री शान्ति शरण, भू० पू० आंकिक 2—श्री मो० हनीफ, खजांची 3—श्री सुख वीर सिंह, सचिव 4—श्री शमशेर, सभापति 5—श्री चतुर गिरी, सुपर० 6—श्री भागीरथ सिंह, पंच 7—श्री नरायण सिंह नागर, सुपर० ।
2—सा० सहकारी समिति लि०, ढिकोली	1—श्री नरेन्द्र कुमार, आंकिक 2—श्री उदय राय भटटा, मुन्शी 3—श्री केवल सिंह, सचिव ।
3—सा० सहकारी समिति, परिक्षतगढ़	1—श्री सन्त सिंह, सभापति
4—सा० सहकारी समिति, सलावा	1—श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, आंकिक 2—श्री जय सिंह, पंच ।

क्षेत्रीय सहकारी समिति लि०, दौराला के सचिव श्री सूरज पाल सिंह को निलम्बित कर दिया गया है तथा पुलिस विवेचना कर रही है। वह भी गिरफ्तार नहीं हुए है। रिकार्ड अग्रहण करने के लिये कार्यवाही कर दी गई।

साधन सहकारी समिति लि०, भैसा के खजांची श्री मो०हनीफ की मृत्यु हो गई है, शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच कर रही है।

साधन सहकारी समिति लि०, ढिकोली के सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है।

साधन सहकारी समिति लि०, परिक्षतगढ़ के सभापति श्री सन्त सिंह तथा श्री ओम बीर, आंकिक को गिरफ्तार किया गया और पुलिस द्वारा जांच की जा रही है।

साधन सहकारी समिति लि०, सलावा के मामले को पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अभी किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है।

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 71 का उत्तर पीछे 289 पृष्ठ पर)

प्रमाणित प्रतिलिपि

अ०शा०पत्र सं० सी-86/73

पुलिस अधीक्षक,
गोरखपुर ।
दिनांक 24, सितम्बर, 1973

प्रिय बाजपेई,

कृपया आप अपने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 538/एस० टी० दिनांक 19 सितम्बर, 1973 का अवलोकन करें जो अपराध संख्या 549/1972 धारा 409/420/467/468 भारतीय दण्ड विधान, थाना कोतवाली, जिला गोरखपुर, विरुद्ध राम नारायण सिंह आदि अभियुक्तों के बारे में है ।

उपरोक्त संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि इस अपराध का पहिले कोतवाली पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही थी । कोतवाली पुलिस ने इस अपराध में 17-3-73 को आरोप-पत्र दिया था कि उस आरोप-पत्र कोर्ट इंस्पेक्टर तथा डी० जी० सी० के राय पर पुनः इस अपराध की विवेचना एस० आई० एस० स्टाफ से कराया गया । इस विवेचना के पश्चात् दिनांक 27-8-73 को न्यायालय द्वारा स्वीकृत भी हो गयी । अतः उपरोक्त अपराध की वर्तमान स्थिति यह कि इस आरोप में दिनांक 20-8-73 को अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई है जो न्यायालय द्वारा दिनांक 27-8-73 को स्वीकृत हो चुकी है ।

भवदीय,
(ह०) वेद प्रकाश कपूर
22-9-73
पुलिस अधीक्षक,
गोरखपुर ।

श्री लज्जा राम बाजपेई,
उप निदेशक, कृषि,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी "घ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 312पर)

विद्युत विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1974

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 तथा इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 और उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अध्याय 2

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का संशोधन

अधिनियम संख्या 9, 1910 की धारा 6 का संशोधन

2—भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 6 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(6-क) उपक्रम को क्रय करने के विकल्प का प्रयोग करने वाले राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी पर इस धारा के अधीन सूचना तामील किये जाने के पश्चात्—

(क) अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सूचना तामील किये जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर उस सभी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री और संयंत्र की जो ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय उस उपक्रम की हो, तालिका तैयार करेगा और बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और सूचना के लम्बित रहने के दौरान तथा जब तक कि उपधारा (6) के अधीन उपक्रम बोर्ड को न दे दिया जाय, सभी युक्तियुक्त समय पर बोर्ड या उसके अभिकर्त्ताओं अथवा राज्य सरकार के विद्युत् निरीक्षक या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसी भूमि, भवन तथा संकर्म में प्रवेश करने और ऐसी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का निरीक्षण करने और उनकी तालिका तैयार करने अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई तालिका की शुद्धता की जांच करने की अनुज्ञा देने के लिए आबद्ध होगा;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम की अपनी सभी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र केवल युक्तियुक्त टूट-फूट अथवा अप्रतिरोध्य बल के कारण हुए परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, वैसी ही अच्छी दशा में, जैसे वे ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय हों, बनाये रखने के लिए, और उक्त बोर्ड तथा उसके अभिकर्त्ताओं या राज्य सरकार के विद्युत् निरीक्षक अथवा उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त सूचना के लम्बित रहने के दौरान और जब तक कि उपधारा (6) के अधीन उपक्रम बोर्ड को न दे दिया जाय, सभी युक्तियुक्त समय पर ऐसी भूमि, भवन और संकर्म में प्रवेश करने और उनकी दशा का तथा उक्त सामग्री तथा संयंत्र की दशा का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देने के लिए, आबद्ध होगा;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का उसी प्रकार प्रयोग कर सकेगा जिस प्रकार कोई साधारण बुद्धि का व्यक्ति उनका प्रयोग उस दशा में करता जब उपर्युक्त सूचना तामील न की गयी होती, किन्तु वह किसी ऐसे भवन, संकर्म, सामग्री अथवा संयंत्र को न तो गिरायेगा, न नुक्सान पहुंचायेगा, न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो उसके लिये नाशक या स्थायी रूप से हानिकर हो और न उपक्रम से कोई ऐसी सामग्री या संयंत्र हटायेगा;

(घ) अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड की ऐसी सभी भूमि, भवन, संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का जो ऐसी सूचना तामील किये जाने के समय विद्यमान हो, लेखा देने का दायी होगा।"

3—मूल अधिनियम की धारा 7 को पुनः संख्यांकित करके उसको उपधारा (1) कर दिया जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :— धारा 7 का संशोधन

"(2) यदि कोई उपक्रम राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा क्रय किया जाय, और—

(1) उपक्रम के यथास्थिति क्रय किये जाने अथवा दिए जाने की तारीख को उपक्रम के सम्बन्ध में (संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 ई० के अर्थान्तर्गत) मजदूर के रूप में नियोजित व्यक्तियों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय मजदूरी, बोनस, उपदान, भविष्य-निधि अथवा अन्य संदाय की कोई धनराशि ऐसे मजदूरों को असंदत्त रह जाय; या

(2) अनुज्ञप्तिधारी उक्त तारीख को देय किसी ऐसी धनराशि का, जो उपक्रम के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों के बारे में या तो अनुज्ञप्तिधारी के अभिदाय या अनुज्ञधारी द्वारा वसूल किये गये कर्मचारियों के अभिदाय या इम्प्लाइज प्राविडेन्ट फन्ड्स ऐक्ट, 1952 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से वसूलीय किसी अन्य देय के सम्बन्ध में हो, संदाय करने में असफल रहा हो;

तो बोर्ड उक्त धनराशि का संदाय प्रकम उल्लिखित अधिनियम के अधीन कर्मचारियों अथवा न्यासी बोर्ड को, अथवा द्वितीय उल्लिखित अधिनियम के

अधीन कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जैसी भी दशा हो, को कर सकेगी और उसे अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त की जाने वाली क्रय धनराशि से काट सकेगी और यदि इस प्रकार संदत्त की जाने वाली धनराशि उपलब्ध क्रय धन से अधिक हो तो उस आधिक्य को अनुज्ञप्तिधारी से राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी।

(3) उपभोक्ताओं द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को दिये गये ऐसे समस्त प्रतिभूति निक्षेप जो उक्त तारीख को उपभोक्ताओं को असंदत्त रह जायें, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बोर्ड को अन्तरित किये जायेंगे, और यदि वे इस प्रकार अन्तरित न किये जायें तो बोर्ड अथवा सरकार अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किये जाने वाले क्रय धन से उक्त निक्षेप की धनराशि काट लगी, और यदि उक्त धनराशि उपलब्ध क्रय धन से अधिक हो तो उस अधिक्य को अनुज्ञप्तिधारी से राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगी।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा की गई कटौतियों और वसूली की सीमा तक अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थित, अपने कर्मचारियों या उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व से उन्मोचित हो जायगा।

(5) उपधारा, (2) (3) तथा (4) के उपबन्ध, विद्युत् विधि (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् क्रय किये गये एसे सभी उपक्रमों के सम्बन्ध में लागू होंगे जिनके बारे में क्रय धन अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किया जाना शेष रह गया हो।"

नयी धारा 42-क का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 42 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

धारा 6 के अधीन सूचना तामील होने के पश्चात् उपक्रम के किसी भाग को नुक्सान पहुंचाने, हटाने आदि के लिए अथवा मिथ्या जानकारी देने के लिए शास्ति

"42-क—कोई अनुज्ञप्तिधारी, अथवा उसके नियोजन में और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (6-क) के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, अथवा जो उस उपधारा की अपेक्षानुसार प्रस्तुत की गई तालिका में ऐसी विशिष्टियां देगा जो मिथ्या हैं अथवा जिनका मिथ्या होना या तो वह जानता है, या जिनके मिथ्या होने का वह विश्वास करता है, अथवा जिनके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता, जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, दैनिक जुर्माने से जो दो सौ रुपय तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:

परन्तु उस दशा में जब उल्लघंन में उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी भवन संकर्म, सामग्री तथा संयंत्र का नष्ट किया जाना अथवा हटाया जाना अन्तर्वलित हो तो ऐसा उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कारावास से जो छः मास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा।"

धारा 50 का निकाला जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 50 निकाल दी जाय।

ऐक्ट संख्या 54, 1948 की धारा 26 का संशोधन

6—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 26 में द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय :—

"परन्तु यह और कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के खण्ड 6 के उपबन्ध, उस क्षेत्र के सम्बन्ध में जहां बोर्ड द्वारा वितरण मेन बिछाये गये हों तथा उनमें से ऊर्जा का प्रदाय प्रारम्भ कर दिया गया हो, निम्नलिखित परिष्कारों के साथ, बोर्ड पर लागू होंगे :—

उपखण्ड (1) में—

(क) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय:—

"जहां खण्ड 4 अथवा 5 के उपबन्धों के अधीन वितरण मेन बिछा दिये जाने और उन मेनों अथवा उनमें से किसी मेन के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय प्रारम्भ कर दिये जाने के पश्चात् प्रदाय क्षेत्र के भीतर स्थित किसी परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा ऐसे परिसर के लिए अनुज्ञप्तिधारी से ऊर्जा प्रदाय करने के लिये अध्यपेक्षा की जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से छः मास के भीतर प्रदाय करेगा और तब के सिवाय जब वह अन्धड़, बाढ़, तूफान अथवा अपने नियंत्रण से परे ऐसी ही अन्य घटनाओं के कारण ऐसा करने से निवारित हो जाय, अध्यपेक्षा के अनुसार ऊर्जा प्रदाय करता रहेगा;"

(ख) उसके चतुर्थ परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय :—

"परन्तु चतुर्थतः यह कि यदि ऊर्जा के प्रदाय के लिये कोई अध्यपेक्षा की जाय और अनुज्ञप्तिधारी किसी विद्युत निरीक्षक के सन्तोषानुसार यह साबित कर सके कि—

(क) निकटस्थ वितरण मेन पहले ही से विद्युत वहन क्षमता से पूर्णतः भारयुक्त हैं ; अथवा

(ख) उस दशा में, जब उसके द्वारा अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विद्युत पारेषित किया जा रहा हो, दबाव में कमी से सामीप्य के अन्य उपभोक्ताओं को किये जाने वाले प्रदाय पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,

तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी अध्यपेक्षा तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी उचित कालावधि के लिए जिसे ऐसा निरीक्षक वितरण मेन का सुधार करने अथवा उसे बिछाने या किसी अन्य वितरण मेन को स्थापित करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त समझे, स्वीकार करने से इन्कार कर सकेगा।"

(ग) उसके चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु पंचम यह कि बोर्ड राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी क्षेत्र के लिए कृषि कार्य के निमित्त प्राथमिकता के आधार पर विद्युत प्रदाय का इस

शर्त पर उपबन्ध करने वाली योजना तैयार कर सकेगा कि प्राथमिकता प्रभार का भुगतान या तो एक मुश्त या ऐसी किस्तों में जो योजना में विनिर्दिष्ट की जाय, किया जाय, और यदि ऐसी योजना तैयार की जाय तो योजना के निर्बन्धनों के अनुसार ऊर्जा के प्रदाय के लिए अध्यपेक्षा करने वाला व्यक्ति, तब के सिवाय जब बोर्ड अंधड़, बाढ़, तूफान या अपने नियंत्रण से परे ऐसी ही अन्य घटनाओं के कारण ऐसा करने से निवारित हो जाय, तथा योजना की शर्तों के अनुसार किसी रेस्टरिंग के अधीन रहते हुए भी, अध्यपेक्षा करने के तीन मास के भीतर, प्राथमिकता के आधार पर ऊर्जा के प्रदाय का तथा उसके चालू रखे जाने का हकदार होगा ।"

धारा 47-क का नई धारा द्वारा प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 47-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"47-क—इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, और इस बात प्रतिभूति के होते हुये भी कि धारा 47 के अधीन ठहराव पर परस्पर सहमति नहीं हुई अथवा यह कि उस निमित्त कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं—

(क) बोर्ड किसी अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रदाय करने की किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने के लिए तब तक बाध्य नहीं होगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड द्वारा उस पर उस निमित्त लिखित सूचना तामील किये जाने के चौदह दिन के भीतर बोर्ड को उतनी धनराशि की प्रतिभूति निवेदित न कर दे जो अनुज्ञप्तिधारी को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान के दो मास के विद्युत् प्रदाय के औसत प्रभार के (जिसे आगे औसत प्रभार कहा गया है) बराबर हो, और जहां बोर्ड द्वारा प्रतिभूति के रूप में औसत प्रभार से अधिक धनराशि की मांग की जाय वहां बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे अवधारित करेगा ।

(ख) बोर्ड ऐसे प्रदाय को बन्द कर देने का हकदार होगा यदि अनुज्ञप्तिधारी ने प्रतिभूति न दे दी हो, अथवा यदि उसके द्वारा दी गई प्रतिभूति अविधिमान्य या अपर्याप्त हो गई हो, और ऐसा अनुज्ञप्तिधारी बोर्ड द्वारा उस पर ऐसी अपेक्षा करने वाली सूचना के तमील किये जाने के सात दिन के भीतर, यथास्थिति, प्रतिभूति देने में अथवा प्रतिभूति को पर्याप्त धनराशि तक पूरा करने में, असफल रहा हो ।"

नई धारा 82-क का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 82 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

बोर्ड के दस्तावेजों को साबित करने का ढंग

"82-क-(1) बोर्ड के कब्जे में किसी रजिस्टर की प्रविष्टि की या किसी रसीद, आवेदन, रेखांक, सूचना, आदेश या अन्य दस्तावेज की प्रति, यदि वह इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित की गई हो, ऐसी प्रविष्टि या दस्तावेज के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ली जायगी और उसम अभिलिखित विषय तथा संव्यवहार के लिये ऐसे प्रत्येक मामले में तथा उस विस्तार तक साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायगी और जिस में और जिस तक कि मूल प्रविष्टि या दस्तावेज, यदि वह प्रस्तुत किया गया होता तो, ऐसे विषयों को साबित करने के लिये ग्राह्य होगा ।

(2) बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक से किसी ऐसी विधिक कार्यवाही में जिसमें बोर्ड पक्षकार न हो, कोई ऐसा रजिस्टर या दस्तावेज जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा साबित की जा सकती है, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय या संव्यवहार को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की, तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, एसा आदेश देना आवश्यक न समझे।

अध्याय 4

उत्तर प्रदश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1958 का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 में—

(i) धारा 2 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय—

(क) "उपभोक्ता" का अर्थ है कोई व्यक्ति जिसे सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था द्वारा बिजली शक्ति संभरित की जाय, चाहे उसके स्वयं उपभोग के लिये हो, चाहे उसके बिजली शक्ति के संभरण के व्यापार के सम्बन्ध में हों, चाहे अन्यथा हो; " ;

(ii) धारा 3 में शब्द "कोई धनराशि" के पश्चात् शब्द और कोष्ठक "[जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 47-क के अधीन देय प्रतिभूति की धनराशि भी है]" रख दिये जायं और दिनांक 9 अक्तूबर, 1972 से रखे गये समझे जायें।

उद्देश्य और कारण

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 6 (1) के अधीन राज्य विद्युत बोर्ड को यह विकल्प दिया गया है कि वह उप-क्रम को क्रय कर सके और बोर्ड इस विकल्प का प्रयोग अनुज्ञप्तिधारी पर कम से कम एक वर्ष की कालावधि की ऐसी लिखित सूचना तामील करके कर सकता है जिसके द्वारा वह अनुज्ञप्तिधारी से इस धारा में निर्दिष्ट संगत कालावधि की समाप्ति पर उसके हाथ उपक्रम बेचने की अपेक्षा करे। अतएव, यह आवश्यक समझा गया कि क्रय की प्रत्याशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपक्रम की अस्तियों के इधर-उधर किये जाने या उनके अपव्यय किये जाने की सम्भावना के विरुद्ध दण्ड के उपबन्ध किये जायें।

2—यह भी प्रस्ताव है कि उपक्रम क्रय किये जाने या परिदत्त किये जाने की तारीख को मजदूर के रूप में नियोजित व्यक्तियों को देय मजदूरी, बोनस, उपदान, भविष्य-निधि या अन्य संदायों के भुगतान की भी व्यवस्था की जाय। अनुज्ञप्तिधारी के पास उपभोक्ताओं के जमा किये गये प्रतिभूत निक्षेप को जो उक्त तारीख को असंदत्त रह जाय, प्रतिभूत करने के लिये भी कोई उपबन्ध नहीं है। यह प्रस्ताव है कि इन विषयों की व्यवस्था करने के लिये उक्त अधिनियम की धारा 7 का संशोधन किया जाय।

3—भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की अनुसूची के खण्ड 6 के अनुसार बोर्ड से यह अपेक्षित है कि वह वितरण मेन बिछा दिए जाने तथा उन मेनों अथवा उनमें से किसी मेन के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय प्रारम्भ कर दिये जाने के पश्चात् अध्यपेक्षा की जाने के एक मास के भीतर ऊर्जा का प्रदाय करे। उच्च तथा निम्न टेंशन की पारेषण लाइनों के अतिभार तथा पर्याप्त निधि की कमी के कारण बोर्ड उक्त अल्प अवधि के भीतर अध्यपेक्षा का सदैव अनुपालन नहीं कर पाता है। अतएव, उक्त कालावधि को 6 मास तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

4—उपर्युक्त अनुसूची में खण्ड 6 के चतुर्थ परन्तुक में, बोर्ड को अनुज्ञप्तिधारी के रूप में यह शक्ति है कि वह कतिपय परिस्थितियों में छः मास से अनधिक की ऐसी युक्तियुक्त कालावधि के लिए, जिसे विद्युत निरीक्षक वितरण मेन में सुधार करने अथवा कोई अन्य वितरण मेन बिछाने या स्थापित करने के प्रयोजनार्थ पर्याप्त समझे, अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से इन्कार कर दे। छः मास की कालावधि भी बोर्ड द्वारा अपर्याप्त पाई गई है और तद्नुसार इसे तीन वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

5—ग्रामीण क्षेत्रों में, खेतिहरों के लाभ के लिए तथा प्राथमिकता के आधार पर उनके नलकूपों के लिए विद्युत् ऊर्जा का प्रदाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, बोर्ड ने व्यवसायिक योजना नामक एक योजना बनायी है। उसके अन्तर्गत बोर्ड से करार करते समय इच्छुक उपभोक्ता को एक निश्चित धनराशि का भुगतान करना होगा। इस सुविधा की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को व्यवसायिक बैंकों तथा अन्य वित्त पोषक संस्थाओं से ब्याज पर ऋण प्राप्त करना होता है। सामान्य रूप से प्रायोजना के लिए प्रदिष्ट धनराशि की अपर्याप्तता के कारण तथा विशेष रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण की व्यवस्था करने के लिए, इस योजना को अंगीकृत करना पड़ा। बोर्ड को उस क्षति की पूर्ति के लिये जो कि लिये गये ऋण पर जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, ब्याज का भुगतान करने के फलस्वरूप उसे होता है, यह आवश्यक हो गया कि उन व्यक्तियों से जो योजना का लाभ उठाने के इच्छुक हों, प्राथमिकता प्रभार लेने की व्यवस्था की जाय।

6—इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे कि राज्य विद्युत बोर्ड के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकें। इससे अत्यधिक असुविधा होती है। यह लोक-हित में है कि बोर्ड के मूल दस्तावेजों को सामान्यतया न्यायालयों

में प्रस्तुत करना अपेक्षित न हो तथा बोर्ड के अधिकारियों को सामान्य रूप से उन दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों के रूप में उपस्थित न होना पड़े। इस बात की व्यवस्था करने के लिये कि ऐसे दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां न्यायालय में संग्रह हो, उस अधिनियम में संशोधन करन का प्रस्ताव है।

7—कतिपय सन्देहों को दूर करने लिए यह भी आवश्यक समझा गया है कि धारा 47-क में, जिसे उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39, 1972 द्वारा इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 में बढ़ाया गया था, भूतलक्षी विनांक से संशोधन किया जाय और उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली-व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) अधिनियम, 1958 में परिणामिक संशोधन किया जाय।

8—तद्नुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा
मुख्य मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ङ"

(देखिए पीछे पृष्ठ 320 पर)

उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974

राज्य में वनों के अपेक्षाकृत अच्छे परिरक्षण, पर्यवेक्षण तथा विकास और वन-उपज के अपेक्षाकृत अच्छे विदोहन के लिये तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्यायअ 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगन अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, तदर्थ नियत कर ।

परिभाषायें

2—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "निगम" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वन निगम से है :

(ख) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, क्षेत्र समिति अथवा गांव सभा से है;

(ग) "प्रबन्ध निदेशक" का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त निगम के प्रबन्ध निदेशक से है;

(घ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ङ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है ।

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

अध्याय—2

निगम की स्थापना तथा उसका गठन

निगम की स्थापना

3—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तर प्रदेश वन निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी ।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निर्गमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा

तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी होगा।

(4) निगम का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहां वह आवश्यक समझे।

निगम का गठन

4—(1) निगम में एक अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी तथा निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें से एक को निगम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जायेगा; और

(ख) तीन से अनधिक अशासकीय सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें उसकी राय में वनों के परिरक्षण तथा विकास से सम्बन्धित विषयों का अनुभव हो, नियुक्त किये जायेंगे।

(2) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के लिए अनर्हताएं

5—कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य नियुक्त किये जाने अथवा होने के लिये अनर्हित होगा, यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता समन्विल हो ; या

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो ; या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो ; या

(घ) राज्य सरकार की राय में निगम के सर्वोत्तम हित में कार्य करने में असफल रहा हो अथवा उसके लिए असमर्थ हो गया हो या उसने अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे कि उसका उस रूप में बना रहना निगम अथवा जन साधारण के हित के लिये हानिकर हो गया हो ; या

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजकों या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ; उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो ; या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हो जो निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश अथवा हित रखती हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (ङ) अथवा खण्ड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी

का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हों,—

(1) किसी स्थावर सम्पति की बिक्री, क्रय, उस पट्टे पर देने या उसके विनियम अथवा बिक्री के लिये किये गये किसी करार में ;

(2) वन के ऋण के लिए किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिये किसी प्रतिभूति में ;

(3) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें निगम के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो;

(4) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु की, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो यदा कदा बिक्री में;

कोई अंश या हित हैं।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी में अंशधारी है जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायेगा कि उसका निगम के साथ, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है।

अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्यों की पदावधि

6—(1) निगम के अध्यक्ष की यदि वह राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाला कोई अधिकारी न हो, या किसी अशासकीय सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय।

(2) अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

आकस्मिक रिक्ति

7—(1) यदि अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य अशक्तता के कारण अथवा अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से जिनमें उसका पद रिक्त होना अस्तंग्रस्त न हो भिन्न परिस्थितियों में अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार उसके स्थान पर कार्य करने तथा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है।

(2) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या किसी अशासकीय सदस्य के त्याग-पत्र दिये जाने अथवा किसी अन्य कारण से होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य, यथास्थिति, उस अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य की, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाय, अवशिष्ट पदावधि के लिये पद धारण करेगा।

निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति

8—(1) निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति, जिन्हें, राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

के परामर्श से अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन से, जैसा भी राज्य सरकार निदेश दे, की जायेगी ।

(2) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिनके बारे में सहमति हो जाय, नियुक्त कर सकता है।

वेतन तथा भत्ते

9—(1) अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्य निगम की निधि में से ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय।

(2) निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य कर्मचारी निगम की निधि से ऐसे वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियंत्रण

10—निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुए निगम के कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा।

बैठक

11—(1) निगम की बैठक ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों पर होगी और वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित निगम का कोई सदस्य, निगम की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) निगम की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे और बराबर-बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष, अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(4) अध्यक्ष, निगम को किसी विषय में सहायता देने अथवा परामर्श देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को निगम की बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति नियम के विचार-विमर्श में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा।

हित के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये अनर्हता

12—कोई सदस्य, जो निगम की ओर से की गई अथवा किये जाने के लिये प्रस्तापित किसी संविदा, ऋण ठहराव अथवा प्रस्थापना से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध अथवा हितबद्ध हो, शीघ्रतम सम्भव अवसर पर निगम को अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और उसकी किसी भी बैठक में, जब कभी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर विचार-विमर्श हो, तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक की सूचना प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य सदस्यों द्वारा उसकी उपस्थित की अपेक्षा न की जाय और उपस्थित होने के लिये इस प्रकार अपेक्षित कोई सदस्य किसी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर मत नहीं देगा।

रिक्त आदि के कारण कोई कार्य अविधिमान्य नहीं होगा

13—निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निगम में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी।

अध्याय 3

निगम के कृत्य और उसकी शक्तियां

निगम के कृत्य

14—इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये वृक्षों को हटाना और उनका निस्तारण करना तथा वन सम्पदा का विदोहन करना ;

(ख) राज्य के भीतर वन-विज्ञान से सम्बन्धित परियोजनायें तैयार करना ;

(ग) वन तथा वन-उत्पाद से संबंधित अनुसंधान कार्यक्रम चलाना और वन-विज्ञान से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना ;

(घ) ऐसे वनों का प्रबन्ध, अनुरक्षण तथा विकास करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा अन्तरित किये जाये अथवा सौंपे जाये;

(ङ) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिनकी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय ।

निगम की शक्तियां

15—(1) निगम को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हों।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :—

(क) वन के कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिए कर्मशालायें अथवा कारखाने स्थापित करना ;

(ख) प्रयोगशालाओं और प्रायोगिक तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन करना ;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसी संविदा अथवा ठहराव करना जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे;

(घ) धन उधार लेना, ऋण-पत्र जारी करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना; और

(ङ) व्यय करना तथा ऐसे व्यक्तियों को ऋण देना तथा अग्रिम स्वीकृत करना; जिन्हें निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे।

निगम की अन्य व्यक्तियों की प्रेरणा पर परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की शक्ति

16—निगम, राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, किसी वनरोपण परियोजना के निष्पादन को, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिसके बारे में सहमति हो जाय, अपने हाथ में ले सकता है ।

अध्याय 3

वित्त लेखे तथा लेखा परीक्षा

निगम की निधि

17—(1) निगम की अपनी निधि होगी जो स्थानी निधि होगी और जिसमें निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन जमा किया जायेगा ।

(2) निधि का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अपने कृत्यों का निर्वह करने में उपगत व्यय को पूरा करने में किया जायगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायगा ।

(3) निधि की धनराशि स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक या किसी अनुसूचित बैंक में रखी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निगम को ऐसी नगद धनराशि रखने से जो चालू भुगतान के लिये आवश्यक हों, अथवा निधि के किसी भाग को जो तुरन्त व्यय करने के लिये अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित करने से प्रवारित करने वाली न समझी जायेगी ।

निगम की उधार लेने की शक्ति

18—(1) निगम समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा अवधारित करें, अधीन रहते हुए, अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित कोई धनराशि या तो बन्ध-पत्र या निधि पत्र जारी करके या अन्य प्रकार से या बैंकरों से ठहरा करके उधार ले सकता है ।

(2) इस धारा के अधीन निगम द्वारा जारी किया गया निधि पत्र ऐसी रीति से जारी या अन्तरित किया जायगा अथवा ऐसी रीति से उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी या उसे मोचित किया जायगा जो राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निदेशित करें ।

निगम की वित्तीय सहायता

19—राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के सम्यक विधीय विनियोजन के पश्चात् समय-समय पर निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है ।

निगम को ऋण

20—राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसी निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें वह अवधारित करें निगम को ऋण दे सकती है ।

ऋणों का प्रतिसंदाय लेखे तथा

21—(1) निगम अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रति संदाय के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाय, एक निक्षेप निधि स्थापित करेगी ।

(2) निक्षेप निधि, ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अनुरक्षित तथा विनियोजित की जायगी और उपयोग में लायी जायगी ।

बजट

22—निगम प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में बजट तैयार करेगा जिसमें निगम की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय प्रदर्शित किए जायेंगे ।

लेखे तथा लेखा परीक्षा

23—(1) निगम उचित लेखे रखेगा और लेखे का वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे ।

(2) निगम के लेखे प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षित किए जायेंगे, और ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को देय होगा ।

(3) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा निगम के लेखों की लेखा परीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लखा परीक्षा के सम्बन्ध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो किसी स्थानीय निकाय के लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के होते हैं और विशिष्टियां उसे बहियां, लेखे, सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) स्थानीय निधि लेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे ।

अधिभार

24—(1) निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, कोई अन्य सदस्य या कोई कर्मचारी निगम के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय अथवा दुरुपयोजना क लिये अधिभार का दायी होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन ऐसे अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य या कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए उसकी उपेक्षा या दुराचरण का सीधा परिणाम हो ।

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय ।

(3) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में, अधिभार की प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्ग्रस्त पाई जाय, भूराजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है ।

(4) उपधारा (3) की कोई बात निगम को इस बात से निवरित नहीं करेगी कि वह उसमें निर्दिष्ट धनराशि की, यथास्थिति, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, या अन्य सदस्य या कर्मचारी को निगम द्वारा देय किसी धनराशि मे से कटौती कर ले ।

अध्याय—5

वाह्य नियंत्रण

नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश

25—(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में निगम नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें ।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय एसा है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

वार्षिक रिपोर्ट

26--(1) निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र ऐसे दिनांक के पूर्व तथा ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य सरकार निदेश के एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायेगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी यदि कोई हों, लेखा दिया जायेगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो और राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् उसे, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

(2) निगम, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा एसी रीति से जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियां और निगम क किसी प्रस्थापित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा निगम के नियन्त्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में एसी विशिष्टियां जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

स्थानीय निकाय निगम को सहायता देंगे

27--(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय को ऐसी सहायता देगा और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिये ऐसे अभिलेख, मानचित्र, रेखांक तथा अन्य दस्तावेज उपलब्ध करेगा जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में अपेक्षा करे।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में निगम को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बमाने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो और तदुपरान्त ऐसे निदेशों का पालन करना उस स्थानीय निकाय का कर्तव्य होगा।

सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

28--कोई वाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या निगम या उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य सदस्य अथवा राज्य सरकार या निगम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये आशयित हो।

सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायंगे

29--निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य सदस्य और कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

निगम की कार्यवाहियों, आदेशों तथा अन्य लिखितों का अधिप्रमाणीकरण

30--निगम की समस्त कार्यवाहियां, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में, निगम की बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी और निमग द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य लिखित निगम क ऐसे कर्मचारियों के जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

31—(1) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्तों के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिसके अन्तगत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट, 1927 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, निगम को प्रत्यायोजित कर सकती है ।

(2) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निगम सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्त्तव्यों को जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियां तथा कर्तव्य न हों और जिन्हें वह आवश्यक समझे, निगम के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य सदस्य अथवा कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

राज्य सरकार अधिकारियों को फारेस्ट आफिसर की शक्तियां विनिहित कर सकती है

32—राज्य सरकार, इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट, 1927 की धारा 72 के अधीन फारेस्ट आफिसर की समस्त अथवा कोई शक्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी भी कर्मचारी को विनिहित कर सकती है और ऐसी शक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक या ऐसा कर्मचारी इंडियन फारेस्ट्स ऐक्ट, 1927 की द्वारा 2 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत फारेस्ट आफिसर समझा जायेगा ।

नियम बनाने की शक्ति

33—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) वह रीति, जिसके अनुसार धारा 21 के अधीन निक्षेप निधि स्थापित, अनुरक्षित और विनियोजित की जायेगी तथा उपयोग में लाई जायेगी;

(ख) धारा 24 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हो, भी है;

(ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन, उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

विनियम

34—(1) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम के प्रशासन के लिये, ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

(क) निगम के प्रबन्ध निदेशक और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें, तथा अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्यों को दिया जाने वाला यात्रा तथा दैनिक भत्ता;

(ख) निगम की बैठकों का समय तथा स्थान और बैठकों में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम;

(ग) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जाये।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा कोई विनियम न बनाये जायें, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाय गये किन्हीं विनियमों में निगम उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है अथवा उन्हें विखंडित कर सकता है।

उत्तर प्रदेश गजेट

उद्देश्य और कारण

नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर ने ऐसे निगम की स्थापना के लिये सिफारिश की है जिसे बनों के विकास, परिरक्षण तथा परिवेक्षण के और वन-उपज के विदोहन के कार्य सौंप दिये जायं। तद्नुसार राज्य सरकार की यह प्रस्थापना है कि ऐसे निगम को स्थापित किया जाय और उसे उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये पर्याप्त शक्तियां दी जायं।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, 1974 पुरः स्थापित किया जाता है।

अजीत प्रताप सिंह,
वन मंत्री

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "च"

(देखिये पीछे पृष्ठ 321 पर)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 1974

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1860 के अधिनियम संख्या 21 की धारा 3 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"3-(1) ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की ओर से सोसाइटी के सचिव द्वारा सोसाइटी के कार्यालय के पते के, जो उसका रजिस्ट्रीकृत पता होगा, ब्योरे सहित ऐसा ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्रार को ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये एक सौ रुपये की फीस संदत्त की जायगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, प्रस्थापित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिये, स्वविवेकानुसार लोक सूचना, अथवा ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह उचित समझे, सूचना जारी कर सकेगा और सोसाइटी की रजिस्ट्री करने के पूर्व अपने द्वारा प्राप्त समस्त आपत्तियों पर विचार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की रजिस्ट्री करने से इन्कार कर देगा, यदि सोसाइटी को इस प्रकार इन्कार किये जाने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि:—

(क) सोसाइटी का नाम इस अधिनियम के अधीन पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के नाम के ठीक समान है ;

(ख) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है उसके नाम में किसी ऐसे शब्द अर्थात्, "संघ" "राज्य," "भूमि बन्धक", "भूमि विकास", "सहकारिता", "गांधी", "रिजर्व बैंक", का अथवा केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार की स्वीकृति, अनुमोदन या संरक्षण अभिव्यक्त या अन्तर्हित करने वाले किसी शब्द का, अथवा किसी ऐसे शब्द का जिससे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय से

कोई सम्बन्ध इंगित हो अथवा इंगित प्रकल्पित हो, प्रयोग किया गया है, अथवा उसका नाम ऐसा है, जिससे जनता के या इस अधिनियम के अधीन पूतर्वन रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सोसाइटी के सदस्यों के अन्यथा प्रवंचित होना सम्भाव्य है;

(ग) जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण कराना है उसका कोई एक या एकाधिक उद्देश्य धारा 1 तथा 20 में उल्लिखित उद्देश्य नहीं हैं; अथवा

(घ) उसके उद्देश्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रतिकूल हैं।"

नई धारा 3—क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र का नवीकरण

"3—क(1) उपधारा(2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 3 क अधीन किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, दिये जाने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1974 (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होन क पूर्व जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिये प्रवृत्त बना रहेगा।

(2) धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हुई हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के एक साल के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन देने तथा उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को एक बार में दो वर्षों के लिये नवीकृत कराने की हकदार होगी :

परन्तु उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की दशा में, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार कर देगा यदि उसे इस प्रकार इन्कार करने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाय कि धारा 3 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों से कोई भी कारण उसके सम्बन्ध में विद्यमान है।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को निम्नलिखित संदत्त किया जायगा :—

(क) दस रुपये की फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दाखिल किया जाय;

(ख) पांच रुपये की अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर दाखिल किया जाय;

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये दो रुपये की दर से अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाय।

(4) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ वह प्रमाण-पत्र होगा जिसे नवीकृत कराना है जब तब कि रजिस्ट्रार उसके हानि या उसके नाश हो जाने के आधार पर अथवा अन्य पर्याप्त कारण से इससे अभिमुक्त न कर दे ।

(5) कोई सोसाइटी जो अपने रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के छः मास के भीतर इस धारा के अनुसार नवीकृत नहीं कराती, अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो जायेगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारण से, उस अविध की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के पश्चात् छः मास से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी नवीकरण के लिये आवेदन पचास रुपये की फीस देने पर मंजूर कर सकेगा ।

(6) जहां रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण उपधारा (2) या उपधारा (5) के अनुसार किया जाय तो ऐसा नवीकरण उस अवधि की जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के दिनांक से प्रवृत्त होगा ।"

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 को पुनः संख्यांकित करके उसको उपधारा (1) कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात:—

"(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सूची के साथ रजिस्ट्रार को सोसाइटी के नियमों की एक प्रति जो अद्यतन शुद्धकृत हो और उक्त शासी निकाय के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा शुद्ध प्रति प्रमाणित हो, और पूर्ववर्ती वर्ष के लेखे के संतुलन-पत्र की एक प्रति भी भेजी जायगी ।"

नयी धारा 4—क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात:—

नियमों में परिवर्तन आदि की सूचना रजिस्ट्रार को दी जायगी

"4—सोसाइटी के नियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रति और सोसाइटी के पते में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना, जो शासी निकाय के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा प्रमाणित हो, परिवर्तन किये जाने के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जायगी ।"

नयी धारा 12—क 12—ख, 12—ग, और 12—घ, का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात:—

नाम में परिवर्तन

"12—क—इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी अपनी कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों की सम्मति से इस प्रयोजन के लिये बुलाये गये साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अपने नाम में परिवर्तन कर सकेगी ।

नाम में परिवर्तन की सूचना

12—ख—(1) नाम में प्रत्येक परिवर्तन की लिखित सूचना जिस पर सोसाइटी के सचिव तथा किन्हीं अन्य तीन सदस्यों के हस्ताक्षर हों, रजिस्ट्रार को भेजी जायगी ।

(2) जहां कि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि सोसाइटी के नाम के सम्बन्ध में और नाम में परिवर्तन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्ध का अनुपालन किया गया है वहां वह धारा 12—ग के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नाम में परिवर्तन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा जो ऐसे रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से प्रभावी होगा ।

नाम में परिवर्तन का प्रभाव

12-ग-किसी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन से सोसाइट के किन्हीं अधिकारों अथवा वाध्यताओं पर न तो कोई प्रभाव पड़ेगा और न सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाहियां त्रुटियुक्त होंगी और कोई विधिक कार्यवाही जो उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती थी, या प्रारम्भ की जा सकती थी, उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उस नये नाम से जारी रखी जा सकेगी या प्रारम्भ की जा सकेगी।

कतिपय परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

12-घ-(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर रद्द कर सकेगा:--

(क) सोसाइटी का या उसके नाम का या उसके नाम में परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल था;

(ख) उसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्थापित क्रियाकलाप समिति के उद्देश्यों का विनाश करने वाले अथवा लोक नीति के विरुद्ध रहे हैं, या है, या होंगे:

परन्तु किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि सोसाइटी को अपने नाम या उद्देश्यों में परिवर्तन करने अथवा उसके सम्बन्ध में किये जाने के लिये प्रस्थापित कार्यवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को की जा सकेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।"

धारा 13 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "सोसाइटी का मुख्यालय" के स्थान पर शब्द "सोसाइटी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" रख दिये जायें।

नई धारा 13-क तथा 13-ख का बढ़ाया जाना

8--मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायें, अर्थात्:--

विघटन के लिये आवेदन करने की रजिस्ट्रार की शक्ति

"13-क-(1) जहां कि रजिस्ट्रार की राय में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के सम्बन्ध में यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हों कि धारा 13-ख की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित आधारों में से कोई आधार विद्यमान है वहां वह सोसाइटी को नोटिस भेजेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उतने समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, यह कारण बताये कि सोसाइटी विघटित क्यों न कर दी जाय।

(2) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो रजिस्ट्रार अनुज्ञात करें, सोसाइटी कोई कारण बताने में असफल रहती है अथवा बताये गये कारण को रजिस्ट्रार असन्तोषजनक समझे तो रजिस्ट्रार धारा 13 में निर्दिष्ट न्यायालय को सोसाइटी के विघटन का आदेश देने के लिये समावेदन कर सकेगा।

न्यायालय द्वारा विघटन

13-ख--(1) धारा 13-क या धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रार के आवेदन पर अथवा इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के एक बटा दस से अन्यून सदस्यों द्वारा दिये गये आवेदन पर धारा 13 में निर्दिष्ट न्यायालय निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर सोसाइटी के विघटन का आदेश दे सकेगा, अर्थात्:--

(क) सोसाइटी ने इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों का उल्लंघन किया है और यह न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण है कि सोसाइटी का विघटन किया जाय;

(ख) सोसाइटी के सदस्यों की संख्या घट कर सात से कम हो गई है;

(ग) सोसाइटी ने ऐसे आवेदन के दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों से अधिक से कार्य करना बन्द कर दिया है।

(घ) सोसाइटी अपने ऋणों का संदाय करने में अथवा अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ है; या

(ङ) सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण धारा 12-घ के अधीन इस आधार पर रद्द कर दिया गया है कि उसके क्रियाकलाप अथवा प्रस्थापित क्रियाकलाप लोक नीति के विरुद्ध रहे हैं, या हैं, अथवा होंगे।

(2) उपधारा (1) या धारा 12-घ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के तदर्थ आवेदन पर, सोसाइटी का इस आधार पर विघटन करने का आदेश दे सकेगा कि सोसाइटी के क्रियाकलापों से लोक न्यूसेन्स होता है, अथवा अन्यथा लोक नीति के विरुद्ध हैं।

(3) जब उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सोसाइटी के विघटन का आदेश दिया जाय तब सोसाइटी की सम्पत्ति, उसके दावों तथा दायित्वों और उसके कामकाज के अन्य किसी समायोजन, के लिये सभी आवश्यक कार्रवाई ऐसी रीति से होगी जो न्यायालय निदेशित करे।"

नयी धारा 14-क का बढ़ाया जाना

9--मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

विघटित सोसाइटी की सम्पत्ति का निपटारा

"14-क--धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 13 के अधीन विघटित किसी समिति के सदस्यों के लिये ऐसी समिति के विघटन के समय पर स्वयं या परीक्षी के माध्यम से उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा, यह अवधारित करना विधिपूर्ण होगा कि सब ऋणों और दायित्वों की तुष्टि के पश्चात् बची हुई कोई भी सम्पत्ति धारा 1 में निर्दिष्ट किन्हीं भी प्रयोजनों के निमित्त उपयोग करने के लिये सरकार को दे दी जायगी।"

नयी धारा 16-क का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

सोसाइटी का पद धारण करने के लिये अनर्हता

"16-क—कोई व्यक्ति जो अननुमोचित दिवालिया हो अथवा किसी सोसाइटी या निगमित निकाय के बनाये जाने, उसकी प्रोन्नत्ति, उसके प्रबन्ध अथवा कामकाज का संचालन करने के सम्बन्ध में किसी अपराध के लिये, या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए, सिद्ध दोष ठहराया गया हो, शासी निकाय या सदस्य या सोसाइटी का प्रधान, सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने और होने के लिये अनर्ह होगा।"

धारा 19 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 19 में—

(1) शब्द "हर निरीक्षण के लिए एक रुपये की फीस देकर" के स्थान पर शब्द "ऐसी फीस देकर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधि-सूचना द्वारा नियत करे" रख दिये जायें, और

(2) शब्द "ऐसी नकल या उद्धरण के हर सौ शब्दों के लिये दो आने देकर" के स्थान पर शब्द "ऐसी फीस देकर जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे" रख दिये जाएं।

नयी धारा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 का बढ़ाया जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायें, अर्थात् :—

रजिस्ट्रार की सूचना मांगने की शक्ति

"22-(1)—रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी से उस सोसाइटी के कामकाज अथवा इस अधिनियम के अधीन उस सोसाइटी द्वारा दाखिल किये गये किन्ही दस्तावेजों के सम्बन्ध में लिखित रूप से ऐसी सूचना या दस्तावेज, ऐसे समय के भीतर जो सोसाइटी द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः दो सप्ताह से अन्यून्य हो, जैसा वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश प्राप्त होने पर, प्रधान, सचिव या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करे।

सम्परीक्षा

23-(1) धारा 4 की उपधारा (2) या धारा 22 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जहां रजिस्ट्रार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, लिखित आदेश द्वारा किसी सोसाइटी से किसी विशिष्ट वर्ष का अपना लेखा, अथवा किसी विशिष्ट वर्ष के अपने आय-व्यय के विवरण की प्रति जो किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सम्यक रूप से सम्परीक्षित हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार सोसाइटी के अनुरोध पर ऐसे लेखे तथा विवरण को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे वह अनुमोदित करे सम्परीक्षित कराने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) यदि सोसाइटी उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखों को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अथवा ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जैसी रजिस्ट्रार समय-समय हर अनुज्ञा दे, प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के उक्त वर्ष के लेखों की सम्परीक्षा करा सकेगा और ऐसी सम्परीक्षा के खर्चे उस सोसाइटी से वसूल कर सकेगा।

(3) यदि सोसाइटी उपधारा (2) के अधीन सम्परीक्षा के लिए अपने लेखों या अन्य दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में उपेक्षा करती है या उससे इन्कार करती है अथवा, रजिस्ट्रार की राय में सम्यक शीघ्रता से सम्परीक्षा किये जाने के लिए अपेक्षिता सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार धारा 24 के अधीन कार्रवाई कर सकेगा।

सोसाइटी के काम-काज का अन्वेषण

24—(1) जहां कि धारा 22 के अधीन या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर या धारा 23 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में रजिस्ट्रार की यह राय हो कि इस बात की आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का काम काज इस प्रकार संचलित किया जा रहा है जिससे कि सोसाइटी का उद्देश्य विफल हो सकता है या सोसाइटी अथवा उसकी शासी निकाय, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या उसका ऐसा कोई अधिकारी जिसका सोसाइटी पर वास्तविक प्रभावी नियंत्रण है, उसके काम काज का कुप्रबन्ध करने का अथवा वैश्वासिक या उसी प्रकार की अन्य बाध्यता को भंग करने का दोषी है तो रजिस्ट्रार, या तो स्वयं अथवा अपने द्वारा तदर्थ नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के काम काज का निरीक्षण या अन्वेषण कर सकेगा अथवा सोसाइटी द्वारा प्रबंधित किसी संस्थान का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) सोसाइटी के प्रत्येक अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि जब रजिस्ट्रार या उपधारा (1) के आधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय तो वह सोसाइटी के अथवा उससे संबंधित कोई लेखा पुस्तक तथा अन्य अभिलेख जो उसकी अभिरक्षा में हों, प्रस्तुत करें और उसे ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के संबंध में सभी सहायता दे।

(3) रजिस्ट्रार या उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अन्य व्यक्ति सोसाइटी के काम काज के संबंध में सोसाइटी के किसी अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी को बुला सकेगा और शपथ पर उसकी परीक्षा कर सकेगा और प्रत्येक अधिकारी, सदस्य या कर्मचारी का, जब वह बुलाया जाये, यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे परीक्षा के लिए उसके समक्ष उपस्थित हो।

(4) यथास्थिति, निरीक्षण या अन्वेषण, की समाप्ति पर निरीक्षण या अन्वेषण के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यदि कोई हो, रजिस्ट्रार को अपने निरीक्षण या अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट देगा।

(5) रजिस्ट्रार ऐसे निरीक्षण या अन्वेषण के पश्चात् सोसाइटी या उसके शासी निकाय या उसके किसी अधिकारी को किन्हीं त्रुटियों या अनियमितताओं को, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाय, दूर करने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे और ऐसे निदेशों के, अनुसार कार्रवाई करने में व्यतिक्रम होने की दशा में रजिस्ट्रार यथास्थिति धारा 12—ध या धारा 13-ख, के अधीन कार्रवाई कर सकेगा।

पदाधिकारियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में विवाद

25—(1) विहित प्राधिकारी रजिस्ट्रार द्वारा या उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा, उसे निर्देश दिये जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन या पद पर बने रहने के सम्बन्ध में शंका और विवाद की सुनवाई और विनिश्चय संक्षिप्त तौर पर कर सकेगा, और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो उचित समझें।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश से कोई निर्वाचन अपास्त कर दिया जाय अथवा यह तय किया जाय कि कोई पदाधिकारी पद पर बने रहने का हकदार नहीं रह गया है, या रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय की किसी सोसाइटी के पदाधिकारियों का निर्वाचन उस सोसाइटी के नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया गया है, तो वह ऐसी सोसाइटी के सामान्य निकाय का अधिवेशन ऐसे पदाधिकारी या पदाधिकारियों का निर्वाचन करने के लिए बुला सकेगा और ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता और उसका संचालन रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायगा, और अधिवेशन तथा निर्वाचनों के सम्बन्ध में सोसाइटी के नियमों के उपबन्ध आवश्यक परिष्कार के साथ लागू होंगे।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अधिवेशन बुलाया जाय तो निर्वाचन के प्रयोजन के लिए कोई अन्य अधिवेशन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा या सोसाइटी के पदाधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बुलाया जायगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "विहित प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा राजकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी या न्यायालय अभिप्रेत है।

दान की शर्त का अनुपालन किया जाना

26—जहां कि कोई सोसाइटी किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति से धन या किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति का दान या संधदान स्वीकार करती है वहां वह दान या संदान किये गये धन या अन्य सम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए, रजिस्ट्रार की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगी जो ऐसी सहमति देने से तब तक के सिवाय इन्कार कर देगा, जब उसका यह समाधान हो जाये कि वह प्रयोजन जिसके लिये दान दिया गया था, सोसाइटी द्वारा निष्पादन किये जाने के योग्य नहीं है।

शास्तियां

27—कोई व्यक्ति जो—

(क) धारा 4 या 4-क के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गयी सूची या किसी विवरण, या नियमों की अथवा नियमों में परिवर्तन की प्रति या अन्य सूचना में कोई मिथ्या प्रविष्टि या उससे लोप जानबूझकर करेगा अथवा करायेगा;

(ख) धारा 23 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई लेखा या विवरण देने में जानबूझकर असफल रहेगा अथवा उक्त उपधारा के अनुपालन में ऐसी विशिष्टियां देगा जो मिथ्या हैं और जिन्हें वह या तो मिथ्या जानता है या जिनके मिथ्या होने का वह विश्वास करता था जिनके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार संपरीक्षा के लिए अपना लेखा उपलब्ध कराने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा;

(घ) धारा 24 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित कोई लेखा पुस्तक या अन्य अभिलख पेश करने में जानबूझकर असफल रहेगा;

(ङ) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होने में जानबूझकर असफल रहेगा, अथवा धारा 24 की उपधारा (3) के उपबन्धों का अन्यथा उल्लंघन करेगा;

वह जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

प्रक्रिया

28—कोई न्यायालय जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा और न रजिस्ट्रार अथवा उसके द्वारा तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश से लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान किया जायगा ।

अपराधों का प्रशमन

29—(1) रजिस्ट्रार किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह विद्यमान हो कि उसने धारा 27 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है या जिसके विरुद्ध उस धारा के अधीन कोई अभियोग संस्थित किया गया है, ऐसे अपराध के लिए जिसके ऐसे व्यक्ति द्वारा किये जाने का संदेह है या जिसके लिए उस पर अभियोग लगाया गया है प्रशमन फीस के रूप में कोई धनराशि स्वीकार कर सकेगा ।

(2) ऐसी प्रशमन फीस का संदाय करने पर संदिग्ध व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है तो, उन्मोचित कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अग्रेतर कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग संस्थित किया गया हो तो प्रशमन का प्रभाव यह होगा कि उसे दोष मुक्त कर दिया जायेगा ।

फीस देने की रीति

30—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संदेय फीस ऐसी रीति से दी जायेगी जो नियमों द्वारा विहित की जाय ।

परित्राण

31—इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये अथवा किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार, रजिस्ट्रार या धारा 24 के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद, अभियोजना या विधिक कार्यवाही न होगी ।

रजिस्ट्रार द्वारा नोटिस आदि तामील करने की रीति

32—(1) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये जाने वाले कोई नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा जो किसी सोसाइटी या उसके शासी निकाय के लिए हो, सोसाइटी के सचिव पर तामील की जा सकेगी, और जब तक कि रजिस्ट्रार अन्यथा निदेश न दे सचिव पर तामील किया जाना उतना ही प्रभावी होगा मानों वह, यथास्थिति, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य पर या उसके शासी निकाय के प्रत्येक सदस्य पर तामील किया गया हो ।

(2) सोसाइटी के सचिव को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक से ऐसी नोटिस, आदेश या अध्यपेक्षा भेजना सोसाइटी पर पर्याप्त रूप से उसकी तामील माना जायगा।

33—(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए जिसका विस्तारण उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकेगा, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे उपान्तरों या बातिलकरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई उपान्तर या बातिलकरण उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रभाव डाले बिना होगा।"

विधान मण्डल पुस्तकालय

उद्देश्य और कारण

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के कार्यकरण में कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया है। वर्तमान अधिनियम में निम्नलिखित के लिए कोई उपबन्ध नहीं है:—

(1) किसी ऐसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करना जिसका नाम पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के नाम के ठीक समान हो ;

(2) किसी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करना और वह रीति जिसके अनुसार ऐसा परिवर्तन किया जा सकेगा ;

(3) सोसाइटियों के कुप्रबन्ध को रोकने के उपाय ;

(4) कतिपय परिस्थितियों में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का विघटन ;

(5) कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की शक्ति ;

(6) किसी सोसाइटी के सदस्यों में निर्वाचन सम्बन्धी शंका तथा विवाद को दूर करना ;

(7) अधिनियम के अधीन किये गये अपराधों के लिये शास्ति।

तदनुसार यह समीचीन समझा गया कि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति और कतिपय अन्य संशोधन करने के लिये उक्त अधिनियम को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित किया जाय।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 148 वि० सभा—(1721)—1975—845. 1